



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 37] नई दिल्ली, दिसम्बर 8—दिसम्बर 14, 2019, शनिवार/अग्रहायण 17—अग्रहायण 23, 1941

No. 37] NEW DELHI, DECEMBER 8—DECEMBER 14, 2019, SATURDAY/AGRAHAYANA 17—AGRAHAYANA 23, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश  
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2019

**का.नि.आ. 103.**— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और (i) महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं (समूह 'घ') पद भर्ती नियम, 1978, को, जहां तक इसका संबंध गार्डनर/माली, वाचमैन/चौकीदार, मेहतर पद से है और

(ii) महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं (समूह 'घ') पद भर्ती नियम, 2008 को जहां तक इसका संबंध दफ्तरी, चपरासी, और संदेश वाहक पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, महानिदेशालय, महानिदेशक सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के अधीन निम्नतर निरचनाओं में 'समूह 'ग' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम महानिदेशक सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा, बहुकार्य कर्मचारीबृंद (समूह 'ग') पद, भर्ती नियम 2019 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की **संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतन मान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2019

**नौसेना के छुट्टी संबंधी विनियम - 2019**

**का.नि.आ. 105.—** नौसेना अधिनियम 1957 की धारा 184 (1957 का 62) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है:-

**अध्याय ।**

**सामान्य**

1. **संक्षिप्त नाम** इन विनियमों को नौसेना छुट्टी विनियम 2019 कहा जाएगा।
2. **अनुप्रयोग** ये विनियम भारतीय नौसेना के अफसर (विशेष ज्यूटी के लिए सूचीबद्ध अफसर सहित), नौसैनिक और आर्टिफिसर अप्रेंटिस के लिए अनुप्रयोज्य होंगे।
3. **छुट्टी का अधिकार** अधिकार के रूप में छुट्टी का दावा नहीं किया जा सकता। इसकी स्वीकृति सेवा की अनिवार्यता के अधीन होगी।
4. **छुट्टी का वर्गीकरण** विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों के लिए स्वीकार्य छुट्टी निम्नलिखित प्रकार की होंगी:-

(क) **नियमित अफसर (विशेष ज्यूटी के लिए सूचीबद्ध अफसर सहित)**

- (i) आकस्मिक छुट्टी
- (ii) वार्षिक छुट्टी
- (iii) फर्लो
- (iv) अस्वस्थता छुट्टी
- (v) अशक्तता छुट्टी
- (vi) शिशु देख-भाल छुट्टी (महिला अफसरों के लिए)
- (vii) शिशु दत्तक ग्रहण छुट्टी (महिला अफसरों के लिए)
- (viii) शिशु के जन्म पर पितृत्व छुट्टी
- (ix) शिशु के गोद लेने पर पितृत्व छुट्टी
- (x) मातृत्व अवकाश
- (xi) अध्ययन छुट्टी
- (xii) विशेष आकस्मिक छुट्टी

(ख) **अल्पकालिक सेवा कमीशन अफसर**

- (i) आकस्मिक छुट्टी
- (ii) वार्षिक छुट्टी
- (iii) फर्लो
- (iv) अस्वस्थता छुट्टी
- (v) विशेष आकस्मिक छुट्टी
- (vi) अशक्त ठहराए जाने के उपरांत छुट्टी
- (vii) नियुक्ति की समाप्ति के उपरांत छुट्टी

- (viii) शिशु देखरेख छुट्टी (महिला अफसरों के लिए)
- (ix) शिशु दत्तक ग्रहण छुट्टी (महिला अफसरों के लिए)
- (x) शिशु के जन्म के उपरांत पितृत्व अवकाश/छुट्टी
- (xi) शिशु गोद लिए जाने के उपरांत पितृत्व अवकाश/छुट्टी
- (xii) मातृत्व अवकाश

(ग) **नौसैनिक**

- (i) आकस्मिक छुट्टी
- (ii) वार्षिक छुट्टी
- (iii) अस्वस्थता छुट्टी
- (iv) अनुकंपा छुट्टी
- (v) सेवामुक्ति अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत छुट्टी
- (vi) शिशु के जन्म पर पितृत्व अवकाश
- (vii) शिशु गोद लिए जाने के उपरांत पितृत्व अवकाश/छुट्टी

(घ) **आर्टिफिशर अप्रेंटिस**

- (i) आकस्मिक छुट्टी
- (ii) वार्षिक छुट्टी
- (iii) अस्वस्थता छुट्टी
- (iv) शिशु के जन्म पर पितृत्व अवकाश
- (v) शिशु गोद लिए जाने के उपरांत पितृत्व अवकाश

5. **छुट्टी के आरंभ होने और समाप्ति की तारीख**

(क) छुट्टी की शुरुआत कार्मिक के झूटी से कार्यमुक्त होने की तारीख से होगी, और कार्मिक के पूर्वाहन में कार्यमुक्त होने की स्थिति में छुट्टी की गणना उसी दिन से की जाएगी, अपराहन में कार्यमुक्त होने पर छुट्टी की गणना अगले दिन से की जाएगी।

(ख) यदि कोई कार्मिक पूर्वाहन में कार्यभार ग्रहण करता है तो छुट्टी कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पहले वाले दिन समाप्त मानी जाएगी, वहीं अपराहन में कार्यभार ग्रहण करने पर छुट्टी कार्यभार ग्रहण करने की तारीख को ही समाप्त मानी जाएगी।

(ग) इस विनियम में अन्य बातों के होते हुए भी:-

(i) (कक) गोरखा अफसरों की छुट्टी नेपाल की सीमा को पार करने की तारीख से आरंभ अथवा समाप्त होगी; भूटान अधिवासी अफसरों की छुट्टी भूटान की सीमा को पार करने की तारीख से आरंभ होगी।

(कख) यदि कोई नौसैनिक जिसने विनियम 46 के अंतर्गत दो वर्ष के ब्लॉक के प्रथम वर्ष के दौरान वार्षिक छुट्टी अथवा संचित वार्षिक छुट्टी के साथ अतिरिक्त छुट्टी ली हो और उसे ब्लॉक के द्वितीय कैलेंडर वर्ष में वार्षिक छुट्टी अथवा संचित वार्षिक छुट्टी स्वीकृत की जाती है तो वह छुट्टी नेपाल अथवा भूटान की सीमा को पार करने के दिन से आरंभ अथवा समाप्त होगी, साथ ही नौसैनिक किसी अतिरिक्त छुट्टी का हकदार नहीं होगा।

(ii) पोत पर तैनात कार्मिकों के मामले में उनकी छुट्टी उस दिन को समाप्त मानी जाएगी जिस दिन वह पोत जिस पर उनकी झूटी है, रिपोर्ट कर लेंगे; ऐसे मामले में जब पोत, जिस पर कार्मिक की झूटी है, गृह पत्तन अथवा वह पत्तन

जिस पर उसे निर्धारित समय में मौजूद रहना था, अस्थायी तौर पर दूर है तो कार्मिक उस पत्तन की तटीय स्थापना में कार्यभार ग्रहण करेगा और उनकी छुट्टी तटीय स्थापना में रिपोर्ट करने की तारीख को समाप्त मानी जाएगी।

(iii) भारत के बाहर तटीय स्थापना में कार्यरत कार्मिकों के लिए, भारत में उनकी छुट्टी उस तारीख को आरंभ होगी जिस दिन ऐसे कार्मिक तटीय स्थापना, जिस पर वे नियुक्त हैं, से छुट्टी पर प्रस्थान करते हैं अथवा भारत में आने पर स्थानांतरित होते हैं और यह छुट्टी उस तारीख को समाप्त मानी जाएगी जिस दिन भारत के बाहर जाने से पूर्व कार्मिक को छुट्टी के लिए रिपोर्ट करने की आवश्यकता होगी।

(iv) अंडमान और निकोबार द्वीप तथा इन द्वीपों पर स्थित पोतों पर सेवारत नौसेना कार्मिकों की छुट्टी आई एन पोत अडयार, नेताजी सुभाष और सरकार्स पर रिपोर्ट कर लेने के उपरांत आरंभ और समाप्त होगी।

(v) महाद्वीप में सेवारत नौसेना कार्मिक, जिनके घर लक्षद्वीप में हैं, की छुट्टी नेवल डिटैचमेंट, कोच्चि/एन सी सी कालिकट में उस तारीख से आरंभ होगी जिस तारीख को वे जलयान से गृह द्वीप के लिए रवाना होते हैं और समाप्त उस तारीख को होती है जब वे उपर्युक्त स्टेशन पर पुनः कार्यभार ग्रहण कर लेते हैं। कार्मिकों को महाद्वीप से द्वीप तक उस समय सबसे पहले उपलब्ध व्यापारिक पोत द्वारा ले जाया जाएगा। छुट्टी स्टेशन से नेवल डिटैचमेंट, कोच्चि/एन सी सी, कालीकट तक आने-जाने में लगने वाले समय की अवधि के साथ-साथ कार्मिकों के जलयान पर सवार होने तक कोच्चि/कालीकट में ठहरने की अवधि को छुट्टी पर माना जाएगा। वार्षिक छुट्टी/संचित वार्षिक छुट्टी पर जाने वाले नौसैनिक, जिन्हें नेवल डिटैचमेंट, कोच्चि/एन सी सी, कालिकट से छुट्टी स्टेशन आने-जाने की यात्रा में दो दिन से अधिक का समय लगता है तो उनको इन विनियमों के विनियम 45 (घ) के संदर्भ में अतिरिक्त छुट्टी स्वीकृत की जाएगी।

#### 6. छुट्टी के साथ अवकाश का पहले और बाद में जोड़ा जाना

(क) यदि स्वीकृत छुट्टी के आरंभ होने की तारीख के ठीक पहले वाले दिन को कोई अवकाश (जैसे रविवार, गणतंत्र दिवस अथवा इसी प्रकार के अन्य अवकाश) पड़ता है अथवा स्वीकृत छुट्टी के समाप्त होने की तारीख के ठीक बाद, वाले दिन कोई ऐसा अवकाश पड़ता है वो ऐसी स्थिति में कोई कार्मिक जिसे ऐसे अवकाश के दिन कार्य करने की आवश्यकता नहीं हो, तो वह अपने कमान अफसर की स्पष्ट अनुमति से ऐसे अवकाश के पहले वाले दिन की समाप्ति पर स्टेशन छोड़ सकता है अथवा ऐसे अवकाश के समाप्त होने के दिन छुट्टी पर लौट सकता है बशर्ते राज्य को किसी अतिरिक्त व्यय का वहन न करना पड़ रहा हो।

(ख) ऐसे अवकाश के दौरान कार्मिक को छुट्टी पर मानते हुए स्वीकृत छुट्टी के दिनों की संख्या पर पहले अथवा बाद में जोड़े गए ऐसे अवकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**स्पष्टीकरण I:-** विनियम 5, उप-विनियम (ग) के अंतर्गत गोरखा कार्मिक, जिनकी छुट्टी नेपाल अथवा भूटान की सीमा को पार करने की तारीख से आरंभ अथवा समाप्त होती है, के मामले में छुट्टी के साथ अवकाश को आरंभ अथवा अंत में जोड़ने की छूट स्वीकार्य नहीं होगी।

**स्पष्टीकरण II:-** विनियम 45 के उप-विनियम (घ) के संदर्भ में अतिरिक्त छुट्टी का लाभ ग्रहण कर रहे नौसैनिकों की छुट्टी के साथ अवकाश को आरंभ अथवा अंत में जोड़ने की छूट स्वीकार्य नहीं होगी।

**स्पष्टीकरण III:-** प्रतिबंधित अवकाश को मान्य अवकाश माना जाएगा, यदि ऐसे अवकाश को छुट्टी के आरंभ अथवा अंत में जोड़ा जाता हो।

#### 7. स्थान जहां से छुट्टी ली जाती है और छुट्टी की समाप्ति के उपरांत जिस स्थान पर कार्यभार ग्रहण किया जाता है।

(क) सामान्य तौर पर कोई कार्मिक अपने स्थायी छुट्टी स्टेशन से छुट्टी पर प्रस्थान करेगा और छुट्टी की समाप्ति के उपरांत उसी स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगा।

(ख) कम से कम कैप्टन रैंक के अफसर को उनके स्थायी छुट्टी स्टेशन के अलावा किसी अन्य स्टेशन से छुट्टी पर प्रस्थान करने अथवा छुट्टी से वापसी पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति (नौसेना मुख्यालय में सेवारत अफसर के मामले में) नौसेनाध्यक्ष द्वारा और फ्लैग अफसर कमांडिंग-इन-चीफ पश्चिम नौसेना कमान, फ्लैग अफसर कमांडिंग-इन-चीफ पूर्वी नौसेना कमान, फ्लैग अफसर कमांडर-इन-चीफ दक्षिण नौसेना कमान, कमांडर-इन-चीफ अंडमान निकोबार कमान द्वारा उनके संबंधित कमान में और विदेश स्थित भारतीय दूतावास में नौसेना के सलाहकार अथवा अताशे द्वारा दी जा सकती है बशर्ते कि:-

(i) अफसर के लिए उस समय उनकी स्थायी झूटी स्टेशन से किसी अन्य स्टेशन पर कार्य करना लोक हित में अनिवार्य अथवा समयोचित हों और

(ii) यदि संबंधित अफसर के लिए झूटी का निर्वहन करना आवश्यक न हो तो किसी अन्य कार्मिक को इस कार्य के लिए तैनात करना आवश्यक होगा।

(ग) कम से कम कैप्टन रैंक के अफसर को, बशर्ते कि इससे सरकार के राजस्व की बचत हो, उनकी स्थायी झूटी स्टेशन से अन्य किसी स्टेशन से छुट्टी पर प्रस्थान करने अथवा छुट्टी के उपरांत कार्यभार ग्रहण की अनुमति (नौसेना मुख्यालय में सेवारत अफसरों के मामले में) नौसेनाध्यक्ष द्वारा और फ्लैग अफसर कमांडिंग-इन-चीफ पश्चिम नौसेना कमान, फ्लैग अफसर कमांडिंग-इन-चीफ पूर्वी नौसेना कमान, फ्लैग अफसर कमांडिंग-इन-चीफ दक्षिण नौसेना कमान, कमांडर-इन-चीफ अंडमान निकोबार कमान द्वारा उनके संबंधित कमान में और विदेश स्थित भारतीय दूतावासों में नौसेना के सलाहकार अथवा अताशे द्वारा दी जा सकती है।

(घ) पोत पर और स्थापना में सेवारत नौसैनिकों को कमान अफसर के विवेकाधिकार पर उनके स्थायी झूटी स्टेशन, के अतिरिक्त अन्य किसी स्टेशन से जहां वे कार्यरत हैं छुट्टी पर प्रस्थान करने अथवा छुट्टी समाप्ति के उपरांत कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि इससे राज्य के राजस्व की बचत होती हो।

स्पष्टीकरण: इस विनियम के प्रावधान निम्नलिखित स्थितियों में लागू नहीं होंगे:-

- (i) आकस्मिक अवकाश जिसकी गणना झूटी के रूप में की जाती हो;
- (ii) ऐसे अफसर के मामले में जहां दस सप्ताह अथवा इससे अधिक की अवधि के कोर्स के समापन के उपरांत उन्हें छुट्टी मंजूर की गई है, साथ ही जिन्हें छुट्टी के दौरान ऐसे कोर्स में भाग लेने के लिए भेजा गया है, और
- (iii) ऐसे मामले जहां स्थापना अथवा स्थापना की किसी यूनिट को उसके स्थायी स्टेशन से दूर सामूहिक रूप से अस्थायी तौर पर स्थानांतरित कर दिया गया है, साथ ही ऐसे डिटेचमेंट जो अपने स्थायी स्टेशन से दूर स्थित है।

8. **छुट्टी की हकदारी** अनुशासनिक मामलों के कारण अन्य स्थापनाओं से संलग्न अफसरों और कार्मिकों की छुट्टी निम्न प्रकार से होगी:-

(क) अनुशासनिक मामलों के कारण अन्य स्थापनाओं से संलग्न अफसरों और कार्मिकों को सामान्य झूटी का निष्पादन करते हुए नहीं माना जाएगा और इस कारण सामान्य तौर पर उन्हें कोई छुट्टी अनुमेय नहीं होगी। बशर्ते कि, आपवादिक मामलों में देय छुट्टी की मंजूरी, नितान्त अनुकंपा के आधार पर, ऐसी स्थापना से संलग्न के लिए आदेश जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा दी जाए।

(ख) स्थायी झूटी स्टेशन से भिन्न किसी स्टेशन से छुट्टी पर प्रस्थान के लिए जिन अनुमेय कार्मिकों को अनुमति दी गई है उनको आवश्यकता पड़ने पर उसी स्टेशन पर पुनः कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जाए।

(ग) इस विनियम के अंतर्गत मंजूर की गई छुट्टी न्यूनतम होगी और इसकी मंजूरी तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि छुट्टी स्वीकृतिदाता प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट न हो कि इससे अनुशासनिक मामले में कोई बाधा नहीं पहुंचेगी अथवा इसकी प्रगति में अनावश्यक विलंब नहीं होगा।

9. **अवधि से अधिक समय तक छुट्टी पर रहना**

(क) **अफसर**

(i) यदि कोई अफसर अवधि से अधिक समय तक छुट्टी (आकस्मिक छुट्टी को छोड़कर) पर रहता है तो इस अधिक समय की अवधि के लिए कोई वेतन देय नहीं होगा बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस अवधि के लिए छुट्टी के विस्तार की मंजूरी न दी गई हो। एक समय पर सामान्य हकदारी के परे आकस्मिक छुट्टी की अवधि से अधिक समय तक छुट्टी पर रहने के मामले नौसेना मुख्यालय द्वारा नियमित होंगे बशर्ते अफसर द्वारा ली गई आकस्मिक छुट्टी की कुल अवधि वर्ष के दौरान स्वीकार्य ऐसी छुट्टी की अधिकतम संख्या से अधिक न हो।

(ii) ऐसे मामले जहां किसी कार्मिक द्वारा अवधि से अधिक समय तक छुट्टी पर रहने अथवा प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा छुट्टी के विस्तार की मंजूरी दिए जाने के परिणामस्वरूप एक वर्ष के दौरान स्वीकार्य आकस्मिक छुट्टी की अधिकतम सीमा से आगे बढ़ जाती है तो ऐसी स्थिति में छुट्टी के विस्तार अथवा अधिक समय तक छुट्टी पर रहने की

अवधि सहित आकस्मिक छुट्टी की पूरी अवधि को उस वर्ष के लिए वार्षिक छुट्टी अथवा फर्लो यदि देय हो, माना जाएगा।

(iii) यदि कोई अफसर बाढ़, भूकंप, भूस्खलन आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपनी छुट्टी की अवधि से अधिक समय तक छुट्टी पर रहने पर बाध्य हो जाता है तो ऐसी स्थिति में नौसेना मुख्यालय अपने विवेकाधिकार पर स्वीकार्य छुट्टी की अधिकतम सीमा के अतिरिक्त 30 दिनों की छुट्टी को कार्मिक की भावी वार्षिक छुट्टी की हकदारी अथवा फर्लो, जो भी उचित हो, द्वारा समायोजन करके नियमित कर सकता है।

(ख) **नौसैनिक अथवा आर्टिफिशर अप्रेंटिस**

यदि कोई नौसैनिक अथवा आर्टिफिशर अप्रेंटिस अवधि से अधिक समय तक छुट्टी पर रहता है तो उन पर निम्नलिखित नियम लागू होंगे:-

(i) दोषी पाए जाने पर, उनके विरुद्ध नौसेना अधिनियम 1957 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और नौसेना के लिए विनियम, भाग II के विनियम 41 के अनुसरण में आर्थिक दंड के रूप में वेतन की कटौती की जाएगी।

(ii) दोषी नहीं पाए जाने पर, (आकस्मिक छुट्टी को छोड़ किसी अन्य छुट्टी के मामले में) संबंधित अवधि को कवर करने के लिए छुट्टी के विस्तार की मंजूरी छुट्टी संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी द्वारा दी जाएगी जिसे वर्तमान वर्ष की वार्षिक छुट्टी खाते में जमा किया जाएगा। यदि उस वर्ष के लिए वार्षिक छुट्टी देय नहीं है तो ऐसी छुट्टी को अगले वर्ष की वार्षिक छुट्टी से अग्रिम लिया हुआ माना जाएगा। किसी समय सामान्य हकदारी से अधिक आकस्मिक छुट्टी ग्रहण करने के मामले को उप-विनियम (घ) के खंड (ii) के उप-खंड (कख) में उल्लिखित प्राधिकारियों द्वारा नियमित किया जाएगा बशर्ते कुल अवधि वर्ष के दौरान स्वीकार्य ऐसी छुट्टी की अधिकतम सीमा से अधिक न हो। ऐसे मामले जहां एक वर्ष में स्वीकार्य आकस्मिक छुट्टी की अधिकतम सीमा कार्मिक द्वारा अधिक अवधि तक छुट्टी पर रहने अथवा पोत या स्थापना के कमांडिंग अफसर द्वारा छुट्टी के विस्तार की मंजूरी के परिणामस्वरूप अधिक हो जाती है तो ऐसी स्थिति में छुट्टी के विस्तार अथवा अधिक समय तक छुट्टी पर रहने की अवधि को उस वर्ष के लिए वार्षिक छुट्टी, यदि देय हो, माना जाएगा।

(ग) यदि कोई कार्मिक अपनी बीमारी के कारण एक वर्ष के दौरान स्वीकार्य आकस्मिक छुट्टी की अधिकतम सीमा से अधिक दिन तक आकस्मिक छुट्टी पर रहता है तो ऐसे मामले में पूरी अवधि (आकस्मिक छुट्टी और इससे अधिक छुट्टी पर रहने की अवधि) को स्वीकृत आकस्मिक छुट्टी वाले वर्ष के लिए ग्राह्य वार्षिक छुट्टी यदि देय हो, में से घटा दिया जाएगा। यदि कोई कार्मिक अपनी बीमारी के कारण आकस्मिक छुट्टी की सीमा से अधिक दिन तक छुट्टी पर रहता है जो उनकी वार्षिक छुट्टी हकदारी द्वारा कवर नहीं हो रही, जिसमें बीमार पड़ने की तारीख से 60 दिन तक अधिक छुट्टी पर रहना शामिल है, तो ऐसी छुट्टी को उप-विनियम (घ) में दिए अनुसार और इसमें खंड (ii) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक जांच के उपरांत इसकी सत्यता से संतुष्ट होने के आधार पर नियमित किया जाएगा।

(घ)	(i)	(कक) बीमार पड़ने की तारीख से पूर्व की अवधि	भावी वार्षिक छुट्टी की हकदारी से समायोजन करके
		(कख) बीमार पड़ने की तारीख से 30 दिन तक	अस्वस्थता छुट्टी की तरह पूर्ण वेतन और भत्ते सहित
		(कग) अगले 30 दिन तक	भावी वार्षिक छुट्टी की हकदारी से समायोजन करके
	(ii)	(कक) सैन्य अथवा असैन्य सरकारी अस्पताल में उपचार लेने के मामले में	पोत अथवा स्थापना के कमांडिंग अफसर द्वारा
		(कख) घर पर उपचार के मामले में	पोत अथवा स्थापना के कमांडिंग अफसर द्वारा अधिकतम 30 दिनों तक और नीचे उल्लिखित

## प्राधिकारी द्वारा अधिकतम 60

दिनों तक:-

(कक) यदि पोत में कोई स्क्वॉड्रन सीनियर नहीं हो तो कैप्टन अथवा इससे ऊपर के रैंक के पोत का कमांडिंग अफसर लेकिन यदि कमांडिंग अफसर कमांडर अथवा इससे नीचे रैंक का है तो पोत पर तैनात नौसैनिकों के लिए अपने प्रशासनिक नियंत्रण में प्रशासनिक प्राधिकारी

(कख) अपने स्क्वॉड्रन के पोत पर तैनात नौसैनिकों के मामले में स्क्वॉड्रन का सीनियर अफसर यदि वह कमांडर अथवा इससे ऊपर रैंक का है।

(कग) अपने स्क्वॉड्रन के पोत पर तैनात नौसैनिकों के मामले में प्रशासनिक प्राधिकारी यदि सीनियर अफसर कमांडर से नीचे रैंक का है।

(कघ) अपनी स्थापना में तैनात नौसैनिकों के मामले में तटीय स्थापना का कमांडिंग अफसर

(iii) बीमार पड़ने की तारीख से 60 दिनों की अवधि से अधिक समय तक छुट्टी पर रहने के मामलों को आदेश के लिए केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

**स्पष्टीकरण 1:** जहां सेवानिवृत्ति अथवा सेवामुक्ति के कारण किसी कार्मिक को आने वाले समय में छुट्टी प्राप्त नहीं होती तो ऐसे मामले में खंड (i) के उप-खंड (कक) और (कग) में उल्लिखित अवधि को खंड (ii) के उप-खंड (कक) और (कख) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों द्वारा वेतन और भत्ते रहित असाधारण छुट्टी मानी जाएगी।

**स्पष्टीकरण 2:** जहां अवधि से अधिक समय तक छुट्टी पर रहने की अवधि को अगले वर्ष की वार्षिक छुट्टी पात्रता से समायोजन करने का मामला हो तो ऐसी स्थिति में उस वर्ष की वार्षिक छुट्टी को आवश्यक समायोजन के लिए यथानुपात उपभोग किया माना जाएगा। अगले वर्ष अनुकंपा आधार पर छुट्टी की मंजूरी पर विचार, यदि आवश्यक हो, विनियम 48 के अंतर्गत किया जाएगा।

(iv) यदि कोई नौसैनिक बाढ़, भूकंप और भूस्खलन जैसे प्राकृतिक आपदाओं के कारण स्वीकृत अवधि से अधिक समय तक छुट्टी पर रहता है तो अवधि से अधिक समय तक 30 दिनों तक की ऐसी छुट्टी को कमांडिंग अफसर अपने विवेकाधिकार पर (संचित वार्षिक छुट्टी की अवधि से अधिक समय तक छुट्टी पर रहने की अवधि को इस प्रकार प्रशासनिक प्राधिकारी के आदेश के अंतर्गत नियमित किया जाएगा) नियमित कर सकता है। 30 दिनों में से प्रथम 15 दिन को पूर्ण वेतन और भत्ते सहित विशेष छुट्टी माना जा सकता है और शेष 15 दिन की अवधि को कार्मिक की भावी छुट्टी हकदारी से समायोजित किया जा सकता है। आर्टिफिशर अप्रेंटिस के मामले में पूर्ण वेतन एवं भत्ते सहित 15 दिनों की विशेष छुट्टी कमांडिंग अफसर के विवेकाधिकार पर मंजूर की जा सकती है। नौसैनिकों के मामले में 30 दिन अथवा आर्टिफिशर अप्रेंटिस के मामले में 15 दिन से अधिक दिनों तक की छुट्टी के मामले को आदेशार्थ कार्मिक प्रमुख के समक्ष रखा जाएगा। ऐसे मामले में अवधि से अधिक समय तक छुट्टी पर रहने की अवधि को कार्मिक प्रमुख द्वारा बिना वेतन छुट्टी मंजूर करके नियमित किया जा सकता है।

10. **आधिक्य/अनियमित सभी प्रकार की छुट्टी की मंजूरी का नियमितीकरण- अफसर और नौसैनिक**

(क) अफसर और नौसैनिक के मामले में 60 दिनों तक की आधिक्य/अनियमित सभी प्रकार की छुट्टी की मंजूरी का नियमितीकरण भावी वार्षिक छुट्टी से समायोजन करके अथवा वेतन और भत्ते रहित असाधारण छुट्टी मंजूर करके निम्नलिखित प्रकार की जा सकती है:-

- |      |           |   |
|------|-----------|---|
| (i)  | 30 दिन तक | (कक) कैप्टन/कमोडोर रैंक का कमांडिंग अफसर                                |
|      |           | (कख) नौसेना मुख्यालय के अंतर्गत यूनिट के लिए कार्मिक निदेशक             |
| (ii) | 60 दिन तक | (कक) फ्लैग अफसर कमांडिंग-इन-चीफ और वाइस एडमिरल रैंक का प्रशासनिक प्रमुख |
|      |           | (कख) नौसेना मुख्यालय के अंतर्गत यूनिट के लिए कार्मिक प्रमुख             |

(ख) आधिक्य/अनियमित छुट्टी की मंजूरी जिसमें 60 से अधिक दिनों की अवधि शामिल है, के मामले को सरकार की मंजूरी से नियमित किया जाएगा।

(ग) नौसैनिकों की सेवा मुक्ति/सेवानिवृत्ति के समय जब 30 दिनों तक की आधिक्य/अनियमित आकस्मिक छुट्टी, वार्षिक छुट्टी/संचित वार्षिक छुट्टी, अनुकंपा छुट्टी, अस्वस्थता छुट्टी अथवा किसी अन्य प्रकार की छुट्टी की मंजूरी की बात सामने आती है तो ऐसी छुट्टी को कमोडोर, ब्यूरो ऑफ सेलर्स, मुंबई द्वारा वेतन और भत्ते रहित असाधारण छुट्टी मंजूरी करके नियमित की जाएगी बशर्ते समायोजन के लिए नौसैनिक के खाते में कोई छुट्टी शेष न हो।

11. **छुट्टी का विस्तार** छुट्टी के किसी भी प्रकार के विस्तार के लिए छुट्टी संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी की मंजूरी आवश्यक होगी।

12. **छुट्टी के दौरान झूटी का निष्पादन अथवा कोर्स ऑफ इन्स्ट्रक्शन में भाग लेना**

(क) छुट्टी के दौरान झूटी अथवा कोर्स ऑफ इन्स्ट्रक्शन के लिए नामित कार्मिक ऐसी झूटी अथवा अनुदेश कोर्स की समाप्ति के उपरांत ऐसी झूटी अथवा कोर्स के शुरू होने की तारीख को शेष छुट्टी के समतुल्य छुट्टी के पात्र होंगे।

(ख) जिस आदेश के अंतर्गत कार्मिक को झूटी अथवा कोर्स पर भेजा जाएगा, इसमें झूटी अथवा कोर्स की अवधि के साथ ही झूटी अथवा कोर्स की समाप्ति पर प्रदान की जाने वाली शेष छुट्टी का उल्लेख होगा।

(ग) इस उद्देश्य के लिए छुट्टी स्टेशन से आने-जाने में लगे समय, यदि कोई हो, को झूटी पर माना जाएगा।

13. **छुट्टी से वापस बुलाना**

(क) छुट्टी से वापस बुलाए गए कार्मिक झूटी पर शीघ्र लौटेंगे और वापस बुलाने संबंधी आदेश सक्षम छुट्टी संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। कमान मुख्यालय और सर्विस हेडक्वार्टर में सेवारत अफसर के मामले में झूटी पर वापस बुलाने का प्राधिकार यात्रा विनियम 2014 (संशोधित) के अनुच्छेद 151 द्वारा शासित होगा।

(ख) छुट्टी स्टेशन से झूटी स्टेशन तक जाने में लगे समय को झूटी पर माना जाएगा।

(ग) यदि ऐसे व्यक्ति को ग्रहण न की गई, शेष छुट्टी मंजूर की जाती है तो उन्हें उनकी झूटी स्टेशन से छुट्टी स्टेशन तक जाने में लगे समय को कवर करने के लिए अतिरिक्त छुट्टी दी जाएगी।

(घ) जब कोई व्यक्ति वार्षिक छुट्टी पर प्रस्थान करता है और जिसका कोई भाग अगले कैलेंडर वर्ष में पड़ता है और ऐसी स्थिति में यदि उसे झूटी पर बुलाया जाता है तो झूटी की समाप्ति के उपरांत मंजूर की गई शेष छुट्टी बाद वाले वर्ष में वार्षिक छुट्टी की हकदारी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

14. **आकस्मिक छुट्टी**

(क) आकस्मिक छुट्टी की गणना झूटी के रूप में की जाती है, परंतु ऐसी छुट्टी का उपयोग किसी प्रकार की छुट्टी अथवा अनुपस्थिति को पूरा करने के लिए नहीं किया जाएगा।

(ख) वर्ष में देय आकस्मिक छुट्टी उस वर्ष के भीतर ही ली जाएगी।

(ग) फिर भी, यदि किसी व्यक्ति को वर्ष के अंत में ऐसी आकस्मिक छुट्टी दी गई हो जिसकी अवधि अगले वर्ष तक चली जाती हो तो जो अवधि अगले वर्ष में चली जाएगी, उसके लिए अगले वर्ष की आकस्मिक छुट्टी की हकदारी से घटा दिया जाएगा।

15. **वार्षिक छुट्टी**

(क) किसी वर्ष के लिए वार्षिक छुट्टी को अगले कैलेंडर वर्ष की अवधि में छुट्टी संस्वीकृतिदाता अधिकारी के विवेक से बढ़ाया जा सकता है। ऐसा करने के क्रम में उस वर्ष में प्राधिकृत वार्षिक छुट्टी पर विस्तारित छुट्टी की अवधि के बढ़ जाने से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ख) वार्षिक छुट्टी उसी वर्ष में किस्तों में ली जानी चाहिए।

(ग) वार्षिक छुट्टी वर्ष कैलेंडर वर्ष होगा, नामतया 01 जनवरी-31 दिसंबर; तथा

(घ) वार्षिक छुट्टी संचित नहीं होगी परंतु ये विनियम 45 तथा 57 के अनुसार जुड़ भी सकती हैं।

16. **फर्लो**

(क) फर्लो एक एकमुश्त प्रावधान है जिसका लाभ एक व्यक्ति उठा सकता है। यह लाभ किसी भी समय 03 वर्ष की अवधि के चक्र पूरे होने पर उठाया जा सकता है।



(ख) अफसर या तो फर्लो ले सकते हैं या इसे वार्षिक छुट्टी के साथ लिया जा सकता है।

(ग) (i) 03 वर्ष के पूरे चक्र में अर्जित फर्लो को 03 वर्ष के अगले चक्र में नहीं जोड़ा जा सकता।

(ii) तीन वर्ष के एक चक्र में मंजूर की गई फर्लो को अगले 03 वर्ष के चक्र में छुट्टी मंजूर करने वाले अधिकारी के विवेक से बढ़ाया जा सकता है। ऐसी फर्लो की गणना उन तीन वर्षों के चक्र की हकदारी के अनुसार की जाएगी जिनमें यह शुरू होती है, इस पर उन तीन वर्षों, जिसमें छुट्टी खत्म होती है, की फर्लो की हकदारी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा; पर अगला फर्लो तब तक मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक कि अफसर झूटी पर कार्य न करने लगे।

(घ) फर्लो संचित नहीं होगी।

#### 17. अस्वस्थता छुट्टी

(क) विनियम 23 तथा 47 में दर्शाए अनुसार सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी की सिफारिशों पर अस्वस्थता छुट्टी मंजूर की जाएगी।

(ख) आरोग्य या गैर-आरोग्य रोगों के लिए अस्वस्थता छुट्टी को मंजूर करने में कोई अंतर नहीं किया जाएगा।

18. अस्वस्थता छुट्टी के बाद झूटी पर पुनः कार्यग्रहण करने की अनुमति: जिस व्यक्ति की अस्वस्थता छुट्टी मंजूर की गई हो वह झूटी पर तब तक नहीं लौट सकता जब तक सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी ने उसे फिट (स्वस्थ) घोषित न कर दिया हो और संस्वीकृतिदाता सक्षम प्राधिकारी ने उसे ऐसा करने की अनुमति न दे दी हो।

19. संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी: संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी वही होंगे जिनके नाम इस विनियमावली के परिशिष्ट 'क' में दिए गए हैं।

#### अध्याय-II

#### खंड 1-नियमित अफसरों पर लागू विनियम (इसमें स्पेशल झूटी लिस्ट के अफसर शामिल हैं)

20. आकस्मिक छुट्टी: एक कैलेंडर वर्ष में स्वीकार्य आकस्मिक छुट्टी की अधिकतम संख्या 20 दिन होती है। एक बार में ही 20 दिनों की आकस्मिक छुट्टी, संस्वीकृतिदाता के विवेक पर निर्भर करती है।

#### 21. वार्षिक छुट्टी

(क) प्रत्येक वर्ष स्वीकार्य वार्षिक छुट्टी 60 दिनों की होती है और इसे संचित नहीं किया जा सकता है।

(ख) अफसर वार्षिक छुट्टी के दौरान अपने पोत या संस्थापना की नफरी पर रहेंगे और इस अवधि के दौरान उनके स्थान पर कोई भी कार्यकारी (एक्टिंग) पदोन्नति स्वीकार्य नहीं होगी। परंतु नौसेना भाग-III (सांविधिक) विनियम 202, उप-विनियम 13 (क) में दिए गए प्रावधान इस नियम के अपवाद हैं।

(ग) एक पोत या स्थापना से स्थानांतरित होने की स्थिति में, ऐसे अफसर जिन्होंने कार्य-ग्रहण के पूर्व अपने नए पोत या स्थापना के कमांडिंग अफसर की अनुमति से वार्षिक छुट्टी ली है, उन्हें उस पोत/स्थापना की नफरी पर लिया जाएगा तथा ऐसा माना जाएगा कि वे अपनी नई नियुक्ति से ही छुट्टी पर गए हैं।

#### 22. फर्लो

(क) स्वीकार्य फर्लो की अवधि प्रत्येक तीन वर्ष में 02 माह की होगी और इसे इस अवधि के दौरान किसी भी समय लिया जा सकता है।

(ख) फर्लो की किस्तों में लिया जा सकता है।

(ग) खंडित अवधि की गणना के लिए 30 दिनों को एक माह गिना जाएगा।

ब्याख्या फर्लो की गणना के लिए, जिस वर्ष किसी व्यक्ति को कमीशन दिया जाता है उस वर्ष से तीन कैलेंडर वर्ष के चक्र की शुरुआत होगी।

#### 23. अस्वस्थता छुट्टी

(क) (i) प्रथम बार अस्वस्थता की छुट्टी छः महीने की अवधि तक दी जाएगी, जिसमें देय वार्षिक छुट्टी भी शामिल होती है।

(ii) 'सिक बे' या अस्पताल में उपचार के दौरान अस्वस्थता की छुट्टी अधिकृत चिकित्सा एटेंडेंट की सिफारिश पर प्रदान की जाएगी।

- (iii) स्वास्थ्यलाभ के लिए अस्वस्थता की छुट्टी केवल चिकित्सा बोर्ड की सिफारिश पर प्रदान की जाएगी।
- (ख) (i) यदि किसी अफसर की झूठी के लिए फिट हो जाने की पर्याप्त संभावना हो तो उसे तीन महीने की छुट्टी बढ़ाने अर्थात् कुल 12 माह तक झूठी में अनुपस्थित रहने की स्वीकृति चिकित्सा बोर्ड की सिफारिश पर ही दी जाएगी।
- (ii) 12 महीनों की छुट्टी की समाप्ति पर, यदि चिकित्सा बोर्ड को ऐसा लगे कि उस अफसर की झूठी के लिए फिट हो जाने की काफी संभावना है तो उनकी छुट्टी कुल 24 माह तक छुट्टी मंजूर करने वाले अधिकारी के विवेक से बढ़ाई जा सकेगी।

**व्याख्या 1.** सैन्य अस्पताल में उपचार करवा रहे अफसरों को अधिकतम 10 दिनों की छुट्टी दी जा सकती है ताकि वे अपने महत्वपूर्ण घरेलू कार्यों को करवा सकें, बशर्ते छुट्टी की ऐसी मंजूरी से उनके उपचार में कोई व्यवधान न हो। इस छुट्टी को छुट्टी विनियम के तहत अस्वस्थता की छुट्टी माना जाएगा और इसे अफसर कमांडिंग हॉस्पिटल के विवेक से प्रदान किया जाएगा।

**व्याख्या 2.** चरम अनुकंपा के आधार पर सैन्य अस्पताल के कमांडिंग अफसर दूसरे चरण की आकस्मिक छुट्टी मंजूर कर सकते हैं, जो उपर्युक्त परिस्थितियों पर निर्भर करेंगी।

**व्याख्या 3.** ऐसे मामलों में जहां सैन्य अस्पताल के कमांडिंग अफसर को ऐसा प्रतीत हो कि ऐसी छुट्टी के दौरान मरीज़ की अपनी लापरवाही के कारण उसके उपचार में कमी आई है तो वह कमांडिंग अफसर नौसेना मुख्यालय को ऐसी छुट्टी को बिना वेतन एवं भत्ते वाली असाधारण छुट्टी में तब्दील करने का आग्रह करेंगे।

**व्याख्या 4.** यदि वैमानिकी अफसर के रूप में उड़ान झूठी पर तैनात पायलट तथा ऑब्ज़र्वर को चोट लग गई हो या उन्हें उड़ान के दौरान घटित दुर्घटना के प्रत्यक्ष कारण से कोई संक्रामक रोग लग गया हो तो उन्हें अधिकतम 2½ वर्ष की बीमारी की छुट्टी सक्षम चिकित्सा बोर्ड की सिफारिश पर छुट्टी प्रदान करने वाले सक्षम अधिकारी के विवेक पर प्रदान की जाएगी।

#### 24. **अस्वस्थता सूची छूट**

(क) यदि झूठी करते हुए या आकस्मिक छुट्टी पर रहते हुए कोई अफसर बीमार पड़ जाए तो उनका नाम स्वतः ही 30 दिनों या इससे कम समय के लिए अस्वस्थता सूची (सिक लिस्ट) पर दर्ज कर लिया जाएगा। इस अवधि में उनको झूठी पर माना जाएगा, यदि यह किसी अन्य प्रकार की बीमारी की छुट्टी के साथ जुड़ी स्वतः ही नहीं जुड़ी हो, बशर्ते बीमारी किसी ऐसे कारण से हुई हो जो उनके अपने नियंत्रण में न हों।

(ख) उप-विनियम में इस संदर्भित छूट को बीमार सूची छूट (सिक लिस्ट कॉन्शेसन), जो स्वीकार्य नहीं होती है, कहा जाता है। यह तब स्वीकार्य नहीं होती जब वह (छुट्टी) 30 दिनों से ज्यादा बढ़ जाए तथा ऐसी स्थिति में पूरी अवधि को बीमारी की छुट्टी (सिक लीव) माना जाएगा।

**व्याख्या.** जब कोई अफसर आकस्मिक छुट्टी पर रहते हुए बीमार पड़ जाए तो बीमारी की छुट्टी की गणना उनके बीमार पड़ने के दिन से गिनी जाएगी और उस तारीख के पूर्व ली गई आकस्मिक छुट्टी को निष्प्रभावी नहीं किया जाएगा।

#### 25. **अशक्तता छुट्टी**

##### (क) **आरोप्य (एट्रीब्यूटेबल) मामले**

(i) चिकित्सा वर्ग एस 5 ए 5 (S5A5) में आने वाले अफसर तथा जिन्हें सैन्य अस्पताल में रखा गया हो, को आठ माह तक की छुट्टी प्रदान की जाएगी, यह उनके झूठी से अनुपस्थित रहने के प्रथम दिन से शुरू हो जाएगी।

(ii) तपेदिक से ग्रस्त अफसर, जिन्हें सैन्य अस्पताल में दाखिल कराया गया हो, के मामले में उपखंड (i) में संदर्भित आठ माह की अवधि को उस तारीख तक बढ़ाया जाएगा जब चिकित्सकीय उपचार या शल्य उपचार करने का निर्णय लिया गया हो, बशर्ते विनियम 23 के उप-विनियम (ख) की सीमा-अवधि आगे बढ़ गई हो।

(ख) गैर-आरोप्य मामलों में उप-विनियम (क) के तहत प्रदान नहीं की जाएगी।

(ग) नौसेना के ऐसे अफसर जिन्हें आरोप्य तथा गैर-आरोप्य मामलों में आगे की सेवा के लिए चिकित्सकीय तौर पर फिट न पाए जाने की स्थिति में सेवा मुक्त किया जाना है, उन्हें उनकी जमा वार्षिक छुट्टी की संख्या के बराबर 'लीव पेंडिंग रिलीज़' प्रदान की जाएगी, यदि कोई हो। यह छुट्टी पोट/स्थापना से बेबाकी प्रमाण-पत्र मिलने की तारीख से उसके छुट्टी खाते में जोड़ दी जाएगी।

## 26. **भारत के बाहर जाने पर दी जाने वाली छुट्टी (लीव एक्स-इंडिया)**

(क) इन विनियमों के तहत (स्वीकार्य) छुट्टी को निम्नलिखित तरह से भारत के बाहर भी मंजूरी दी जाएगी:-

- (i) मेडिकल बोर्ड की सिफारिश पर
- (ii) अफसरों को अध्ययन या मनोरंजन के लिए
- (iii) विदेश में व्यक्तिगत अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए।

(ख) यह छुट्टी विनियम 5 के अनुसार शुरू और खत्म होगी और इस पर भारत सरकार द्वारा समय-समय पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध का प्रभाव पड़ेगा।

## 27. **शिशु देखभाल छुट्टी**

(क) शिशु देखभाल छुट्टी स्थाई कमीशन प्राप्त महिला अफसरों को पूरी सर्विस के दौरान 360 दिनों के लिए 18 वर्ष से कम उम्र के दो जीवित बच्चों की देख-रेख के लिए दी जाती है। यह उनके पालन या परीक्षा या बीमारी से संबंधित आवश्यकता को पूरा करने के लिए दी जाती है। फिर भी, यदि बच्चे को 40% से कम की निःशक्तता के मामले में सी सी एल के लिए न्यूनतम आयु-सीमा 18 वर्ष की जगह 22 वर्ष होगी।

(ख) सी सी एल दो बड़े जीवित बच्चों (चाहे एक बार जन्मे या इससे अधिक बार जन्मे हों) के लिए लागू होगा। यह गोद लेने वाली माताओं के मामले में भी लागू होगी।

(ग) सी सी एल एक कैलेंडर वर्ष में दो बार से अधिक बार प्रदान नहीं की जाएगी।

(घ) सी सी एल कम-से-कम 15 दिनों से कम की अवधि के लिए मंजूर नहीं की जाएगी तथा हर बार में अधिक-से-अधिक 30 दिनों की अवधि तक के लिए ही मंजूर की जाएगी जो बढ़कर 60 दिनों के लिए एक कैलेंडर वर्ष में हो सकती है। वैसे मामलों में जब सी सी एल अगले वर्ष में चली जाती है तो उसे छुट्टी के शुरूआती वर्ष की ही एक पारी माना जाएगा।

(च) ऐसे अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अफसर, जिन्हें उनके सर्विस कैरियर के दौरान बाद में स्थाई कमीशन प्रदान किया जाता है, उन्हें स्थाई कमीशन प्राप्त अफसर को अधिकृत सी सी एल तथा बतौर एस एस सी अफसर के कार्यकाल में ली गई सी सी एल का अंतर प्रदान किया जाएगा। यह अवधि 360 दिन से अधिक नहीं होगी।

(छ) सी सी एल को वार्षिक छुट्टी ही माना जाए तथा इसे भी सी सी एल की ही तरह मंजूर किया जाए। परिणामस्वरूप, शनिवार, रविवार, राजपत्रित अवकाश आदि जो इस छुट्टी के दौरान आएंगे, उनकी गणना सी सी एल की ही तरह ही जाए जैसा कि वार्षिक छुट्टी के मामले में किया जाता है। इसी तरह से, सी सी एल में अवकाशों को प्रीफिक्स/सफिक्स किया जा सकता है, जैसा कि वार्षिक छुट्टी के मामले में किया जाता है।

(ज) सी सी एल को किसी अन्य छुट्टी के एवज़ नहीं लिया जा सकता।

(झ) शिशु देखभाल छुट्टी की मांग अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती। इसे सैन्य सेवा की तात्कालिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मंजूर किया जाएगा।

(ट) शिशु देखभाल छुट्टी आकस्मिक छुट्टी को छोड़कर किसी भी अन्य तरह की छुट्टी के साथ जोड़ी जा सकती है।

(ठ) यदि महिला अफसर सरकारी आदेश की अनुपस्थिति में 01 सितंबर से 04 मार्च 14 के बीच की अवधि के दौरान सी सी एल न ले पा रही हों तो उनके संबंध में निम्नलिखित दिशा-निर्देश लागू होते हैं:-

- (i) ऐसी महिला अफसर जिन्होंने इस अवधि के दौरान विशेष रूप से बच्चों की देखभाल करने के लिए वार्षिक छुट्टी ली हों, वे इस छुट्टी को सी सी एल के साथ परिवर्तित करवा सकती हैं, बशर्ते वे इस पैराग्राफ में बताई गई अन्य शर्तों को पूरा करती हों।

(ii) संबंधित महिला अफसर से कमांडिंग अफसर द्वारा प्रति-हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र लिया जाएगा जिसमें यह सत्यापित किया जाएगा कि बीच में आने वाली इस अवधि की छुट्टी का प्रयोग केवल बच्चों की देखभाल के लिए किया गया।

(iii) एक बार दी जाने वाली विशिष्ट छूट के तौर पर ये अफसर वार्षिक छुट्टी को सी सी एल में बदलने के क्रम में ली गई इस बीच में आने वाली अवधि

के लिए वार्षिक छुट्टी का नकदीकरण करवा सकते हैं पर यह नकदीकरण एक कैलेंडर वर्ष में 30 दिनों तक का तथा अधिकतम 300 दिनों तक का हो सकता है।

(ड) महिला अफसरों को परखाधीन/प्रशिक्षण की अवधि के दौरान सी सी एल नहीं दी जाएगी (इस अवधि में प्री-कमीशनिंग प्रशिक्षण तथा इंस्ट्रक्शन का पोस्ट-कमीशनिंग कोर्स शामिल होंगे)

(ढ) सी सी एल के दौरान एल टी सी ली जा सकती हैं।

(त) पैरा ठ (i) से (iii) के उपर्युक्त विनिर्देश के अनुसार एक बार की छूट होगी और इसे भविष्य में उद्धृत नहीं किया जा सकता।

28. **मातृत्व छुट्टी.** विवाहित महिला अफसरों को मातृत्व छुट्टी निम्नलिखित अनुसार प्रदान की जाएगी:-

(क) प्रत्येक प्रसूति के लिए पूरे वेतन के साथ 180 दिनों की छुट्टी जो अधिकतम दो प्रसूतियों/दो जीवित बच्चों के लिए दी जाएगी।

(ख) आपवादिक मामलों में, इसमें नौसेना मुख्यालय (कार्मिक प्रमुख) द्वारा एक माह का विस्तार किया जा सकता है जो बिना वेतन के वार्षिक छुट्टी तथा फर्लों पात्रता के साथ होगी।

(ग) गर्भपात/इच्छित गर्भपात (जिसमें एम टी पी अधिनियम के तहत गर्भावस्था की चिकित्सकीय समाप्ति शामिल है) के मामले में पूर्ण वेतन एवं भत्ते के साथ 30 दिनों की छुट्टी, जिस पर निम्नलिखित प्रतिबंध लागू होंगे:-

(i) अफसर को उसके सेवाकाल के दौरान दो बार से अधिक यह छुट्टी नहीं दी जाएगी।

(ii) दो क्रमिक मातृत्व छुट्टी के मध्य कम-से-कम 24 माह का अंतराल होना चाहिए।

29. **शिशु दत्तक ग्रहण छुट्टी.** सेना की ऐसी महिला अफसर, जिनके दो से कम जीवित बच्चे हों, उन्हें एक वर्ष से कम आयु के बच्चे के वैध दत्तक ग्रहण की अवस्था में, वैध दत्तक ग्रहण के तुरंत बाद 180 दिनों की शिशु दत्तक ग्रहण छुट्टी दी जाएगी जो नैसर्गिक मां के लिए अनुज्ञेय मातृत्व छुट्टी के अनुसार ही होगी। यह सुविधा पी सी तथा एस एस सी महिला अफसरों के लिए समान रूप से लागू होगी। इस छुट्टी के लिए निम्नलिखित शर्तें होंगी:-

(क) यह सुविधा ऐसी महिला अफसरों को नहीं दी जाएगी जिनके पास दत्तक ग्रहण के समय दो जीवित बच्चे हों।

(ख) इसे विसर्पी मान (स्लाइडिंग स्केल) पर वार्षिक छुट्टी तथा फर्लों के साथ जोड़ा जा सकता है, यह दत्तक ग्रहण की तारीख पर शिशु की आयु पर निर्भर करता है। इसके लिए शिशु दत्तक ग्रहण अवकाश पर विचार नहीं किया जाएगा, जैसा कि नीचे बताया गया है:-

(i) यदि शिशु की आयु 09 महीने से कम हो तो अधिकतम चार महीने की अवधि (दो महीने की वार्षिक छुट्टी तथा दो महीने की फर्लों, जैसा कि मौजूदा छुट्टी विनियम में प्राधिकृत है) की छुट्टी दी जा सकती है।

(ii) यदि शिशु की उम्र नौ माह या इससे ऊपर की हो पर बारह माह से कम हो तो तीन माह की छुट्टी दी जाएगी (वार्षिक छुट्टी तथा फर्लों जैसा कि मौजूदा छुट्टी विनियम में प्राधिकृत है)

(ग) शिशु दत्तक ग्रहण अवकाश को अवकाश खाते से घटाया नहीं जाएगा। इसे एक बार में ही दिया जाएगा।

(घ) छुट्टी का वेतन उतना ही होगा जितना छुट्टी पर जाने के ठीक पूर्व आहरित वेतन है।

30. **शिशु के जन्म पर पितृत्व अवकाश:-** रक्षा सेवा के पुरुष सैन्य कार्मिकों को शिशु के जन्म पर 15 दिन का पितृत्व अवकाश दिया जाएगा जो निम्नलिखित शर्तों पर निर्भर करेगा:-

(क) सैन्य कार्मिक के दो से कम जीवित बच्चे होने चाहिए।

(ख) अवकाश कार्मिक की पत्नी की प्रसूति अवधि के दौरान मंजूर किया जाएगा अर्थात् शिशु के जन्म से 15 दिन पूर्व या छः महीने बाद तक।

(ग) पितृत्व अवकाश को वार्षिक छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है।

31. **शिशु के दत्तक ग्रहण पर पितृत्व अवकाश:-** पुरुष सैन्य कार्मिकों को शिशु के दत्तक ग्रहण पर 15 दिनों का पितृत्व अवकाश दिया जाएगा जिसकी शर्तें निम्नलिखित हैं:-

(क) सैन्य कार्मिकों के दो जीवित बच्चों से कम बच्चे होने चाहिए।

(ख) वैध दत्तक ग्रहण की तारीख को एक वर्ष से नीचे होना चाहिए।

(ग) शिशु के वैध दत्तक ग्रहण की तारीख से छः माह के अंदर 15 दिनों की अवधि के लिए अवकाश दिया जाएगा।

(घ) पितृत्व अवकाश को वार्षिक छुट्टी में जोड़ा जा सकता है।

32. **अध्ययन छुट्टी:-**

(क) नौसेना के सभी नियमित अफसर अध्ययन छुट्टी नामक अतिरिक्त छुट्टी पाने की अर्हता रखते हैं और वे विशेष अध्ययन के लिए निम्नलिखित शर्तों के तहत भारत में या इससे बाहर अध्ययन को जारी रख सकते हैं-

(ख) अध्ययन छुट्टी की मंजूरी के लिए शर्तें

(i) नौसेना की सभी शाखाओं के अफसरों को अध्ययन छुट्टियां दी जाएंगी।

(ii) अफसरों को अध्ययन छुट्टी प्रदान की जाएगी ताकि वे भारत में या इससे बाहर अध्ययन का विशिष्ट गैर-शैक्षणिक नौसेना मुख्यालय द्वारा प्रमाणित कोर्स को पूरा कर सकें और सशस्त्र सेना बल के अफसर के रूप में उनकी उपयोगिता बढ़ाई जा सके।

(iii) भारत के बाहर के उसी गैर-शैक्षणिक अध्ययन के पाठ्यक्रम के लिए भेजा जाएगा जो भारत के किसी विश्वविद्यालय या संस्थान में उपलब्ध नहीं है।

(iv) उस अफसर को आमतौर पर अध्ययन छुट्टी नहीं दी जाएगी जिसने 5 वर्ष से कम की सर्विस (सेवा) की हो और जो छुट्टी से वापस आने की तारीख से 5 वर्ष के अंदर सेवानिवृत्त होने वाला हो।

(v) आमतौर पर अध्ययन छुट्टी की अधिकतम अवधि 24 महीने होगी। इसे जिस वर्ष अध्ययन छुट्टी शुरू होती है उस वर्ष की दो माह की वार्षिक छुट्टी (यदि नहीं ली गई हो) लेकर विस्तारित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, इसमें तीन वर्ष की अवधि की फलों की हकदारी भी शामिल है जिसमें से वे दो महीने की छुट्टी ले सकते हैं यदि उस विशिष्ट अध्ययन के लिए लेना जरूरी हो। इन तीन वर्षों के फलों के दौरान अनुज्ञेय वेतन फलों दर से ही दी जाएगी। अफसरों की पूरे सेवाकाल के दौरान वार्षिक छुट्टी तथा फलों समेत अधिकतम अध्ययन छुट्टी 28 माह की होगी।

(vi) पूरे सेवाकाल के दौरान एक अफसर को अध्ययन छुट्टी दो बार से अधिक नहीं दी जा सकती, बशर्ते यह अवधि उपर्युक्त पैरा 32 (ख) (v) की कुल 28 महीने की सीमा के अंदर हो।

(vii) अध्ययन छुट्टी की रिक्तियां भरी जाएंगी।

(viii) अध्ययन छुट्टी की मंजूरी से पहले सम्बद्ध अफसर लिखित में यह वचन देगा कि वह सामान्यतः कमीशन से सेवानिवृत्ति की इच्छा जाहिर नहीं करेगा या इस्तीफा नहीं देगा। छुट्टी में वापस आने के बाद 5 वर्ष की अवधि के अंदर खराब स्वास्थ्य तथा अनुकंपा आधार इसका अपवाद है।

(ix) यदि कोई अफसर अध्ययन छुट्टी से वापस आने के बाद सेवा की निर्धारित अवधि पूरा करने के बाद कमीशन से इस्तीफा देना चाहते हैं, उपर्युक्त पैरा 32 (ख) (viii) के आधार को छोड़कर तो उन्हें लीव सैलरी, अध्ययन भत्ता, फीस की लागत, यात्रा भत्ता और भारत सरकार के द्वारा वहन किए गए अन्य खर्च, यदि कोई हो तथा विदेशी सरकार, प्रतिष्ठान तथा ट्रस्ट जैसी अन्य एजेंसियों के खर्च को वापस लौटाना होगा।

(ग) अध्ययन छुट्टी के दौरान अफसर अपने वर्तमान रैंक का पूरा वेतन तथा नगर प्रतिकर भत्ता (सिटी कम्पेंसेटरी एलाउंस) को छोड़कर सभी अन्य भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(घ) अध्ययन छुट्टी उसी तारीख से शुरू होगी जबसे अफसर का नाम यूनिट की नफरी से हटा दिया जाएगा। अफसर को उस यूनिट में छुट्टी पूरी होने की तारीख से अगली तारीख को रिपोर्ट करना होगा।

(च) **यात्रा की अवधि-** अपनी तैनाती वाले स्टेशन से अध्ययन स्थल तक जाने में लगे समय को अध्ययन की समाप्ति पर अध्ययन छुट्टी ही माना जाएगा।

(छ) अध्ययन वेतन, यात्रा भत्ता तथा आवेदनों को जमा करना तथा अध्ययन छुट्टी की मंजूरी संबंधित शर्तों का उल्लेख एन आई (नौसेना अनुदेश) 4/86 में किया गया है।

### **खंड-II भारतीय नौसेना के अल्पकालिक सेवा कमीशन अफसरों पर लागू विनियमावली**

33. **आकस्मिक छुट्टी** आकस्मिक छुट्टी स्केल या नियमित अफसरों के बारे में विनियम 20 में बताई गई शर्तों के अनुसार देय होगी।
34. **वार्षिक छुट्टी** वार्षिक छुट्टी स्केल या नियमित अफसरों पर लागू विनियम 21 में बताई गई शर्तों के अनुसार देय होगी।
35. **फर्लों** फर्लों छुट्टी स्केल या नियमित अफसरों पर लागू विनियम 22 में बताई गई शर्तों के तहत देय है।
36. **अस्वस्थता छुट्टी** अस्वस्थता छुट्टी स्केल या नियमित अफसरों पर लागू विनियम 23 तथा 24 में बताई गई शर्तों के तहत मिलेगी, इसके अलावा अवकाश को 12 महीने से अधिक अवधि तक बढ़ाया जा सकेगा, बशर्ते विस्तारित छुट्टी अफसर की वर्तमान नियुक्ति के अंदर आती हो तथा उनके वर्तमान नियुक्ति पर जारी रहने की यथोचित संभावना हो।

**ब्याख्या** नौसेना विमानन अफसरों के लिए विनियम 23 के अधीन 2½ वर्ष की अस्वस्थता छुट्टी प्रदान की जाएगी लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे संभवतः इस वर्तमान नियुक्ति की समयावधि समाप्ति के बाद सेवा में बने रहने की संभावना हो या वर्तमान नियुक्ति तक सेवारत रहेंगे और यदि उनकी यह नियुक्ति प्रदान की गई इस छुट्टी की अवधि में समाप्त हो रही हो।

### 37. **अशक्तता छुट्टी**

(क) आरोग्य मामलों में 'चिकित्सा श्रेणी एस 5ए5 (S5A5)' के अंतर्गत आने वाले अफसर जिन्हें मिलिटरी अस्पताल में भर्ती किया गया है उन्हें आठ महीने तक की छुट्टी मंजूर की जाएगी और यह छुट्टी ड्यूटी से अनुपस्थिति के प्रथम दिन से शुरू होगी।

(ख) तपेदिक से पीड़ित अफसर जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है उनकी यह छुट्टी उप-विनियम (क) में बताई गई आठ महीने की अवधि के लिए चिकित्सा या सर्जरी पूरी होने की तारीख बढ़ाई जा सकती है जो अधिकतम चौबीस माह तक की हो सकती है तथा बशर्ते विस्तारित छुट्टी उस अफसर के वर्तमान एंगेजमेंट के तहत आती हो।

(ग) नौसेना के ऐसे अफसर जिन्हें आगे की सेवा के लिए चिकित्सीय आधार पर अनफिट घोषित करके कार्यमुक्त किया जाना है और आरोग्य तथा गैर-आरोग्य दोनों मामलों में, उन्हें लीव पेंडिंग रिलीज दी जाएगी, जो उनके खाते में जमा होने वाली वार्षिक छुट्टी के बराबर होगी, यह पोत/स्थापना से अनुमति मिलने की तारीख से दी जाएगी।

### 38. **नियुक्ति (इंगेजमेंट) की समाप्ति पर छुट्टी**

अफसर की नियुक्ति (इंगेजमेंट) की समाप्ति पर यह नीचे दिए अनुसार छुट्टी के हकदार होंगे:-

(क) ऐसे अफसर जिन्होंने अपनी अल्पकालिक सेवा नियुक्ति (इंगेजमेंट) की प्रारंभिक अवधि पूरी कर ली हो या जिनकी सेवा केंद्र सरकार ने समाप्त कर दी हो, वे वार्षिक छुट्टी के अतिरिक्त 28 दिन की छुट्टी के हकदार होंगे यह छुट्टी इन्हें उनकी नियुक्ति (इंगेजमेंट) समाप्त होने वाले वर्ष में प्राप्त होगी।

### 39. **शिशु देखभाल छुट्टी**

(क) शिशु देखभाल छुट्टी 18 वर्ष की आयु से नीचे की दो जीवित संतानों की देखभाल के लिए चाहे वह पालन-पोषण हो या उनकी किसी भी जरूरतों को पूरा करने जैसे परीक्षा, वीमारी इत्यादि, से संबंधित हो, अल्पकालिक सेवा कमीशन की महिला अफसरों के लिए पूरी सेवा के दौरान 180 दिनों के लिए अनुमत है। तथापि, यदि शिशु को 40% न्यूनतम अशक्तता हो,

तो शिशु देखभाल छुट्टी प्राप्त करने के लिए शिशु की आयु सीमा 18 वर्ष के बजाय 22 वर्ष होगी।

(ख) अन्य सभी विनियम जो शिशु देखभाल छुट्टी से संबंधित हों और जैसा कि स्थाई कमीशन की महिला अफसरों के लिए विनियम 27(ख) से (ठ) में वर्णित है, अल्पकालिक सेवा कमीशन की महिला अफसरों के लिए भी लागू होंगे।

40. **शिशु दत्तकग्रहण अवकाश** महिला एस एस सी अफसरों को शिशु दत्तकग्रहण अवकाश वेतनमान और नियमित अफसरों पर लागू नियम एवं शर्तों के आधार पर जैसा विनियम 29 में दिया गया है, अनुमत होगी।
41. **शिशु के जन्म पर पितृत्व अवकाश** शिशु के जन्म पर पैतृत्व अवकाश वेतनमान और नियमित अफसरों पर लागू नियम एवं शर्तों के अंतर्गत, जैसा कि विनियम 30 में वर्णित है, स्वीकार्य होगा।
42. **बच्चा गोद लेने पर पितृत्व अवकाश** बच्चा गोद लेने पर पितृत्व अवकाश वेतनमान और नियमित अफसरों पर लागू नियम एवं शर्तों के अंतर्गत जैसा कि विनियम 31 में वर्णित है, स्वीकार्य होगा।
43. **मातृत्व अवकाश** विवाहित महिला एस एस सी अफसरों को मातृत्व अवकाश वेतनमान और नियमित अफसरों पर लागू नियम एवं शर्तों के अंतर्गत जैसा कि विनियम 28 में वर्णित है, अनुमत होगा।

### **अध्याय III**

#### **खण्ड 1- नौसैनिकों पर लागू विनियम**

#### **44. आकस्मिक अवकाश**

(क) एक वर्ष में आकस्मिक अवकाश की अधिकतम संख्या 30 दिन की होगी।

(ख) सामान्यतः आकस्मिक अवकाश एक बार में 10 दिनों से अधिक अवधि के लिए प्रदान नहीं किया जाएगा। एक बार में 30 दिनों तक की छुट्टी, अवकाश संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी के विवेक पर प्रदान की जा सकती है।

(ग) सशस्त्र सेना अस्पतालों में इलाज करवा रहे नौसैनिक/अर्टीफिशर एपरेंटिस को अपनी घरेलू आकस्मिक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए नीचे दर्शाई गई सीमा एक आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है, बशर्ते ऐसी छुट्टियां उनके इलाज को प्रभावित न करती हो:-

(i) उन कर्मियों को अधिकतम 10 दिन के आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाएगा जिनके घर अस्पताल से 800 किमी के दायरे के अंदर हो।

(ii) 10 या अधिक दिनों का आकस्मिक अवकाश उन कर्मियों को प्रदान किया जाएगा जिनके घर अस्पताल से 800 किमी की दूरी से अधिक दूरी पर हो जिससे उन्हें न्यूनतम 6 दिनों तक घर पर रहने की अनुमति मिल सके।

**व्याख्या 1:** यह अवकाश केवल आपातकालीन स्थितियों में स्वीकार्य होगा और इसे अस्पताल कमान अफसर के विवेकानुसार प्रदान किया जाएगा। तपेदिक के मरीजों के मामले में यह अवकाश इलाज के प्रथम 12 महीनों की अवधि के दौरान ही स्वीकार्य होगा बशर्ते वे संचारी (Ambulatory) और गैर-संक्रामक हो। अन्य मरीजों के मामले में इस छुट्टी की गणना अधिकतम 30 दिनों के आकस्मिक अवकाश पर होगी जो उपर्युक्त उप-विनियम (i) के अंतर्गत प्रदान की जाएगी।

**व्याख्या 2:** उन मामलों में जहां सैन्य अस्पताल का कमान अफसर यह देखता है कि व्यक्ति का इलाज व्यक्ति की असावधानी के कारण धीमा हुआ है तब ऐसी छुट्टी की अवधि के दौरान वह ऐसी छुट्टी को बिना वेतन एवं भत्ते, असाधारण छुट्टी में बदल सकता है।

**व्याख्या 3:** अत्यंत अनुकंपा के आधार पर अस्पताल कमान अफसर आकस्मिक छुट्टी की दूसरी पारी प्रदान कर सकता है परंतु यह उपरोक्त स्थितियों पर निर्भर है।

#### **45. वार्षिक अवकाश**

(क) वार्षिक अवकाश निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमत है:

(i) किसी कैलेंडर वर्ष में साठ दिनों तक; और

(ii) पोत/स्थापना के कमान अफसर के विवेक पर नब्बे दिनों तक संचित वार्षिक अवकाश, यदि आकस्मिक अवकाश छोड़कर अन्य कोई अवकाश पिछले कैलेंडर वर्ष में न लिया गया हो।

**नोट:** नब्बे दिन तक के संचित वार्षिक अवकाश की यह रियायत उन कर्मियों (री-एनरॉल्ड कर्मियों सहित) द्वारा ली जा सकती है जिन्होंने पिछले कैलेंडर वर्ष में कम से कम छह महीने की अवधि की सेवा की हो।

(ख) दूतावासों/मिशनों में भारत से बाहर सेवा करने वाले नौसैनिक अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद भारत वापसी पर पोत/विमान से उतरने के बाद वार्षिक/संचित वार्षिक अवकाश ले सकते हैं यदि वे ऐसी इच्छा रखते हैं चाहे उनके पास कितनी भी छुट्टी हो। यह अवकाश भारत में पोत से उतरने/विमान से उतरने की तारीख से शुरू होगा और कर्मी भारतीय नौसेना आंग्रे/भारत अतिरिक्त के रिकॉर्ड में बना रहेगा।

(ग) (i) नौसैनिकों (मास्टर चीफ पेट्री अफसर जिन्हें ऑनरेरी कमीशन प्रदान किया गया है सहित) को 2019 नौसेना अवकाश विनियम के अंतर्गत वार्षिक/संचित वार्षिक छुट्टी और अस्वस्थता छुट्टी को नीचे दिए अनुसार भारत के बाहर भी दिया जा सकता है:-

(कक) सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी की अनुशंसा पर

(कख) विश्राम के उद्देश्य से

(कग) विदेश में व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए

(ii) भारत के बाहर अवकाश की शुरुआत और समाप्ति नौसेना अवकाश विनियमावली 2019 के विनियम 5 के अनुसार होगा और किसी भी प्रतिबंध के अधीन होगा जो भारत सरकार द्वारा समय-समय पर लागू होंगे।

(iii) भारत के बाहर अवकाश की मंजूरी विनिर्दिष्ट छुट्टी संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी द्वारा नौसेना छुट्टी विनियम के विनियम 19 के अंतर्गत नौसेना मुख्यालय की पूर्व अनुमति के अधीन है।

**नोट:-** दूतावासों/मिशनों में भारत से बाहर सेवा करने वाले नौसैनिक जो समय-समय पर जारी सरकारी आदेशों के अनुसार अननुमोदित रुट से लौटते हैं और वे ऊपर दिए गए विनियम के अनुसार अपनी संचित वार्षिक छुट्टी लेना चाहते हैं उन्हें ये छुट्टी लेने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे मामलों में यह छुट्टी उस तारीख से शुरू

मानी जाएगी जिस तारीख को यह यात्रा, यदि अनुमोदित रुट से की गई, तो यह यात्रा पूरी कर ली गई होगी।

(घ) उन नौसैनिकों के मामले में जो लीव स्टेशन जा रहे हो और जिसमें प्रत्येक तरफ दो दिनों से अधिक की यात्रा शामिल है, उन्हें उप-विनियम (क) में विनिर्दिष्ट अवधि से अधिक अतिरिक्त छुट्टी प्रत्येक तरफ दो दिनों से अधिक की अवधि की यात्रा को पूरा करने के लिए प्रदान की जा सकती है। यह अतिरिक्त छुट्टी साल में एक बार स्वीकार्य होगी चाहे लीव स्टेशन में रुकने की अवधि कितनी भी हो।

(च) इस विनियम के प्रावधान उन नौसैनिकों पर भी लागू होंगे जिनका घर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केन्द्रशासित प्रदेश या लक्षद्वीप के केन्द्रशासित प्रदेश में स्थित हों और उनकी छुट्टियों की व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि उन्हें न्यूनतम संभावित अवधि के लिए पोतारोहण प्रतीक्षित पत्तन पर रोका जा सके।

(छ) सेवा के प्रथम वर्ष में वार्षिक अवकाश इस शर्त के अधीन होगा कि व्यक्ति ने कम से कम छः महीने की सेवा की हो।

(ज) अधिक वार्षिक/संचित वार्षिक अवकाश प्रदान करना

(i) उन नौसैनिकों के मामले में जिनमें त्रुटिपूर्ण दस्तावेजन, अवकाश विनियम की गलत व्याख्या और वर्ष में पहले की ली गई बीमारी छुट्टी के कारण साठ दिनों तक की अधिक वार्षिक/संचित अवकाश को फ्लैग अफसर कमांडिंग-इन-चीफ, पश्चिमी नौसेना कमान, फ्लैग अफसर कमांडिंग-इन-चीफ, पूर्वी नौसेना कमान, फ्लैग अफसर कमांडिंग-इन-चीफ, दक्षिणी नौसेना कमान और कमांडर इन चीफ अंडमान निकोबार कमान द्वारा उस वर्ष की वार्षिक छुट्टी हकदारी के लिए संलग्न अवधि के समायोजन से जिसमें अनियमितता का पता लगा हो, नियमित किया जाएगा।

(ii) वर्ष की वार्षिक छुट्टी को यदि पहले से ले ली गई हो तो समायोजन आने वाले वर्ष की वार्षिक छुट्टी की हकदारी से किया जाएगा। साठ दिनों से अधिक अवधि के मामले उनके आदेश प्राप्त करने के लिए कार्मिक प्रमुख को रिपोर्ट किए जाएंगे।

नौसैनिक को तीस दिनों तक वार्षिक छुट्टी को बढ़ाने की स्वीकृति कमांडिंग अफसर द्वारा आपवादिक और अनुकंपा के आधार पर स्वयं की बीमारी, प्राकृति

क आपदा या मानव नियंत्रण के बाहर किसी असाधारण परिस्थिति के कारण दी जा सकती है बशर्ते वह छुट्टी को बढ़ाने से संबंधित सत्यता से संतुष्ट हो। इस प्रकार प्रदान की गई छुट्टी विस्तार को उसी तरह से माना जाएगा जैसे अवधि से अधिक छुट्टी



ली जाती है। उसी हद तक संचित वार्षिक छुट्टी को बढ़ाना एवं इसी प्रकार की समान परिस्थितियों के अंतर्गत के प्रशासनिक प्राधिकारी के आदेश के अंतर्गत प्राधिकृत किया जाएगा सिवाय स्वयं बीमारी के कारण और गोरखा के संदर्भ में छुट्टी बढ़ाने के मामले में जो कि कमान अफसर द्वारा विचार किया जाएगा।

#### 46. **लंबी छुट्टी- गोरखा नौसैनिक**

(क) गोरखा नौसैनिक जो नेपाल के निवासी हो, नौसैनिक जो भूटान के राष्ट्रीय निवासी हों उनकी वार्षिक छुट्टी इस प्रकार प्रदान की जाएगी:-

(i) एक कैलेंडर वर्ष में साठ दिनों की छुट्टी या

(ii) बीमारी छुट्टी के समायोजन के उद्देश्य से ली गई वार्षिक छुट्टी की अवधि से घटाए दूसरे वर्ष में एक से बीस दिनों के संचित वार्षिक अवकाश या अवधि से अधिक समय की छुट्टी के विनियमन के लिए या पूर्वगामी वर्ष की छुट्टी की स्वीकृति के लिए बशर्ते वार्षिक छुट्टी तीस दिनों से अधिक न हो। तथापि, संचय का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा यदि पिछले वर्ष के दौरान ली गई वार्षिक छुट्टी तीस दिनों से अधिक हो।

(ख) दो वर्ष के कमांडर वर्षों के ब्लॉक में नौसैनिकों को झूटी स्टेशन से लीव स्टेशन और गृह स्टेशन से झूटी स्टेशन तक अतिरिक्त यात्रा के लिए अतिरिक्त छुट्टी दी जाएगी।

**व्याख्या** यदि कोई नौसैनिक अपने झूटी स्टेशन से गृह स्टेशन और वापसी में छह दिन का समय व्यतीत करता है तो उसे दो दिनों की अतिरिक्त छुट्टी दी जाएगी बशर्ते उसने दो वर्षों के उसी ब्लॉक में ऐसी अतिरिक्त छुट्टी न ली हो, ब्लॉक जो कि 1965-66, 1967-68 और इसी तरह नए भर्ती हुए नौसैनिकों के मामले में दो वर्षों का ब्लॉक उस वर्ष से प्रारंभ होगा जिसमें वे वार्षिक छुट्टी पहली बार पाने के पात्र होंगे।

#### 47. **बीमारी की छुट्टी**

(क) बीमारी की छुट्टी की कोई सीमा नहीं होगी किंतु यह एक निश्चित अवधि तक सीमित होगी जिस अनुमानित समय में वह कार्मिक झूटी करने के लिए फिट हो जाएगा।

(ख) सिक बे/सर्विस में बीती स मस्त अवधि अथवा किसी मान्यताप्राप्त सिविल अस्पताल में उपचार के लिए बिताए समय को झूटी पर माना जाएगा

**नोट:** उप-विनियम के ये प्रावधान उन व्यक्तियों पर लागू होंगे जो झूटी के दौरान बीमार पड़ते हैं।

(ग) (i) सिक बे/अस्पताल से डिस्चार्ज करने के बाद, बीमारी की छुट्टी सर्विस चिकित्सीय प्राधिकारी की अनुशंसा पर दी जा सकती है। बीमारी की छुट्टी को सक्षम मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर बढ़ाया जा सकता है बशर्ते अस्पताल से डिस्चार्ज पर कसी नौसैनिक की अनुशंसित बीमारी छुट्टी की शुरुआत अस्पताल से डिस्चार्ज होने की तारीख के अगली तारीख से चाहे वह सीधे घर जा रहा हो या वाया पोत या स्थापना के।

(ii) उस नौसैनिक के मामले में जो ऐसी छुट्टी के दौरान सैन्य अस्पताल में भर्ती हो एवं बीमारी के आधार पर जिसमें वह मूलतः सिक बे/अस्पताल में झूटी के दौरान भर्ती हुआ हो, सिक बे/अस्पताल से डिस्चार्ज पर उसे मिली बीमारी छुट्टी अवधि से अधिक समय की छुट्टी की अवधि को पूर्ण वेतन एवं भत्ते सहित बीमारी की छुट्टी माना जाएगा जो कि बीमारी की छुट्टी की समापन तारीख से झूटी के लिए फिट घोषित किए जाने की तारीख से होगा।

(घ) यदि अपनी बीमारी के कारण से किसी नौसैनिक को वार्षिक छुट्टी पर अवधि से अधिक समय पर छुट्टी पर रहने के लिए बाध्य होना होता है और अपने घर पर उपचार कराता है तो उसे अधिकतम तीस दिनों की ऐसी अवधि से अधिक समय की छुट्टी (गोरखा के मामले में साठ दिनों तक) की अवधि को कमान अफसर द्वारा पूरे वेतन और भत्तों सहित बीमारी छुट्टी माना जाएगा, यदि वह आवश्यकतानुसार ऐसी जांच के बाद मामले की विश्वसनीयता से संतुष्ट हो।

(i) गोरखा से इतर नौसैनिकों के मामले में साठ दिनों की अवधि से अधिक छुट्टी को नीचे उल्लिखित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा यदि वह आवश्यक जांच करने के बाद वह मामले की विश्वसनीयता के बारे में

आश्वस्त हो एवं इसमें वह प्रथम तीस दिनों की बीमारी छुट्टी को पूरे वेतन एवं भत्ते सहित एवं शेष तीस दिनों को नौसैनिक के आगामी वर्षों की वार्षिक छुट्टी की हकदारी को निम्न रूप से समायोजित करेगा:-

(कक) कैप्टन या उससे ऊपर के रैंक के पोत के कमान अफसर यदि पोत का कोई स्कवाड्रन सीनियर न हो। किंतु यदि कमान अफसर कमांडर या इससे नीचे के रैंक का हो तब वह प्रशासनिक प्राधिकारी जिसके प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले पोत की बुक्स में इन नौसैनिकों का नाम दर्ज हो।

(कख) स्कवाड्रन के सीनियर अफसर यदि कमांडर या उनसे ऊपर के रैंक उन नौसैनिक के संदर्भ में जिनका नाम उसके स्कवाड्रन के पोत की बुक्स में दर्ज हो।

(कग) प्रशासनिक प्राधिकारी, यदि सीनियर उपस्कर कमांडर के रैंक 261 से नीचे हो उन नौसैनिकों के संदर्भ में उस स्कवाड्रन की पोत की बुक्स में नाम दर्ज हो।

(कघ) तटीय स्थापना के कमान अफसर, उन नौसैनिकों के संदर्भ में जिनका नाम स्थापना की बुक्स में दर्ज हो।

**स्पष्टीकरण** उन मामलों में जहां अवधि से अधिक समय की छुट्टी की अवधि आगामी वर्ष की वार्षिक छुट्टी की हकदारी के बदले समायोजित किए जाने की आवश्यकता है, उस वर्ष की वार्षिक छुट्टी को आवश्यक समायोजन पूरा करने के लिए आनुपातिक रूप से इस्तेमाल किया जाना माना जाएगा। आगामी वर्ष में अनुकंपा आधार पर छुट्टी प्रदान करना, यदि आवश्यक हो तो विनियम 48 के अंतर्गत व्यवहार किया जाएगा।

साठ दिनों से अधिक अवधि से अधिक छुट्टी के सभी मामले आर्डर हेतु कार्मिक प्रमुख को भेजे जाएंगे।

सिक बे/अस्पताल से डिस्चार्ज के बाद या बीमारी के कारण अवधि से अधिक छुट्टी की अवधि को या वार्षिक या वार्षिक छुट्टी संचित वार्षिक

छुट्टी से घटाया जाएगा और कोई एक्सेस यदि हो तो उसे बीमारी छुट्टी माना जाएगा।

(च) (i) उन नौसैनिकों द्वारा वार्षिक/संचित वार्षिक छुट्टी का ओवर स्टेयल जो बीमार पड़ जाते हैं और ऐसे छुट्टियों की अवधि के दौरान यदि मिलिटरी अस्पताल में भर्ती होते हैं तो उन्हें पूरे वेतन और भत्ते सहित वार्षिक/संचित वार्षिक छुट्टी की समापन की तारीख से अस्पताल से डिस्चार्ज की तारीख तक बीमारी छुट्टी माना जाएगा। ऐसी बीमारी छुट्टी तब ही स्वीकार्य होगी यदि अफसर कमांडिंग मिलिटरी अस्पताल यह प्रमाणित करता है कि बीमारी अथवा चोट कर्मी की अपनी गलती से नहीं हुई है और कर्मी सैन्य ड्यूटी को निभाने के लिए कुछ अवधि के उपचार के बाद पुनः फिट हो जाएगा।

(ii) ऐसे नौसैनिक जो बीमार पड़ने पर मिलिटरी अस्पताल में भर्ती हुए हैं और आकस्मिक अवकाश की अवधि के दौरान की अवधि को बीमारी छुट्टी के रूप में माना जाएगा जिसमें पूर्ण वेतन एवं भत्ते शामिल होंगे बशर्ते उपर उल्लिखित उप विनियम (छ)

(i) शर्तें पूरी हों। अस्पताल में भर्ती की तारीख से पहले ली गई आकस्मिक अवकाश की अवधि इस वर्ष की वार्षिक छुट्टी मानी जाएगी, यदि देय हो, अन्यथा उसे अगले वर्ष की वार्षिक छुट्टी की हकदारी माना जाएगा। यदि कार्मिक को भविष्य में कार्मिक की सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति के कारण कोई वार्षिक छुट्टी नहीं दी जाती, तो उसके द्वारा ली गई आकस्मिक छुट्टी बिना वेतन एवं भत्ते की असाधारण छुट्टी मानी जाएगी।

(iii) नौसैनिकों के संबंध में उपविनियम (च) (i) और (ii) में उल्लिखित है कि अस्पताल से छुट्टी मिलने पर स्वीकृत अवकाश की अवधि को उनके वार्षिक या उनके द्वारा संचित वार्षिक अवकाश से काटा जाएगा यदि इसके अतिरिक्त भी कोई अवकाश हो तो उसे भी पूर्ण वेतन और भत्तों सहित अस्वस्थता अवकाश की श्रेणी में रखा जाएगा। बशर्ते कि अस्पताल से छुट्टी होने पर नौसैनिक के स्वीकृत अवकाश की अवधि की शुरुआत अस्पताल से छुट्टी होने के दिन से अगले दिन से ही होगी। चाहे वह सीधे घर के लिए प्रस्थान करे या फिर पोत अथवा स्थापना से होकर जाए।

(iv) ऐसे नौसैनिकों के मामले में जिन्हें इस उपविनियम के अंतर्गत प्रदान की गई अस्वस्थता छुट्टी या बाद में प्रदान की गई अस्वस्थता छुट्टी की अवधि के दौरान दुबारा मिलिटरी अस्पताल में भर्ती किया गया है उनकी अस्वस्थता छुट्टी को उनके

वार्षिक या संचित अवकाश के खाते से काटा जाएगा। इस छुट्टी की समाप्ति की तारीख अस्पताल में भर्ती होने की अवधि यदि इसके अतिरिक्त भी कोई अवकाश है तो इसका भी पूर्ण वेतन और भत्ते सहित उपरोक्त खंड (i) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार अस्वस्थता अवकाश माना जाएगा।

(v) चिकित्सीय जांच और ड्यूटी के लिए फिट पाए जाने के लिए अस्वस्थता छुट्टी की समाप्ति की तारीख से अस्पताल में भर्ती होने की अवधि को पूर्ण वेतन और भत्तों सहित अस्वस्थता छुट्टी माना जाएगा।

(vi) अस्पताल से डिस्चार्ज होने की तारीख से झूटी पर रिपोर्ट करने की तारीख के मध्य पड़ने वाली अवधि को वार्षिक या वार्षिक संचित छुट्टी के खाते से काटा जाएगा और यदि इसके अतिरिक्त भी कोई छुट्टी हो तो उसे भी पूर्ण वेतन और भत्तों सहित अस्वस्थता छुट्टी माना जाएगा।

**व्याख्या:-** उन मामलों में जहां अवधि से अधिक समय तक छुट्टी पर रहने को अगले वर्ष की वार्षिक छुट्टी की हकदारी में समायोजित किया जाएगा उस वर्ष की वार्षिक छुट्टी को आवश्यक समायोजन के लिए उसी अनुपात में प्रयोग किया माना जाएगा। अगले वर्ष में अनुकंपा आधार पर प्रदान की गई छुट्टी को, यदि आवश्यक हो, तो विनियम 48 के तहत दिया जा सकता है।

(ज) यदि कोई नौसैनिक उसे प्रदान की गई अस्वस्थता छुट्टी को एक कलैण्डर वर्ष से दूसरे कलैण्डर वर्ष तक बढ़ाता है तो छुट्टी का वह हिस्सा जो अगले वर्ष में पड़ेगा उसे उस नौसैनिक के उस वर्ष की छुट्टी की हकदारी से घटाया जाएगा।

#### 48. **अनुकम्पा छुट्टी**

(क) अनुकम्पा मामलों में जहां वर्तमान वार्षिक छुट्टी पहले ही ली जा चुकी, इस मामले में अधिकतम 30 दिनों की छुट्टी प्रदान की जा सकेगी जो अगले वर्ष मिलने वाली वार्षिक छुट्टी से घटा दिया जाएगा

(ख) यह छूट उन सभी नौसैनिकों को देय होगी जो नियमित नियुक्ति पर है, उन नौसैनिकों को छोड़कर जिनकी सेवा उस चालू वर्ष में समाप्त होने वाली है।

#### 49. **सेवामुक्ति/सेवानिवृत्ति पर छुट्टी**

(क) (i) जो नौसैनिक किसी भी प्रकार की पेंशन के हकदार नहीं हैं उन्हें सेवामुक्ति के समय उनकी वार्षिक छुट्टी या संचित छुट्टी प्रदान की जाएगी।

(ii) सेवा की तात्कालिक आवश्यकताएं यदि अनुमत करती हैं कि यह छुट्टी सेवामुक्ति के सभी मामलों में चाहे वह सेवा से बर्खास्तगी के मामले से भिन्न, कार्यमुक्ति का आधार कुछ भी हो दी जाएगी। बशर्ते कि सेवा में नियुक्ति की अवधि को नौसेना भाग III के विनियमों के विनियम 268 में दिए कारणों को छोड़कर बढ़ाया न गया हो।

(ख) पेंशन पर सेवामुक्त होने जा रहे नौसैनिकों को उन्हें देय वार्षिक या संचित वार्षिक छुट्टी के अतिरिक्त दिनों की छुट्टी इस शर्त पर प्रदान की जाएगी कि नौसैनिक की छुट्टी की कुल अवधि 120 दिनों से अधिक नहीं होगी।

(ग) (i) न ली गई छुट्टियां अधिकतम 300 दिनों तक के लिए संचित की जा सकती है बशर्ते कि एक कलैण्डर वर्ष में 30 दिन से अधिक छुट्टियां संचित न की गई हो।

(ii) नकदीकरण निम्न शर्तों के अनुसार देय होगा:-

(कक) इस तरह देय अवकाश वेतन का नकद समतुल्य सेवानिवृत्ति पर देय होगा और एक बार में एकमुश्त निपटान होगा।

(कख) छुट्टी प्रदानकर्ता सक्षम प्राधिकारी सेवानिवृत्ति की तारीख पर इन जमा छुट्टियों के समतुल्य नकद अनुदान का आदेश जारी करेगा।

(कग) यह आदेश स्वेच्छा से समयपूर्व सेवानिवृत्ति लेने और जिन कार्मिकों को अनुशासनात्मक आधार पर अनिवार्यतः सेवानिवृत्त किया गया है।

#### 50. **अनुरोध पर सेवानिवृत्ति/कार्यमुक्ति पर छुट्टी**

(क) वे नौसैनिक जो स्वयं अनुरोध करने पर सेवानिवृत्त या सेवामुक्त होते हैं वे वार्षिक छुट्टी और संचित वार्षिक छुट्टी सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति पर निम्नानुसार पात्र होने चाहिए।

(i) ऐसे मामले जिनमें उस वर्ष 31 मार्च को या उससे पहले कार्यमुक्ति आरंभ होती है

(कक) उस वर्ष के लिए 30 दिनों की वार्षिक छुट्टी; अथवा

(कख) जिनके पास पिछले वर्ष आकस्मिक अवकाश के अलावा कोई अवकाश शेष न हो और जिन्होंने कम से कम छः माह की सेवा की हो उनके लिए 60 दिनों का संचित वार्षिक अवकाश।

(ii) वे मामले जिनमें सेवामुक्ति की तारीख किसी भी वर्ष की 01 अप्रैल या उसके बाद होती है:- पूर्ण वार्षिक छुट्टी देय होगी। नियमों के तहत संचित वार्षिक छुट्टी दी जाएगी बशर्ते पिछले वर्ष में कम से कम छह माह की सेवा की गई हो।

(ख) (टी वी के अलावा) वर्ष के दौरान बिना कोई झूटी किए अशक्तता के कारण सेवामुक्त नौसैनिक और पिछले वर्ष में जिनके पास आकस्मिक छुट्टी के अलावा कोई और छुट्टी नहीं है उन्हें शेष अशक्तता छुट्टी इस प्रकार प्रदान की जाएगी:-

- (i) उन मामलों में जिनमें अशक्तता शेष छुट्टी 31 मार्च या उससे पहले की तारीख से शुरू- तीस दिन
- (ii) उन मामलों में जिनमें अशक्तता शेष छुट्टी 1 अप्रैल या उसके बाद की तारीख से शुरू होती है- साठ दिन

(ग) अशक्त घोषित किए जाने के वर्ष में झूटी करने वालों के मामलों में सामान्य नियमों के तहत पूरी वार्षिक और संचित वार्षिक छुट्टी की पात्रता होगी।

(घ) उपविनियम (ii) के अंतर्गत 60 दिनों की जिस अतिरिक्त छुट्टी का प्रावधान है वह उपविनियम (i) अथवा उपविनियम (ii) के अंतर्गत प्रदत्त छुट्टी के अतिरिक्त अनुमत होगी बशर्ते कि उनमें दो गई शर्तें पूरी होती हों।

**नोट:-** जिस व्यक्ति को आगे की सेवा के लिए अनफिट घोषित कर दिया गया है और अस्पताल से सीधे घर भेज दिया जाता है और अस्पताल से छुट्टी की तारीख और सर्विस से सेवामुक्ति की वास्तविक तारीख के बीच की अवधि को यदि सेवामुक्ति के समय उसके पास कोई छुट्टी शेष न हो तो इसे विशेष आकस्मिक छुट्टी समझा जाएगा। जिसकी अधिकतम सीमा 30 दिनों की होगी। उन मामलों में जिनमें यह मध्यवर्ती अवधि 30 दिनों से अधिक हो जाती है उन्हें केन्द्र सरकार को रिपोर्ट करना होगा जिससे देरी के कारणों और परिस्थितियों का पता जल सके।

51. **नौसैनिक को भारत से बाहर तैनाती के दौरान दी जाने वाली छुट्टियां** (मानद कमीशन प्राप्त मास्टर चीफ पेटी अफसर सहित) नौसैनिकों को देय वार्षिक छुट्टी/संचित वार्षिक छुट्टी और अस्वस्थता छुट्टी इन विनियमों के तहत भारत के बाहर तैनात नौसैनिकों को भी दी जानी चाहिए:-

- (क) सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी की सिफारिश पर
- (ख) विश्राम करने के लिए
- (ग) विदेश में व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए

नोट:- भारत के बाहर तैनात नौसैनिकों की छुट्टियां शुरू होने की तारीख और समाप्त होने की तारीख विनियमावली के विनियम 5 के अनुरूप होगी और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर लगाए गए प्रतिबंधों के अनुरूप होगी।

52. **छुट्टियों की जब्ती** नौसैनिक की सेवा से बर्खास्तगी हो जाने के बाद वह किसी भी प्रकार की छुट्टी का दावा नहीं कर सकेगा।

53. **बच्चे के जन्म पर पितृत्व अवकाश:-** विनियम 30 के संदर्भानुसार बच्चे के जन्म पर पितृत्व अवकाश नियमित अफसरों के लिए लागू स्केल और शर्तों के अंतर्गत देय होगा।

54. **बच्चे को गोद लेने पर पितृत्व अवकाश**

विनियम 31 के संदर्भानुसार बच्चे को गोद लेने पर पितृत्व अवकाश नियमित अफसरों के लिए लागू स्केल और शर्तों के अंतर्गत देय होगा।

**धारा 1 ए- ऑनरेरी कमीशन प्राप्त मास्टर चीफ पेटी अफसरों के लिए अनुप्रयुक्त विनियम**

55. मास्टर चीफ पेटी अफसर जिन्हें ऑनरेरी कमीशन प्रदान किया गया है उन्हीं निबंधन और शर्तों पर अवकाश के हकदार हैं जो नौसैनिकों के लिए अनुप्रयुक्त हैं और विनियम 44-54 द्वारा शासित हैं।

**धारा II - आर्टिफिसर अप्रेंटिस के लिए अनुप्रयुक्त नियम**

56. **आकस्मिक छुट्टी** आर्टिफिसर अप्रेंटिस आकस्मिक छुट्टी के लिए उसी प्रकार हकदार हैं जैसे नौसैनिक को अनुमेय है। विनियम 44 देखें।

57. **मैन (Man's) के रैंक में पदोन्नति होने से पहले आर्टिफिसर अप्रेंटिस के लिए अनुमेय वार्षिक अवकाश**

- (क) एक साल में अनुमेय वार्षिक अवकाश की मात्रा तीस दिनों की होती है। यह पोत/स्थापना के कमान अफसर के विवेक पर पैंतालीस दिनों तक संचित की जा सकती है।
- (ख) (i) किसी भी कार्मिक के तीन स्टेशन पर रवाना होने के लिए जिसमें अनिवार्य रूप से दो दिनों से अधिक की यात्रा शामिल है, उन्हें आने-जाने के लिए दो दिनों की अतिरिक्त यात्रा अवधि को पूरा करने के लिए वार्षिक छुट्टी के अलावा अतिरिक्त छुट्टी दी जाती है। यह अतिरिक्त छुट्टी अवकाश स्टेशन पर रहने की अवधि से अनपेक्षित: साल में एक बार प्रदान की जाएगी।
- (ii) उपर्युक्त व्यवस्था उन व्यक्तियों पर भा लागू है जिनका घर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह जैसे केंद्र शासित क्षेत्रों में स्थित हैं। उनकी छुट्टी की व्यवस्था इस प्रकार की जाती है कि उन्हें न्यूनतम संभव अवधि के लिए पोतारोहण हेतु इंतज़ार कर रहे पत्तनों पर रोका जाए।
- (ग) वार्षिक छुट्टी इस शर्त पर दी जाएगी कि कार्मिक ने कम से कम छः महीने की सेवा की हो। प्रशिक्षण आवश्यकताओं के अनुसार छः महीने की इस सीमा को कमान अफसर के विवेक पर रियायत दी जा सकती है।
- (घ) 15 दिनों तक की वार्षिक या संचित वार्षिक छुट्टी का विस्तार प्राकृतिक आपदा या अन्य असाधारण परिस्थितियों और जिन पर व्यक्ति का नियंत्रण नहीं है, उनमें कमान अफसर द्वारा आर्टिफिसर अप्रेंटिस को दी जाती है, बशर्ते कि वह ऐसी छुट्टी विस्तार के आधार की प्रामाणिकता से संतुष्ट हो। लेकिन उनकी बीमारी के मामले में, तीस दिनों तक का विस्तार दिया जा सकता है। इस तरह प्रदान की गई छुट्टी का विस्तार मौजूदा नियमों के तहत उसी प्रकार किया जाएगा जैसे समय से अधिक छुट्टी पर रहने के लिए किया जाता है।

58. **अस्वस्थता छुट्टी.** विनियम 47 में दिए अनुसार आर्टिफिसर अप्रेंटिस को अस्वस्थता छुट्टी उसी प्रकार स्वीकार्य है जैसे नौसैनिक को है।

59. **मैन (Man's) के रैंक में पदोन्नति के बाद आर्टिफिसर अप्रेंटिस के लिए स्वीकार्य वार्षिक छुट्टी.** 'मैन' के रैंक में पदोन्नति पाने के बाद आर्टिफिसर अप्रेंटिस सेवारत नौसैनिकों के समान साठ दिन की वार्षिक छुट्टी के हकदार है। विनियम 57 और 58 के तहत उसी कलेंडर वर्ष में उनके द्वारा पहले से ली गई छुट्टी की अवधि (आकस्मिक छुट्टी से भिन्न), को साठ दिन की वार्षिक छुट्टी से घटाया जाएगा और वह केवल वार्षिक छुट्टी के बाकी बचे हुए दिन के लिए हकदार हैं।

#### **अध्याय IV**

##### **विविध**

60. **कोर्स कर रहे या विदेशों में प्रतिनियुक्ति पर तैनात कार्मिक.** प्रतिनियुक्ति पर विदेश भेजे गए या कोर्स कर रहे नौसेना कार्मिकों, को समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सीमा और शर्तों के आधार पर छुट्टी दी जाएगी।

61. **सेना चिकित्सा कोर/सेना दंत चिकित्सा कोर के अफसरों को भारतीय नौसेना में उपनियुक्त करना.** सेना चिकित्सा कोर /सेना चिकित्सा दंत चिकित्सा कोर के अफसरों को जब भारतीय नौसेना में उपनियुक्त किया जाता है तब वे भारतीय सेना के समतुल्य अफसर के लिए अनुप्रयुक्त सैन्य 'सेवाओं के लिए अवकाश विनियम, खंड-1 सेना' द्वारा शासित होंगे।

62. **भारतीय नौसेना से संलग्न सैन्य परिचर्या सेवा (मिलिटरी नर्सिंग सर्विस) के सदस्य.** भारतीय नौसेना से संलग्न सैन्य परिचर्या सेवा के सदस्य 'सेवाओं के लिए अवकाश विनियम, खंड-1-सेना' में दिए अनुसार अपनी सेवा के अवकाश नियमों द्वारा शासित होंगे।

63. **भारतीय दूतावास या विदेशी मिशनों में सेवारत कार्मिक.** भारतीय दूतावास या विदेशी मिशनों में सेवारत भारतीय नौसेना कार्मिक (अफसर और नौसैनिक) भारतीय नौसेना अवकाश विनियमों द्वारा शासित होंगे और भारत में सेवारत कार्मिक के समतुल्य अनुप्रयुक्त आकस्मिक, वार्षिक और अस्वस्थता अवकाश दिया जाएगा। अपवादिक मामलों में जहाँ एक अफसर के पास वार्षिक अवकाश पर्याप्त नहीं है, तब ऐसी स्थिति में अनुकंपा या कोई अन्य कारणों के आधार पर, भारत सरकार की मंजूरी के साथ अतिरिक्त फरलो छुट्टी प्रदान की जाएगी। फिर भी किसी अफसर को उसकी सेवा के दौरान फरलो छुट्टी केवल एक बार दी जाएगी, विशेषकर जब वह विदेशी राष्ट्र में सेवारत हो और यह छुट्टी वह उस राष्ट्र में अपने सेवाकाल के दौरान ही ले सकता है।

64. **विशेष आकस्मिक छुट्टी**

(क) **खेलकूद प्रतिस्पर्धा और टूर्नामेंटों में भाग ले रहे कार्मिक** खेलकूद प्रतिस्पर्धा और टूर्नामेंटों में भाग लेने वाले सैन्य कार्मिक (अफसरों सहित परंतु कैडट या प्रशिक्षुओं को छोड़कर) की छुट्टी से अनुपस्थिति की अवधि या जिनकी सेवाएं खेलकूद प्रतिस्पर्धा या टूर्नामेंटों में भाग ले रही टीमों के प्रशिक्षण या उनके प्रशासन संबंधी कार्यों में उपयोग में लाई जा रही है, उनकी छुट्टी निम्नलिखित शर्तों के आधार पर विशेष आकस्मिक छुट्टी मानी जाएगी:-

(i) विशेष आकस्मिक छुट्टी किसी भी एक कैलेंडर वर्ष में तीस दिनों से अधिक अवधि के लिए प्रदान नहीं की जाएगी। तीस दिनों से अधिक दिनों की अनुपस्थिति की अवधि सामान्य नियमों के तहत विनियमित की जाएगी। इस उद्देश्य के लिए, कार्मिक को, विशेष मामले के रूप में साधारण आकस्मिक छुट्टी को छोड़कर अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ विशेष आकस्मिक छुट्टी को जोड़कर दिया जाएगा।

(ii) विशेष आकस्मिक छुट्टी केवल निम्नलिखित स्थितियों में दी जाएगी:-

(कक) राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय महत्व की खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए; और

(कख) जब प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सैन्य कार्मिकों को चुना जाता है:-

(ककक) शिक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित और अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् द्वारा मान्यता-प्राप्त भी राष्ट्रीय खेलकूद परिषद् या एसोसिएशन की टीम के एक सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेना, बशर्ते कि टीम को भारत के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार किया गया हो।

(ककख) राष्ट्रीय महत्व की खेलकूद प्रतियोगिताओं के संबंध में, जहां भागीदारी अन्तर ज़ोनल, अन्तर राज्य या अन्तर सर्किल के आधार पर है, और जैसे भी मामला हो, राज्य या ज़ोन या सर्किल के विधिवत् रूप से नामित प्रतिनिधि के रूप में, किसी टीम की एक प्रतियोगिता में भाग लेने वाले संबंधित सैन्य कार्मिक।

**नोट:-** संगत शर्तों को पूरा करने के संबंध में यह स्पष्ट करते हुए एक प्रमाणपत्र जो इस उपखंड के तहत विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान करने के बारे में सूचित करता है, को जेन फॉर्म में शामिल किया जाना चाहिए।

(कग) एक राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए छूट नहीं दी जानी चाहिए जिसमें सैन्य कार्मिक की भागीदारी उनकी व्यक्तिगत क्षमता में होती है और प्रतिनिधि की क्षमता में नहीं होती है।

(कघ) खंड 64 (a) (i) में दर्शाए गए संशोधन को छोड़कर विशेष आकस्मिक छुट्टी इन विनियमों में दिए गए सामान्य सिद्धांतों के तहत प्रदान की जानी चाहिए। इन प्रावधानों के तहत विशेष आकस्मिक छुट्टी प्रदान करने का अधिकार नौसेनाध्यक्ष या ऐसे अन्य अफसर (जो निदेशक के रैंक के नीचे न हों) जो उनके द्वारा प्राधिकृत हैं, द्वारा प्रयोग किया जाना चाहिए।

**नोट:** सर्विसेज़ स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित सैन्य सेवा प्रतियोगिता के प्रारंभिक और अन्तिम राउंड में भाग लेना छुट्टी के रूप में देखा जाएगा। इन उद्देश्य के लिए यूनिट या फॉर्मेशन और समतुल्य खेलकूद चैम्पियनशिपों को सैन्य सेवा प्रतियोगिताओं के 'प्राथमिक राउंड' के रूप में माना जाएगा।

(ख) **बंध्यकरण ऑपरेशन कराने वाले कार्मिक.** 'परिवार नियोजन योजना' के तहत बंध्यकरण ऑपरेशन (वैसेकटॉमी या सालपिनगेटॉमी) कराने वाले नौसेना कार्मिकों को, यह ऑपरेशन कराने और थोड़ा आराम करने के लिए विशेष आकस्मिक छुट्टी दी जाएगी जो छः कार्य दिवस से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह छुट्टी ऑपरेशन के तुरंत बाद दी जाएगी।

(ग) **बंध्यकरण ऑपरेशन कराने वाली महिला अफसर.** महिला अफसरों के मामले में, 'परिवार नियोजन योजना' के तहत बंध्यकरण ऑपरेशन (स्यूबेकटॉमी) या नॉन-प्यूरपेरल स्यूबेकटॉमी ऑपरेशन कराने के लिए विशेष आकस्मिक छुट्टी प्रदान की जाएगी जो 14 दिनों से अधिक न हो। नॉन-प्यूरपेरल ऑपरेशन का आशय है कि बच्चे के जन्म के तुरंत बाद स्यूबेकटॉमी नहीं करवाई गई अर्थात् डिलिवरी के 05 दिनों के भीतर नहीं करवाई गई।

**65. संचित छुट्टी का नकदीकरण.**

(क) कार्मिक द्वारा की गई सेवा के वर्षों पर विचार किए गए बिना रक्षा सेवा के कार्मिकों को अधिवर्षिता प्राप्त करने/कार्यमुक्ति/उनके अनुरोध पर सेवा मुक्ति/अशक्तता के कारण सेवा से हटाने/सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उस दिन उनके खाते में संचित छुट्टी और नकदीकरण उनकी जमा वार्षिक छुट्टी तक सीमित होगी, इसकी सीमा 300 दिनों तक की होनी चाहिए जिसमें एक कलेंडर वर्ष में अधिकतम 30 दिनों की छुट्टी जमा की जा सकती है, बशर्ते कि यहां दिए गए कोई भी प्रावधान एल टी सी के साथ जारी छुट्टी नकदीकरण के प्रावधानों को सीमित/या उनका उल्लंघन न करता हो। प्रमुख विशेषताएं आगे के पैराग्राफों में दी गई हैं।

(ख) उपर्युक्त पैरा 65 (क) में उल्लिखित वर्धित छुट्टी संचयन और नकदीकरण का लाभ निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत दिया जाएगा:-

(i) एक कलेंडर वर्ष में 30 दिनों से अधिक संचयन की अनुमति नहीं दी जाती है। सेवा-निवृत्ति के वर्ष की वार्षिक छुट्टी का नकदीकरण निम्नलिखित रूप से करवाया जा सकता है:-

(कक) जो कार्मिक 31 जनवरी को सेवा-निवृत्त होंगे-15 दिन

(कख) जो कार्मिक फरवरी में और उसके बाद सेवा-निवृत्त होते हैं-30 दिन

(ii) जितने दिन की छुट्टियों का नकदीकरण किया गया है, उनकी कुल संख्या जिसमें सेवा-निवृत्ति के वर्ष की छुट्टी भी शामिल है, वह 300 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ग) **अशक्तता के कारण सेवा से निकाले जाने के मामले में.** अफसरों के मामले में अशक्त घोषित किए जाने वाले वर्ष की वार्षिक छुट्टी का एक हिस्सा जिसे अस्पताल में भर्ती होने या अस्वस्थता छुट्टी के स्थान पर समायोजित करने की आवश्यकता नहीं है, को उस वर्ष के लिए अधिकतम 30 दिनों तक नकदीकरण की अनुमति दी जाती है। नौसैनिकों के मामले में, छुट्टी संबंधी नियम 47 का प्रावधान लागू होगा। इस नियम के अनुसार अस्वस्थता छुट्टी की अवधि अस्पताल में भर्ती होने की वार्षिक छुट्टी से प्रथमतः घटाई जाएगी।

(घ) **सेवा के दौरान मृत्यु होने के मामले में.** कलेंडर वर्ष के जनवरी/फरवरी के महीने में मृत्यु होने पर, वार्षिक छुट्टी के मात्र 50% तक ही छुट्टी का नकदीकरण करवाने की अनुमति है जिसमें मृत्यु होने से एक दिन पहले तक की अवधि का नकदीकरण किया जाएगा। दिन के किसी भाग को उसके निकटतम दिन तक पूर्णांकित कर दिया जाएगा। उदाहरण के लिए-जहां कार्मिक की मृत्यु 5, 10, 20 और 31 जनवरी को होती है, तो उसका अधिकतम अनुमत नकदीकरण क्रमशः 02 दिन, 04 दिन, 09 दिन और 15 दिन होगा। फरवरी के महीने में हुई कार्मिक की मृत्यु का नकदीकरण समान रूप से गिना जाता है। छुट्टी नकदीकरण की राशि से मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन के लिए कोई कटौती नहीं की जाएगी।

(च) **सशस्त्र बलों के कार्मिक जिनकी मृत्यु सेवा के दौरान हो जाती है या सेवा-निवृत्ति के बाद परंतु छुट्टी नकदीकरण राशि के वास्तविक प्राप्ति से पहले हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उनके उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों को छुट्टी नकदीकरण का भुगतान करना**

(i) उपर्युक्त श्रेणी के कार्मिकों के संबंध में छुट्टी नकदीकरण की राशि निम्नलिखित को देय है:-

(क क) मृत कार्मिक की विधवा, और यदि एक से अधिक विधवाएं हैं, तो उनमें से जीवित सबसे ज्येष्ठ विधवा को, यदि मृतक एक पुरुष सैन्य कार्मिक है या, यदि मृतक एक महिला सैन्य कार्मिक है तो पति को। जीवित विधवाओं की आयु की वरिष्ठता के संदर्भ में नहीं बल्कि

**स्पष्टीकरण:** 'ज्येष्ठ जीवित विधवा' कथन से अभिप्राय उनकी शादी की तारीख के अनुसार जीवित विधवा की वरिष्ठता के संदर्भ में देखा जाएगा न कि उनकी आयु के संदर्भ में।

(कख) सैन्य कार्मिक की विधवा या पति न होने पर, मामले के अनुरूप, सबसे बड़े जीवित पुत्र या दत्तक पुत्र को।

(कग) उपर्युक्त (क क) और (क ख) न होने पर, सबसे बड़ी जीवित अविवाहित पुत्री को।

(कघ) उपर्युक्त (क क) से (क ग) तक का न होने पर, सबसे बड़ी जीवित विधवा पुत्री को।

(कच) उपर्युक्त (क क) से (क घ) तक का न होने पर, पिता को।

(कछ) उपर्युक्त (क क) से (क च) तक न होने पर, माता को।

(कज) उपर्युक्त (क क) से (क छ) तक का न होने पर, अठारह साल से कम आयु के ज्येष्ठ जीवित भाई को।

(कझ) उपर्युक्त (क क) से (क ज) तक का न होने पर, सबसे बड़ी जीवित अविवाहित बहन को।

(कट) उपर्युक्त (क क) से (क झ) तक का न होने पर, सबसे बड़ी जीवित विधवा बहन को।

(कठ) उपर्युक्त (क क) से (क ट) तक का न होने पर, सबसे बड़ी जीवित विवाहित बेटी को।

(कड) उपर्युक्त के न होने पर, मृत सैन्य सेवा कार्मिक के पहले से मृत पुत्र की सबसे बड़ी संतान को।

(छ) **अल्पकालिक सेवा कमीशन अफसर (एस एस सी ओ)** संचित छुट्टी के नकदीकरण की शुरूआत होने से सेवा अवधि को बिना जोड़े सेवांत छुट्टी के विद्यमान लाभ अप्रभावित रहेंगे और सेवा-मुक्ति पर अल्पकालिक सेवा कमीशन अफसरों को निम्नलिखित रूप से सेवांत छुट्टी दी जाएगी:-

(i) वर्ष की पूरी या बाकी बची वार्षिक छुट्टी।

(ii) 28 दिनों की सेवांत छुट्टी।

**नोट:** अल्पकालिक सेवा कमीशन अफसरों को छुट्टी के नकदीकरण का लाभ या तो अल्पकालिक सेवा कमीशन के कार्यकाल की समाप्ति पर या दूसरे कार्यकाल के बाद भी मिलेगा, जहां यह सेवा में एक व्यवधान के बाद होगा, और यह इस प्रकार होगा जिससे कि पूरी सेवा के दौरान 300 दिनों की समग्र सीमा का उल्लंघन नहीं होगा।

66. **एल टी सी (छुट्टी यात्रा रियायत) के साथ वार्षिक छुट्टी का नकदीकरण** सैन्य कार्मिक को छुट्टी यात्रा रियायत लेते समय 10 दिनों की वार्षिक छुट्टी का नकदीकरण करने के लिए अनुमति दी जाती है और यह वह अपने पूरे करियर के दौरान 60 दिनों तक ले सकते हैं। छुट्टी यात्रा रियायत लेने के समय ली गई छुट्टी नकदीकरण, सेवा-निवृत्ति के समय पर नकदीकरण करने योग्य वार्षिक छुट्टी की अधिकतम मात्रा से घटाया नहीं जाएगा। यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि जहां दोनों पति और पत्नी सरकारी सेवा में हैं, वहां छुट्टी यात्रा

रियायत लेने की वर्तमान हकदारी समान रहेगी और छुट्टी यात्रा रियायत लेते समय 10 दिनों की समतुल्य छुट्टी का नकदीकरण दोनों के लिए उपलब्ध रहेगा, बशर्ते कि यह अवधि पूरे करियर के दौरान प्रत्येक को अधिकतम 60 दिनों तक मिलेगी।

67. **भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की गतिविधियों में भाग लेने वाले अफसर.** दिल्ली के बाहर कार्यरत अफसर जो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के सदस्य हैं और जिन्हें संस्थान की प्राधिकृत बैठकों में भाग लेना होता है, उनको प्रत्येक कलेंडर वर्ष में विशेष आकस्मिक छुट्टी प्रदान की जाती है जो छः कार्य दिवस से अधिक नहीं होगी, साथ ही ऐसी बैठकों में भाग लेने हेतु आने-जाने के लिए यात्रा करने के लिए आवश्यक निम्नतम अवधि भी देनी चाहिए। यह छुट्टी निम्नलिखित के तहत मंजूर की जाएगी:-

(क) यूनिट का कमान अफसर/प्रभारी अफसर- कमान के सी ओ पी/एफ ओ सी-इन सी द्वारा जिसके प्रशासनिक नियंत्रण में उस अफसर का यूनिट आता हो।

(ख) यूनिटों में कार्यरत अन्य अफसर- कर्मोडोर और उसके ऊपर के रैंक के कमानडिंग अफसर द्वारा, अन्यथा उपर्युक्त पैरा 67 (a) के अनुसार

**नोट:-** ऐसे संचलन के लिए यात्रा भत्ता अनुमेय नहीं है।

68. **कार्यालय में यौन-उत्पीड़न के अंतर्गत महिलाओं के लिए छुट्टी.** पीड़ित महिला द्वारा लिखित में अनुरोध करने पर, लंबित जांच के दौरान, "अधिनियम 2013 के अंतर्गत कार्यालय में महिलाओं के यौन-उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण)" के तहत गठित आंतरिक शिकायत समिति या स्थानीय शिकायत समिति नियुक्त कार्यालय को यह सिफारिश कर सकता है कि वह पीड़ित महिला को तीन महीने तक छुट्टी प्रदान करें। इस नियम के तहत पीड़ित महिला को दी जाने वाली यह छुट्टी, उसकी हकदारी से अतिरिक्त छुट्टी होगी।

69. **वैज्ञानिक एसोसियेशनों के तहत आयोजित बैठक में भाग लेने के लिए छुट्टी.** नौसेना कार्मिक जो इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसियेशन, नैशनल इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस इन इंडिया, इंस्टिट्यूटशन ऑफ इंजीनियर्स और इसी प्रकार के समान वैज्ञानिक निकायों जैसी वैज्ञानिक संस्थाओं के आमंत्रित सदस्य सरकारी प्रतिनिधि हैं या ऐसे सम्मेलनों में जिनको लेख पढ़ने हैं, उनको सेवा की तात्कालिक



आवश्यकता के तहत, इन संगठनों द्वारा आयोजित बैठकों में भाग लेने के लिए विशेष आकस्मिक छुट्टी दी जा सकती है। यह छुट्टी केवल बैठक में भाग लेने और जहां बैठक हो रही है, वहां तक जाने-आने के लिए ही दी जाती है। सामान्य आकस्मिक छुट्टी प्रदान करने के लिए विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों द्वारा छुट्टी मंजूर की जाएगी।

### प्रतिबंधित

### परिशिष्ट 'क'

### (नौसेना के छुट्टी संबंधी विनियमों के नियम 19 के संदर्भ में)

### छुट्टी संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी

### छुट्टी और छुट्टी संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी का विवरण

#### 1. नौसेना मुख्यालय सहित नौसेना पोतों/स्थापनाओं में सेवारत अधिकारी

आवेदक की श्रेणी	संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी
<b>(क) आकस्मिक अवकाश</b>	
(i) प्रशासनिक प्राधिकारी	नौसेनाध्यक्ष
(ii) पोतों/स्थापनाओं के कमांडिंग अफसर	प्रशासनिक प्राधिकारी
(iii) पोतों/स्थापनाओं के कमांडिंग अफसर	कमांडिंग अफसर
(iv) नौसेना मुख्यालय में अफसर	अगला उच्चतर प्राधिकारी जो कम से कम निदेशक के पद पर हो।
(v) नौसेना गोदीबाड़ा, मुंबई में अतिरिक्त झूटी के लिए आई एन आंग्रे पर तैनात अफसर	एडमिरल, अधीक्षक, नौसेना डॉकयार्ड, मुंबई
(vi) नौसेना गोदीबाड़ा, विशाखापत्तनम में अतिरिक्त झूटी के लिए आई एन एस सरकार्स पर तैनात अफसर	एडमिरल अधीक्षक, नौसेना गोदीबाड़ा, विशाखापत्तनम
<b>(ख) विशेष आकस्मिक छुट्टी</b>	
(i) खेल-कूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए	नौसेनाध्यक्ष, प्रशासनिक प्राधिकारी या नौसेनाध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत कम से कम निदेशक के रैंक का अधिकारी
(ii) बंध्यकरण ऑपरेशन करवाने के लिए	उपरोक्त (क) के समान
<b>वार्षिक छुट्टी और 'भारत में अस्वस्थता छुट्टी'</b>	
(i) प्रशासनिक प्राधिकारी	नौसेनाध्यक्ष
(ii) नौसेना मुख्यालय के अफसर	अगला उच्चतर प्राधिकारी जो कम से कम निदेशक के पद पर हो
(iii) पोतों/स्थापनाओं के कमांडिंग अफसर	प्रशासनिक प्राधिकारी
(iv) मुख्य युद्ध पोतों और तटवर्ती स्थापनाओं में सेवारत अफसर	कमांडिंग अफसर
(v) तटीय एवं उपतटीय सुरंग मार्जक (पोत) में सेवारत अफसर	स्कवॉड्रन के वरिष्ठ अफसर
(vi) उप-अनुच्छेदों (iv) और (v) के अतिरिक्त पोतों में सेवारत अफसर	प्रशासनिक प्राधिकारी
(vii) नौसेना गोदीबाड़ा (डॉकयार्ड), मुंबई में अतिरिक्त झूटी के लिए आई एन एस आंग्रे पर तैनात अफसर	एडमिरल अधीक्षक नौसेना गोदीबाड़ा (डॉकयार्ड), मुंबई
(viii) नौसेना गोदीबाड़ा (डॉकयार्ड) विशाखापत्तनम में अतिरिक्त झूटी के लिए आई एन एस सरकार्स पर तैनात अफसर	एडमिरल अधीक्षक नौसेना डॉकयार्ड, विशाखापत्तनम
(घ) वार्षिक छुट्टी और अस्वस्थता छुट्टी यदि दोनों में से कोई भी भारत से बाहर रहते हुए ली हो।	पोतों/स्थापनाओं में कार्यरत अफसरों के मामले में प्रशासनिक प्राधिकारी और नौसेना मुख्यालयों में कार्यरत अफसरों के मामले में प्रधान स्टाफ अफसर। दोनों ही स्थितियों में नौसेनाध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति लेनी होगी।
<b>(च) फर्लो</b>	नौसेना मुख्यालय
(छ) अंतर सेवा संगठनों/स्थापनाओं में कार्य कर रहे अफसर (सभी प्रकार की प्राधिकृत छुट्टी)	संबंधित संगठन/स्थापना के प्रधान
(ज) अध्ययन छुट्टी	कार्मिक प्रमुख

## 2. मानद कमीशन प्राप्त मास्टर चीफ पेटी अफसर और सेलर

छुट्टी की किस्में	संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी
(क) आकस्मिक छुट्टी	पोत/स्थापना के कमांडिंग अफसर
(ख) विशेष आकस्मिक छुट्टी	
(i) खेल-कूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए, एक कैलेंडर वर्ष में 30 दिनों तक।	प्रशासनिक अधिकारी
(ii) 6 दिनों तक बंध्यकरण/नसबंदी ऑपरेशन के लिए	पोत/स्थापना के कमांडिंग अफसर
(iii) अस्पताल से छुट्टी की तिथि और सर्विस से वास्तविक सेवा-मुक्ति की तिथि के बीच की अवधि हेतु बशर्ते कि यह "अधिकतम" 30 दिनों की हो।	पोत/स्थापना के कमांडिंग अफसर
(ग) 90 दिनों तक की संचयित वार्षिक छुट्टी के लिए एक वर्ष में 60 दिनों तक की वार्षिक छुट्टी	पोत/स्थापना के कमांडिंग अफसर
(घ) अस्वस्थता छुट्टी	सेवा चिकित्सा प्राधिकारी की संस्तुति पर पोत/स्थापना के कमांडिंग अफसर।
(च) वार्षिक छुट्टी से पूर्व 30 दिनों तक की अनुकंपा छुट्टी।	पोत/स्थापना के कमांडिंग अफसर
(छ) सेवा-मुक्ति/सेवा-निवृत्ति पर छुट्टी	नौसैनिक कम्पोजर ब्यूरो, मुंबई
(ज) भारत से बाहर ली गई वार्षिक/संचयित छुट्टी और अस्वस्थता छुट्टी।	एक वर्ष में 60 दिनों तक की वार्षिक छुट्टी या 90 दिनों की संचयित वार्षिक छुट्टी के लिए पोत/स्थापना के कमांडिंग अफसर और अस्वस्थता छुट्टी के लिए नौसेना मुख्यालय की पूर्व सहमति से सर्विस चिकित्सा प्राधिकारी की संस्तुति पर पोत/स्थापना के कमांडिंग अफसर

## 3. आर्टिफिशर अप्रेंटिश (परिशिल्पी शिक्षा)

छुट्टी की किस्में	संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी
(क) आकस्मिक छुट्टी	पोत/स्थापना के कमांडिंग अफसर
(ख) विशेष आकस्मिक छुट्टी	
अस्पताल से डिस्चार्ज की तिथि और सर्विस से सेवा मुक्ति की वास्तविक तिथि के बीच की अवधि के लिए, अधिकतम 30 दिनों तक।	पोत/स्थापना के कमांडिंग अफसर
(ग) 30 दिनों तक की वार्षिक छुट्टी	पोत/स्थापना के कमांडिंग अफसर
(घ) अस्वस्थता छुट्टी	सेवा चिकित्सा प्राधिकारी की संस्तुति पर पोत/स्थापना के कमांडिंग अफसर

परिशिष्ट 'ख'

## नौसेना छुट्टी विनियमों की सूची

विषय सूची	विनियम
(क)	
अस्वस्थता छुट्टी के कारण अनुपस्थिति, अधिकतम अवधि	
नियमित सेवा अफसर	23
अल्पकालिक सेवा कमीशन	36

<b>वार्षिक छुट्टी का संचयन</b>	
नौसैनिक	45
आर्टिफिशर अप्रेंटिश	57
<b>यात्रा अवधि को शामिल करने के लिए वार्षिक छुट्टी के साथ अतिरिक्त छुट्टी</b>	
नौसैनिक	45
आर्टिफिशर अप्रेंटिश	57
नौसैनिक (सेलर) के लिए अग्रिम वार्षिक छुट्टी का अनुदान- अनुकंपा छुट्टी पर	48
<b>वार्षिक छुट्टी (स्वीकार्य मात्रा)</b>	
अफसर (नियमित)	21
अफसर (अल्पकालिक सेवा कमीशन)	34
नौसैनिक (सेलर)	45
आर्टिफिशर अप्रेंटिश	57
आर्टिफिशर अप्रेंटिश के सेना बैंक में प्रोन्नति के बाद	59
वार्षिक छुट्टी- सामान्य	15
वार्षिक छुट्टी किस्तों में प्रदान की जा सकती है। किसी कैलेंडर वर्ष की वार्षिक छुट्टी/संचयन की गई छुट्टी से बढ़ाया जा सकता है।	
वार्षिक छुट्टी- भारत से बाहर कार्य कर रहे नौसैनिकों के लिए	60, 63
सेना चिकित्सा कोर/नौसेना में उपनियुक्ति पर आए सेना दंत कोर अफसर- स्वीकार्य छुट्टी	61
वैज्ञानिक संघ के बैठक में शामिल होने वाले	69
छुट्टी अनुमोदित करने वाले प्राधिकारी	<b>परिशिष्ट 'क'</b>
<b>(ग)</b>	
वार्षिक छुट्टी के लिए कैलेंडर वर्ष	
<b>आकस्मिक छुट्टी (स्वीकार्य मात्रा)</b>	
अफसर (नियमित)	20
अफसर (अल्पकालिक सेवा कमीशन)	33
नौसैनिक (सेलर)	44
आर्टिफिशर अप्रेंटिश	56
आकस्मिक छुट्टी- सामान्य	14
आकस्मिक छुट्टी- अवधि से अधिक समय तक	9
महिला अफसर के लिए शिशु गोद लेने हेतु छुट्टी	29,40
महिला अफसर के लिए शिशु देखभाल छुट्टी	27
छुट्टी का दावा	3
छुट्टी का वर्गीकरण	4
छुट्टियों का सम्मिलन- फलों और वार्षिक छुट्टी- अफसर	16 तथा 22
छुट्टी की शुरुआत- सामान्य	5

अनुकंपा छुट्टी- नौसैनिक	48
भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर कार्मिकों के लिए अनुदेश कोर्स- स्वीकार्य छुट्टी	60
फर्लों आकलन के लिए तीन वर्षों का चक्र	22
<b>(घ)</b>	
सर्विस से डिसचार्ज- नौसैनिक- स्वीकार्य छुट्टी	49
<b>(च)</b>	
विदेश में स्थित राजदूतावास/मिशन- सेवारत कार्मिक- स्वीकार्य छुट्टी	63
संचयित वार्षिक छुट्टी का नकदीकरण	65
वार्षिक छुट्टी का यात्रा रियायत छुट्टी (एल टी सी) के साथ नकदीकरण	66
छुट्टी बढ़ाना- संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी	11 तथा परिशिष्ट 'क'
<b>वार्षिक/संचयित वार्षिक छुट्टी को बढ़ाना</b>	
नौसैनिक (सेलर)	45
आर्टिफिशर अप्रेंटिश	57
आकस्मिक छुट्टी को एक कैलेंडर वर्ष से दूसरे कैलेंडर वर्ष में बढ़ाना	14
वार्षिक छुट्टी को एक कैलेंडर वर्ष से दूसरे वर्ष में बढ़ाना	15
फर्लों को 3 वर्ष के एक चक्र से, 3 वर्ष के दूसरे चक्र में बढ़ाना	16
अस्वस्थता छुट्टी को एक कैलेंडर वर्ष से दूसरे- कैलेंडर वर्ष में बढ़ाना	47
<b>अस्वस्थता छुट्टी को आगे बढ़ाना</b>	
नियमित अफसर	23
अल्पकालिक सेवा कमीशन, अफसर	36
आवेदन को आगे बढ़ाना	2
<b>(छ)</b>	
छुट्टी की जब्ती- नौसैनिक	52
फर्लों- स्वीकार्य मात्रा	16
फर्लों- सामान्य	16
फर्लों को वार्षिक छुट्टी के साथ लिया जा सकता है	16
फर्लों को 3 वर्ष के एक चक्र से तीन वर्ष के दूसरे चक्र/असंचयित फर्लों से बढ़ाया जा सकता है	16
फर्लों किस्तों में	22
<b>(ज)</b>	
गोरखा कार्मिक- छुट्टी की शुरुआत और समाप्ति	5
गोरखा नौसैनिक- लंबी छुट्टी	46
<b>(झ)</b>	
छुट्टी के पहले और बाद में जोड़े जाने वाले अवकाश	6
मानद कमीशन प्राप्त अफसर	55

<b>(ट)</b>	
<b>किस्तें</b>	
वार्षिक छुट्टी- अनुदान	15
फर्लों- अनुदान	16
स्वीकार्य अशक्तता छुट्टी- अफसर	25
<b>(ठ)</b>	
भारत के बाहर की छुट्टी- अफसर	26
अशक्तता छुट्टी- अफसर	25
छुट्टी लंबित सेवा-मुक्ति- नौसैनिक	49
छुट्टी संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी- नौसैनिक	19 तथा परिशिष्ट 'क'
दीर्घ छुट्टी- गोरखा नौसैनिक	46
एकमुश्त प्रावधान- फर्लों	16
कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के अंतर्गत महिलाओं के लिए छुट्टी	68
<b>(ड)</b>	
सभी महिला अफसर के लिए लागू मातृत्व छुट्टी	28
विदेश स्थित मिशन- सेवारत कार्मिक- स्वीकार्य छुट्टी	63
फर्लों किस्तों में लेने की स्थिति में- माह का आकलन	22
वेतन का जुर्माना- नौसैनिक/आर्टिफिशर अप्रेंटिश- छुट्टी पर अवधि से अधिक रहने की स्थिति में	9(ख)
एम सी पी ओ मानद कमीशन प्राप्त	55
<b>(ढ)</b>	
<b>असंचयित</b>	
वार्षिक छुट्टी	15
फर्लों	16
नौसेना में उपनियुक्त नर्सिंग अफसर- स्वीकार्य छुट्टी	62
<b>छुट्टी पर छुट्टी की अवधि से अधिक रहना</b>	
सामान्य	9
प्राकृतिक आपदाएं	9
छुट्टी पर गए नौसैनिकों के अस्वस्थ हो जाने पर	47
<b>(त)</b>	
बच्चे के जन्म पर पितृत्व छुट्टी	30, 41, 53
बच्चा गोद लेने पर पितृत्व छुट्टी	31, 42, 54
छुट्टी पर रहते हुए झूठी संपादन	12
अस्वस्थता छुट्टी से झूठी पर वापसी की अनुपति	18
भारत से बाहर तट पर कार्य कर रहे कार्मिक- भारत में छुट्टी प्रारंभ होने और समाप्ति की तिथि	5

छुट्टी लेने या ड्यूटी ग्रहण करने का स्थान	7
छुट्टी के साथ पहले या बाद में जुड़ने वाले पूर्ण अवकाश	6
भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के क्रियाकलापों में भागीदारी	67
<b>(थ)</b>	
छुट्टी से वापस बुलाना	13
नौसैनिकों की सेवा-मुक्ति/सेवा-निवृत्ति के बाद प्रकाश में आई अतिरिक्त/ अनियमित दी गई छुट्टी नियमितीकरण	10

<b>पोतों/स्थापनाओं की नफरी में प्रतिधारण</b>	
कमीशन प्राप्त अफसर	21
सेवा-निवृत्ति/स्वीकार्य छुट्टी- नौसैनिक	49
<b>(द)</b>	
संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी- छुट्टी	19 तथा परिशिष्ट 'क'
अल्पकालिक सेवा कमीशन- स्वीकार्य छुट्टी	4(ख)
रोगी बीथी/सेवा या मान्यता प्राप्त सिविल अस्पताल- नौसैनिकों द्वारा व्यतीत समय	47
<b>अस्वस्थता छुट्टी- स्वीकार्य मात्रा</b>	
अफसर- नियमित	23
अफसर- अल्पकालिक सेवा कमीशन	36
नौसैनिक	47
आर्टिफिशर अप्रेंटिस	58
<b>अस्वस्थता छुट्टी- सामान्य</b>	
चिकित्सा प्राधिकारियों की संस्तुति पर अनुदान	17
लाक्षणिक और गैर-लाक्षणिक मामलों के बीच किसा प्रकार का अंतर नहीं	17
अस्वस्थता छुट्टी- ड्यूटी पर वापसी की अनुमति	18
अस्वस्थता छुट्टी- नौसैनिक- वार्षिक छुट्टी या संचयित वार्षिक छुट्टी से घटाने के लिए	47
अस्वस्थता सूची रियायत- अफसर	24
विशेष आकस्मिक छुट्टी- नसबंदी ऑपरेशन हेतु जाने वाले कार्मिकों के लिए	64 (ख) तथा (ग)
खेल-कूद कार्यक्रम और प्रतियोगिताओं के लिए	64(क)
छुट्टी के बाद में अवकाश जोड़ना	6
<b>(ध)</b>	
नियुक्ति की समाप्ति- अल्पकालिक सेवा, कमीशन प्राप्त अफसर- स्वीकार्य छुट्टी	38
छुट्टी की समाप्ति	5
छुट्टी से वापस बुलाने पर छुट्टी स्टेशन से और वहां तक की यात्रा का समय	13

एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) केस

**संख्या. आर पी/4407/एल आर**

एम ओ एफ (डी/एन) यू ओ संख्या 11 (6) /एन ए/2019

रक्षा मंत्रालय यू ओ संख्या 2382/डी-एन -I/2019

डी प्रवीण, निदेशक (नौसेना I)

New Delhi, the 11th December, 2019

**THE NAVY LEAVE REGULATIONS - 2019**

**S.R.O.105.**— In exercise of powers conferred by section 184 of the Navy Act, 1957 (62 of 1957), the Central Government hereby makes the following regulations namely:-

**CHAPTER I**

**GENERAL**

1. **Short Title.** These regulations may be called the Navy Leave Regulations, 2019.
2. **Application.** They shall apply to Officers (*including Special Duties List Officers*), Sailors and Artificer Apprentices of the Indian Navy.
3. **Claim to Leave.** Leave shall not be claimed as of right. Its grant shall be subject to the exigencies of the Service.
4. **Classification of Leave.** Leave admissible to different categories of personnel shall be of the following kinds, namely:-

(a) **Regular Officers (including Special Duties List Officers).**

- (i) Casual Leave.
- (ii) Annual Leave.
- (iii) Furlough.
- (iv) Sick Leave.
- (v) Leave on invalidment.
- (vi) Child Care Leave (*for Women officers*).
- (vii) Child Adoption Leave (*for Women officers*).
- (viii) Paternity Leave on birth of a child.
- (ix) Paternity Leave on adoption of a child.
- (x) Maternity Leave.
- (xi) Study Leave.
- (xii) Special Casual Leave.

(b) **Short Service Commissioned Officers.**

- (i) Casual Leave.
- (ii) Annual Leave.
- (iii) Furlough.
- (iv) Sick Leave.
- (v) Special Casual Leave.
- (vi) Leave on invalidment.

- (vii) Leave on termination of engagement.
- (viii) Child Care Leave (*for Women Officers*).
- (ix) Child Adoption Leave (*for Women Officers*).
- (x) Paternity Leave on birth of a child.
- (xi) Paternity Leave on adoption of a child.
- (xii) Maternity Leave.

(c) **Sailors.**

- (i) Casual Leave.
- (ii) Annual Leave.
- (iii) Sick Leave.
- (iv) Compassionate Leave.
- (v) Leave on discharge or retirement.
- (vi) Paternity Leave on birth of a child.
- (vii) Paternity Leave on adoption of a child.

(d) **Artificer Apprentices.**

- (i) Casual Leave.
- (ii) Annual Leave.
- (iii) Sick Leave.
- (iv) Paternity Leave on birth of a child.
- (v) Paternity Leave on adoption of a child.

5. **Date of Commencement and Termination of Leave.**

(a) Leave shall commence on the date on which an individual is relieved from duty if relieved in the forenoon, and on the following day if relieved in the afternoon.

(b) Leave shall terminate on the day preceding the date of re-joining, if an individual re-joins duty in the forenoon, or on the date of re-joining, if he re-joins in the afternoon.

(c) Notwithstanding anything contained in this regulation:-

(i) (aa) Leave of Gorkha Officers shall commence or terminate on the date of crossing the Nepal border; leave of officers domiciled in Bhutan shall commence on the date of crossing the Bhutan border.

(ab) If a sailor, who has availed himself of the additional leave under regulation 46, alongwith Annual Leave or accumulated Annual Leave during the first year of a block of two years is granted Annual Leave or accumulated Annual Leave in the second calendar year of the block, that leave shall commence or terminate on the dates of crossing the Nepal or Bhutan border with no entitlement to the additional leave.



(ii) In case of personnel serving afloat, leave shall terminate on the date of their reporting to the ship on which they are borne; and in case the ship on which they are borne is temporarily away from the home port or from the port where it was scheduled to be at the time, the personnel shall report to the shore establishment of that port and their leave shall be considered as terminated on the date of reporting to the shore establishment.

(iii) For personnel serving ashore ex-India, leave in India shall commence on the date on which such personnel proceed on leave from the shore establishment to which they are appointed or transferred on arrival in India and terminate on the date they are required to report for duty prior to proceeding ex-India.

(iv) The leave of Naval personnel serving in the Andaman and Nicobar Islands and on ships based on these Islands shall commence and terminate on reporting at *IN Ships Adyar, Netaji Subhash and Circars*.

(v) Leave of Naval personnel serving in the mainland and having their homes in Lakshadweep Islands will begin at Naval Detachment, Kochi/ NCC, Calicut from the date they are put on a vessel for their home island and will terminate on the date of their reporting back at the station aforesaid. They will be transported between the mainland and the Islands by the earliest available suitable merchant ship. The period of travel to and from between the duty station and Naval Detachment, Kochi/ NCC, Calicut, as well as the period of stay at Kochi/ Calicut till personnel are put on a vessel, will be treated as on duty. Sailors proceeding on Annual Leave/ accumulated Annual Leave, in whose case the period of journey between Naval Detachment, Kochi/ NCC, Calicut and the leave station exceeds two days each way, will be allowed an additional leave in terms of regulation 45(d) of these regulations.

#### 6. **Prefixing and Suffixing of Holidays to Leave.**

(a) If a recognised holiday (*such as a Sunday, Republic Day or the like*) falls on the day immediately preceding the day from which leave has been granted or such holiday follows the last day of the leave granted, an individual who is not required for duty on such holiday may with his Commanding Officer's express permission, leave his station at the close of the day before, or return to duty at the end of such holiday, provided no extra expense is caused to the State.

(b) An individual shall be considered, as on duty, during such holiday, which shall not count against the number of days for which leave is granted.

**Explanation I:** The concession prefixing or suffixing of holiday to leave shall not be admissible in the case of Gorkha personnel whose leave commences or terminates on the date of crossing the Nepal or Bhutan borders under Regulation 5, Sub-regulation (c).

**Explanation II:** The concession of prefixing and suffixing of holidays to leave will not be admissible to sailors who enjoy the benefit of additional leave in terms of Sub-regulation (d) of Regulation 45.

**Explanation III:** Restricted holidays shall be treated as recognised holidays where such holidays are prefixed or suffixed to leave.

#### 7. **Place from which Leave is taken and Place at which Duty is resumed on Termination of Leave.**

(a) Individual shall ordinarily proceed on leave from, and re-join after expiry of leave at their permanent duty stations.

(b) Officers not below the rank of Captain may be permitted to proceed on, or re-join duty from leave at station other than their permanent duty stations by the Chief of the Naval Staff (*in the case of officers serving at Naval Headquarters*) and by the Flag Officer Commanding-in-Chief Western Naval Command, the Flag Officer Commanding-in-Chief Eastern Naval Command, the Flag Officer Commanding-in-Chief Southern Naval Command, the Commander-in-Chief Andaman Nicobar Command and the Naval Advisers or Attachés in Indian Missions abroad, within the limit of their respective Commands, provided that:-

(i) It is necessary or expedient in the public interest for the officer to perform temporary duty at that time at a station other than his permanent duty station, and

(ii) If the officer concerned is not required to perform the duty, it would be necessary to detail some other person to perform it.

(c) Officers below the rank of Captain may be permitted, provided it results in saving to the State, to proceed on, or re-join duty from, leave at stations other than their permanent duty stations by the Chief of the Naval Staff (*in the case of officers serving at Naval Headquarters*) and by the Flag Officer Commanding-in-Chief Western Naval Command, the Flag Officer Commanding-in-Chief Eastern Naval Command, the Flag Officer Commanding-in-Chief Southern Naval Command, the Commander-in-Chief Andaman Nicobar Command and the Naval Advisers or Attachés in Indian Missions abroad, within the limits of their respective Commands.

(d) Sailors serving in the ships and establishments may, at the discretion of the Commanding Officers, be permitted to proceed on or re-join duty from leave at stations other than their permanent duty stations in which they are serving, provided it results in saving to the State.

**Explanation:** The provisions of this regulation shall not apply:-

(i) To Casual Leave which counts as duty;

(ii) In the case of officers who are granted leave on the conclusion of course of ten weeks' duration or more as well as those who are detailed to attend such courses whilst on leave; and

(iii) In case where establishments or units of establishment move temporarily enbloc to places away from their permanent stations as well as to detachments located away from permanent stations.

8. **Leave Entitlement.** Leave entitlement for officers and personnel attached to other establishments due to disciplinary cases, will be as follows:-

(a) Officers and personnel attached to other establishments, due to disciplinary cases, are not deemed to be performing normal duty and no leave is, therefore, ordinarily permissible to them:

Provided that, in exceptional cases leave due may be granted on extreme compassionate grounds by the authority, who issued orders for their attachment to such establishment.

(b) Personnel permitted to proceed on leave from a station other than the permanent duty station may be permitted to re-join at that station, if necessary.

(c) Leave granted under this regulation shall be restricted to the barest minimum and shall not be granted unless the authority granting the leave is satisfied that it would not hamper or unduly delay the progress of the disciplinary case.

9. **Overstay of Leave.**

(a) **Officers.**

(i) If an officer overstays his leave (*except Casual Leave*) no pay shall be admissible for the period of overstay, unless an extension of leave to cover that period is granted by the Competent Authority. Cases of overstay of Casual Leave beyond the normal entitlement at a time shall be regularised by Naval Headquarters, provided the total period of Casual Leave availed by the officer does not exceed the maximum amount of such leave admissible during the year.

(ii) In cases where the maximum amount of Casual Leave admissible in a year is exceeded as a result of overstay by the individual or extension by the Administrative Authorities, the entire spell of Casual Leave including the period of extension or overstay shall be treated as Annual Leave or Furlough for that year, if due.

(iii) If an officer is compelled to overstay his leave due to natural calamities like floods, earthquakes, landslides, etc, the overstay upto 30 days in excess of the maximum leave admissible, may be regularised by Naval Headquarters at their discretion by adjustment against his future Annual Leave entitlement or Furlough as may be considered appropriate.

(b) **Sailors or Artificer Apprentices.** If a Sailor or Artificer Apprentice overstays his leave, the following principles shall apply, namely:-

- (i) If found guilty, he shall be dealt with under the Navy Act 1957 and awarded mulcts of pay in accordance with Regulation 41 of the Regulations for the Navy, Part II.
- (ii) If not found guilty, (*in case of leave other than Casual Leave*) an extension to cover the period in question shall be granted by the Leave Sanctioning Authority, which shall be debited to his Annual Leave account for the current year. If no Annual Leave is due for that year, such leave shall be treated as an advance of the next year's Annual Leave. Cases of overstayal of Casual Leave beyond the normal entitlement at time, shall be regularised by the authorities mentioned in sub-clause (ab) of clause (ii) of sub-regulation (d) and provided the total period does not exceed the maximum amount of such leave admissible during the year. In cases where maximum amount of Casual Leave admissible in a year is exceeded as a result of overstayal by the individual or extension by the Commanding Officer of the Ship or Establishment, the entire spell of Casual Leave including the period of extension or overstayal, shall be treated as Annual Leave for that year, if due.
- (c) In cases of overstayal of Casual Leave due to individual's own sickness beyond the maximum Casual Leave admissible in a year, the entire period involved (*Casual Leave and overstayal thereof*) shall, in the first instance, be debited to the Annual Leave entitlement of the year in which Casual Leave is granted, if due. Cases of overstayal of Casual Leave due to individual's own sickness which are not so covered by their Annual Leave entitlement involve overstayal up to 60 days from the date of falling sick shall be regularised as provided in sub-regulation (d), and by the authorities specified in clause (ii) therein, subject to satisfaction about its genuineness, after making necessary inquiries.
- (d)(i) (aa) Period prior to the date of falling sick By adjustment against future Annual Leave entitlement.
- (ab) 30 Days from the date of falling sick As Sick Leave with full pay and allowances.
- (ac) Next 30 days By adjustment against future Annual Leave entitlement.
- (ii) (aa) Cases in which treatment is taken in Military or Civil Government Hospital By the Commanding Officer of the ship or Establishment.
- (ab) Cases in which treatment is taken at home By the Commanding Officer of ship or establishment upto a maximum of 30 days and by the authority mentioned below upto a maximum of 60 days:-
- (aa) Commanding Officer of the ship of the rank of Captain or above if the ship does not have any Squadron Senior, but if the Commanding Officer is of the rank of Commander or below, then Administrative Authority in respect of sailors borne on the books of ship under his administrative control.
- (ab) Senior Officer of the Squadron if of the rank of Commander or above in respect of sailors borne on the books of the ship of his Squadron.
- (ac) Administrative Authority, if the Senior Officer is of the rank below that of a Commander in respect of sailors borne on the books of the ship of his Squadron.
- (ad) Commanding Officer of the shore establishment in respect of sailors borne on the books of his establishment.
- (iii) Cases involving overstayal beyond 60 days from the date of falling sick shall be submitted to Central Government for orders.

**Explanation 1:** In cases where future leave does not accrue to an individual due to his retirement or discharge, the periods mentioned in sub-clause (aa) and (ac) of clause (i) shall be treated as Extraordinary Leave without pay and allowances by the authorities specified in sub clauses (aa) and (ab) of clause (ii).

**Explanation 2:** In case where the period of overstays is required to be adjusted against the following year's Annual Leave entitlement, the Annual Leave of that year shall be regarded as proportionately consumed for carrying out necessary adjustments. The grant of leave on compassionate grounds in the following year if necessary, shall be dealt with under Regulation 48.

(iv) If a sailor overstays the leave granted to him due to natural calamities like floods, earthquakes and landslides the period of overstays of leave up to 30 days may be regularised by the Commanding Officer at his discretion (*overstay of accumulated Annual Leave shall be so regularised under the orders of the Administrative Authority*). The first 15 days of the 30 days limit may be treated as Special Leave with full pay and allowances, and the remaining period upto 15 days may be adjusted against the future leave entitlement of the individual. In the case of Artificer Apprentices, Special Leave with full pay and allowances upto 15 days may be sanctioned at the discretion of the Commanding Officer. Any period of overstays of leave beyond 30 days in the case of Sailors or 15 days in the case of Artificer Apprentices, shall be reported to the Chief of Personnel for orders. In such cases, the period of overstays may be regularised at the discretion of the Chief of Personnel by grant of leave without pay.

10. **Regularisation of Excess/ Irregular Grant of all Kinds of Leave – Officers and Sailors.**

(a) Regularisation of excess/ irregular grant of all kinds of leave upto 60 days in respect of officers and sailors by adjustment against future annual leave or by grant of extra ordinary leave without pay and allowances as under:-

- |                   |  |
|-------------------|--|
| (i) Upto 30 days  | (aa) Commanding Officers of the rank of Captain /Commodore.                                  |
|                   | (ab) Director of Personnel for Units under Naval Headquarters.                               |
| (ii) Upto 60 days | (aa) Flag Officers Commanding-in-Chief and Administrative Heads of the rank of Vice Admiral. |
|                   | (ab) Chief of Personnel for the Units under Naval Headquarters.                              |

(b) Cases of excess/ irregular grant of leave involving periods of excess of 60 days will be regularised under Government sanction.

(c) Cases of sailors involving excess/ irregular grant of Casual Leave, Annual/ accumulated Annual Leave, Compassionate Leave, Sick Leave or any other kind of leave up to 30 days coming to light at the time of their discharge/ retirement from Service will be regularised by the Commodore, Bureau of Sailors, Mumbai, by grant of Extraordinary Leave without pay and allowances, provided no leave for adjustment is due to them.

11. **Extension of Leave.** Any extension of leave shall require the sanction of the Leave Sanctioning Authority.

12. **Performance of Duty or Attendance at a Course of Instruction while on Leave.**

(a) An individual detailed for duty or a course of instruction, when on leave, shall on the termination of such duty or course of instruction, be eligible for leave equivalent to the balance of leave on the date of commencement of duty or course of instruction.

(b) The order placing him on duty or on a course of instruction shall state the period of duty or course of instruction and the balance of leave to be granted on the termination of duty or course of instruction.

(c) For this purpose, the travelling time from and to the leave station, if any, shall be viewed as having been spent on duty.

**13. Recall from Leave.**

(a) Persons recalled from leave shall return to duty immediately and recall-orders shall be issued by the appropriate leave sanctioning authority. In case of officers serving at Commands and Service Headquarters, the authority for recall shall be governed by Article 151 of Travel Regulations 2014 (Revised).

(b) The travelling time from the leave station to the duty station, shall be viewed as having been spent on duty.

(c) In case where the balance of the un-availed portion of leave is granted to such persons, they shall be allowed additional leave to cover the travelling period from their duty stations to their leave stations.

(d) When a person proceeds on Annual Leave, a portion of which falls in the next calendar year, and is recalled to duty, the balance of leave granted on completion of the duty will not prejudice his Annual Leave entitlement for the latter year.

**14. Casual Leave.**

(a) Casual Leave counts as duty, but on no account shall such leave be utilised to supplement any other form of leave or absence.

(b) Casual Leave due in a year shall only be taken within that year.

(c) If, however, any individual is granted Casual Leave at the end of the year extending to the next year, the period falling in the latter year shall be debited against the Casual Leave entitlement of that year.

**15. Annual Leave.**

(a) Annual Leave, for the year may at the discretion of the Leave Sanctioning Authority, be extended to the next calendar year without prejudice to the Annual Leave authorised for the year in which the extended leave expires.

(b) Annual Leave may be taken in instalments within the same year;

(c) Annual Leave year shall be the calendar year, namely 1<sup>st</sup> January to 31<sup>st</sup> December; and

(d) Annual Leave shall be non-accumulative except as provided for in Regulations 45 and 57.

**16. Furlough.**

(a) Furlough is a lump-sum provision which can be availed of, by a person, at any time after the commencement of a cycle of 3 years period.

(b) Furlough shall be granted by itself or in continuation of Annual Leave.

(c) (i) Furlough earned during a cycle of 3 years shall not be combined with furlough of the following cycle of 3 years.

(ii) Furlough granted in one cycle of three years, may however, be extended to the next cycle of 3 years at the discretion of the leave sanctioning authority. Such Furlough shall be reckonable against entitlement of the cycle of three years in which it commenced, without prejudice to the entitlement of furlough for the cycle of three years in which the leave terminates; but further furlough shall not be admissible until the officer again performs duty.

(d) Furlough shall be non-accumulative.

**17. Sick Leave.**

(a) Sick leave shall be granted on the recommendations of the Competent Medical Authorities as indicated in Regulations 23 and 47.

(b) There shall be no difference between attributable and non-attributable diseases for the purpose of the grant of Sick Leave.

18. **Permission to Return to Duty from Sick Leave.** No person, who has been granted Sick Leave, shall return to duty until he has been passed fit by the Competent Medical Authority and received permission to do so from the authority competent to sanction such leave.

19. **Leave Sanctioning Authority.** Leave Sanctioning Authorities shall be as given in the Appendix 'A' to these Regulations.

## CHAPTER II

### SECTION I – REGULATIONS APPLICABLE TO REGULAR OFFICERS (INCLUDING SPECIAL DUTIES LIST OFFICERS)

20. **Casual Leave.** The maximum amount of Casual Leave that is admissible during the calendar year is 20 days. Leave upto 20 days at a time may be granted at the discretion of the Leave Sanctioning Authority.

21. **Annual Leave.**

(a) The Annual Leave admissible in each calendar year shall be 60 days and shall be non-accumulative.

(b) Officers shall remain on the strength of their ships or establishments for the period of Annual Leave and no acting promotions in their place shall be admissible during that period except as provided for in the Regulations for the Navy Part III (Statutory), Regulation 202, Sub-regulation 13 (a).

(c) On transfer from one ship or establishment to another, officers who take Annual Leave with the consent of the Commanding Officer of their new ship or establishment, before joining shall be taken on the strength of that ship/ establishment and regarded as having proceeded on leave from the new appointment.

22. **Furlough.**

(a) The amount of Furlough admissible shall be two months in every three years and it may be taken at any time during this period.

(b) Furlough may be taken in instalments.

(c) For calculation of broken periods, 30 days shall reckon as month.

**Explanation:** For the purpose of computing furlough, the cycle of three calendar years shall commence from the year in which a person is granted Commission.

23. **Sick Leave.**

(a) (i) Sick Leave shall be admissible for a period upto six months in the first instance, which shall include any Annual Leave due.

(ii) Sick Leave during treatment in a Sick Bay or Hospital shall be granted on the recommendation of the Authorised Medical Attendant.

(iii) Sick Leave for convalescence shall be granted only on the recommendation of a Medical Board.

(b) (i) If there is a reasonable prospect of the officer becoming fit for duty, extension of leave by three months at a time up to a total period of twelve months absence from duty, shall be granted on the recommendation of the Medical Board.

(ii) On expiry of twelve months, if in the opinion of Medical Board, there is still a reasonable prospect of the officer becoming fit for duty, Sick Leave shall be further extended up to a total period of twenty four months at the discretion of the Leave Sanctioning Authority.

**Explanation 1:** Officers undergoing treatment in Military Hospitals may be granted leave up to a maximum of 10 days to attend to their domestic emergencies, provided the grant of such leave does not interfere with their

treatment. This leave shall be treated as a part of Sick Leave admissible under Leave Regulations and shall be granted at the discretion of Officer Commanding Hospital.

**Explanation 2:** On extreme compassionate grounds, the Officer Commanding of the Military Hospital may grant a second spell of Casual Leave, subject to the conditions stated above.

**Explanation 3:** In a case where the Officer Commanding the Military Hospital finds that the treatment of an officer has been retarded due to patient's own imprudence during such leave, he shall request Naval Headquarters to convert such leave into extraordinary leave without pay and allowances.

**Explanation 4:** Naval aviation officers employed on flying duties as Pilots and Observers, who are injured or contract illness as a direct result of a flying accident, may be granted sick leave, upto a maximum period of two and a half years on the recommendation of the Competent Medical Board, at the discretion of the authority competent to sanction such leave.

#### 24. **Sick List Concession.**

(a) An officer falling sick while on duty or on Casual Leave taken by itself would be retained on the sick list for a period of 30 days or less, which period would be treated as on duty, if it stood by itself unconnected with any kind of Sick Leave, provided the sickness is due to causes beyond his control.

(b) The concession referred to in sub-regulation (a) is called '*Sick List Concession*' which shall not be admissible, if the period of sickness exceeds 30 days and in such cases the entire period shall be treated as Sick Leave.

**Explanation:** Where an officer falls sick whilst on Casual Leave, the Sick Leave shall reckon from the date of falling sick and the Casual Leave availed of prior to that date shall not be vitiated.

#### 25. **Leave on Invalidment.**

(a) In attributable cases:

(i) Officers placed in 'medical category S5A5' who are retained in a Military Hospital, shall be granted leave up to a period of eight months, which shall commence from the first day of absence from duty.

(ii) In the case of officer suffering from Tuberculosis who are retained in a Military Hospital, the period of eight months referred to in clause (i) shall be extended up to the date on which medical or surgical finality is reached, subject to the over-riding limit in sub-regulation (b) of Regulation 23.

(b) In non-attributable cases, the concession under sub-regulation (a) shall not be admissible.

(c) Naval officers who are to be released as medically unfit for further service in both attributable and non-attributable cases, may be granted *Leave Pending Release* equal to the amount of Annual Leave to their credit, if any, from the date of their clearance from the ship/ establishment.

#### 26. **Leave Ex-India.**

(a) Leave admissible under these regulations may also be granted ex-India as under:-

(i) On recommendation of the Medical Board.

(ii) To officers for study or recreation.

(iii) To meet personal requirements overseas.

(b) The leave shall commence and terminate as in Regulation 5 and shall be subject to any restriction which may be imposed from time to time, by the Government of India.

#### 27. **Child Care Leave.**

(a) Child Care Leave (CCL) is admissible to Permanent Commission Women Officers for 360 days during entire service period for taking care of two eldest surviving children below 18 years of age, whether for rearing or to look

after any of their needs like examination, sickness, etc. However, in case child has minimum disability of 40%, the age limit for child for grant of CCL will be below 22 years instead of 18 years.

(b) CCL will be applicable for upto two eldest surviving children (*whether from one child birth or more*). CCL will also be applicable to adoptee mothers.

(c) CCL shall not be granted in more than two spells in a calendar year.

(d) CCL shall not be granted for a period of less than 15 days and not more than 30 days in each spell upto a maximum of 60 days in a calendar year. In cases where the CCL spills over to the next year, it may be treated as one spell against the year in which the leave commences.

(e) Short Service Commissioned Officers who are later granted Permanent Commission during their service career will be entitled to the difference of CCL authorised to a Permanent Commission officer and CCL availed during her tenure as SSC officer subject to the ceiling of 360 days.

(f) CCL is to be treated like Annual Leave and sanctioned as such. Consequently, Saturdays, Sundays, gazetted holidays, etc falling during the period of leave would also count for CCL, as in the case of Annual Leave. Similarly, prefixing/ suffixing of holidays to CCL will also be permitted as in case of Annual Leave.

(g) CCL will not be debited against any other leave account.

(h) CCL cannot be demanded as a matter of right. Its grant will always be subject to exigencies of Service.

(j) CCL may be combined with leave of any other kind except Casual Leave.

(k) In case women officers have been unable to avail CCL in the absence of Government orders during the intervening period i.e. 01 Sep 08 to 04 Mar 14, the following guidelines are stipulated:-

(i) Women officer who have availed Annual Leave during this period specifically for looking after the needs of the children will be entitled to commute the same to CCL subject to fulfilment of other conditions as laid down in this paragraph.

(ii) A certificate countersigned by the Commanding Officer be taken from the concerned women officers stating that the leave during the intervening period had been availed only for looking after the needs of children.

(iii) As a one-time special dispensation these officers on commutation of Annual Leave to CCL may be permitted either to accumulate the Annual Leave availed during the intervening period for encashment, subject to the present overall limit of a maximum of 30 days in a calendar year, upto a limit of 300 days.

(l) CCL will not be granted to women officers during the period of probation/ training (*including pre-commissioning training and post-commissioning course of instructions*).

(m) LTC may be availed during CCL.

(n) The above stipulation at Para K (i) to (iii) will be a one-time special dispensation and cannot be quoted in future.

28. **Maternity Leave.** Maternity Leave to married women officers will be granted as under:-

(a) 180 days leave on full pay for each confinement subject to maximum of two confinements/ two surviving children.

(b) In exceptional cases, a further extension of one month may be granted by Naval Headquarters (*Chief of Personnel*), without pay in addition to Annual Leave and Furlough entitlements.

(c) 30 days leave on full pay and allowances in case of miscarriage/ abortion (*including medical termination of pregnancy under MTP Act*), subject to the following restrictions:-

(i) Leave shall not be permissible more than twice in the course of service of an officer.

(ii) An interval of not less than 24 months between two successive spells of maternity leave should exist.



29. **Child Adoption Leave.** Woman service officers with fewer than two surviving children, on valid adoption of a child below the age of one year, may be sanctioned Child Adoption Leave for a period of 180 days immediately after the date of valid adoption, on the lines of Maternity Leave admissible to natural mothers. This facility will be uniformly applicable to PC as well as SSC women officers. The conditions for grant of leave will be as under:-

(a) Facility is not admissible to a woman officer already having two surviving children at the time of adoption.

(b) This may be combined with Annual Leave and Furlough on a sliding scale depending upon the age of the child on the date of adoption without taking into account Child Adoption Leave, as in the following illustration:-

(i) If the age of the child is less than nine months, the maximum period of four months (*two months Annual Leave and two months Furlough as authorised in extant Leave Rules*) may be allowed.

(ii) If the age of child is nine months and above but less than twelve months, leave upto three months (*Annual Leave and Furlough as authorised in extant Leave Rules*) may be allowed.

(c) Child Adoption Leave shall not be debited against the leave account. The leave shall be granted in a single spell.

(d) Leave salary will be equal to pay drawn immediately before proceeding on leave.

30. **Paternity Leave on Birth of a Child.** Defence Services male service personnel may be sanctioned Paternity Leave of 15 days on birth of a child, subject to the following conditions:-

(a) Service personnel should have less than two surviving children.

(b) Leave to be granted during the period of confinement of his wife i.e. upto a period of 15 days before or upto six months from the date of delivery of the child.

(c) Paternity Leave may be combined with Annual Leave.

31. **Paternity Leave on Adoption of a Child.** Defence Services male service personnel may be sanctioned Paternity Leave of 15 days on adoption of child, subject to the following conditions:-

(a) Service personnel should have less than two surviving children.

(b) Child should be below the age of one year on date of valid adoption.

(c) Leave to be granted for a period of 15 days within six months from the date of valid adoption of child.

(d) Paternity Leave may be combined with Annual Leave.

32. **Study Leave.**

(a) All regular officers of the Navy will be eligible for the grant of extra leave known as Study Leave for pursuing special studies in India or ex-India under the conditions specified below:-

(b) Conditions for the grant of Study Leave:-

(i) Study Leave will be admissible to officers of all branches of Navy.

(ii) Study Leave may be granted to an officer to enable him to undergo, in or outside India, a special non-academic course of study certified by the Naval Headquarters as enhancing his usefulness as an Armed Forces Officer.

(iii) Study Leave ex-India will ordinarily be admissible for those non-academic courses only, which are not available at any University or Institution in India.

(iv) Study Leave shall not ordinarily be granted to an officer who has rendered less than 5 years service or who is due to retire from Service within 5(*five*) years of the date of return to duty from leave.

(v) The maximum period of Study Leave will generally be upto 24 months. It may be extended by a period of two months Annual Leave (*if not already availed*) of the year in which Study Leave commences, plus an additional two months Furlough entitlement of the three years cycle spanning the Study Leave period, if so required by the specific study being undertaken. Furlough rates of pay will be admissible during Furlough, when granted. The maximum period of Study Leave, including Annual Leave and Furlough will be 28 months during the entire service of the officer.

(vi) The Study Leave will be admissible not more than twice throughout the service, subject to the overall 28 months limit prescribed at Para 32(b)(v) above.

(vii) Study Leave vacancies will be filled up.

(viii) Prior to the grant of Study Leave, the officer will give an undertaking in writing that he will not normally seek permission to retire or resign the Commission except on grounds of ill health and other compassionate grounds within a period of 5 years after return to duty.

(ix) If an officer chooses to resign his Commission before the completion of the stipulated period of service after return from Study Leave, excepting on grounds mentioned at Para 32 (b)(viii) above, he shall be required to refund the actual amount of leave salary, study allowance, cost of fees, travelling allowance and other expenses, if any, incurred by Government of India and the actual amount, if any, of the cost incurred by other agencies such as foreign Government, Foundations and Trusts.

(c) During Study Leave, officers will draw full pay of the rank held and all allowances other than City Compensatory Allowance.

(d) Study Leave will commence from the date an officer is struck off the strength of his unit. The officer must report to the unit to which he is posted on the day following the date of completion of his leave.

(e) **Journey Period.** Time spent on the journey to the place of study and return to the station to which posted on completion of the studies will reckon as Study Leave.

(f) Other conditions regarding study allowance, travelling allowance and submission of applications and sanctioning of study leave are stipulated in NI 4/86.

## **SECTION II – REGULATIONS APPLICABLE TO SHORT SERVICE COMMISSIONED OFFICERS OF THE INDIAN NAVY**

33. **Casual Leave.** Casual Leave shall be admissible on the scale and under the conditions applicable to regular officers, as are referred to in Regulation 20.

34. **Annual Leave.** Annual Leave shall be admissible on the scale and under the conditions applicable to regular officers, as are referred to in Regulation 21.

35. **Furlough.** Furlough shall be admissible on the scale and under the conditions applicable to regular officers, as are referred to in Regulation 22.

36. **Sick Leave.** Sick Leave (*including 'Sick List' concession*) shall be admissible on the scale and under the conditions applicable to regular officers, as are referred to in Regulations 23 and 24, except that extension of leave beyond 12 months shall be granted, provided the extended leave falls within the officers current engagement, and if there is a reasonable prospect of his continuing in service beyond his current engagement.

**Explanation:** In the case of Naval aviation officers the grant of sick leave up to two and a half years vide Regulation 23 shall, however, be subject to there being a reasonable prospect of the officers continuing in the Service beyond the expiry or their current engagement, if that engagement is to terminate during the period of the leave granted.

**37. Leave on Invalidment.**

(a) In attributable cases, officers placed in 'medical category S5A5' who are retained in a Military Hospital, shall be granted leave up to a period of eight months which shall commence from the first day of absence from duty.

(b) In the case of officers suffering from Tuberculosis who are retained in a Military Hospital, the period of eight months mentioned in sub-regulation (a) may be extended up to the date on which medical or surgical finality is reached subject to the over-riding limit of twenty four months and provided the extended leave falls within the officer's current engagement.

(c) Naval officers who are to be released as medically unfit for further service, in both attributable, and non-attributable cases, may be granted leave pending release, equal to the amount of Annual Leave to their credit, if any, from the date of their clearance from the ship/ establishment.

**38. Leave on Termination of Engagement. Officers shall be entitled to leave on termination of engagement as under:-**

(a) Officers who complete the initial period of their short service engagement or whose services are terminated by the Central Government, 28 days leave in addition to any Annual Leave to which they shall be entitled in the year in which their engagement terminates.

(b) Officers who voluntarily resign their short service commission:-

(i) Before completion of the initial contract – no terminal leave shall be admissible.

(ii) After completion of initial contract – 28 days leave in addition to any Annual Leave to which they may be entitled in the year of resignation.

**39. Child Care Leave.**

(a) Child Care Leave is admissible to Short Service Commission women officers for 180 days during entire service period for taking care of two eldest surviving children below 18 years of age whether for rearing or to look after any of their needs like examination, sickness, etc. However, in case child has minimum disability of 40%, the age limit for child for grant of CCL will be below 22 years instead of 18 years.

(b) All other regulations relating to Child Care Leave, as enunciated at regulation 27 (b) to (n) for Permanent Commission Women Officers would be applicable to Short Service Commission women officers as well.

40. **Child Adoption Leave.** Child Adoption Leave to woman SSC officers shall be admissible on the scale and under the conditions applicable to regular officers, as are referred to in Regulation 29.

41. **Paternity Leave on Birth of a Child.** Paternity Leave on birth of a child shall be admissible on the scale and under the conditions applicable to regular officers, as are referred to in Regulation 30.

42. **Paternity Leave on Adoption of a Child.** Paternity Leave on adoption of child shall be admissible on the scale and under the conditions applicable to regular officers, as are referred to in Regulation 31.

43. **Maternity Leave.** Maternity Leave to married Woman SSC officers shall be admissible on the scale and under the conditions applicable to regular officers, as are referred to in Regulation 28.

**CHAPTER III****SECTION I – REGULATIONS APPLICABLE TO SAILORS****44. Casual Leave.**

(a) The maximum amount of Casual Leave admissible in a year shall be 30 days.

(b) Normally, Casual Leave shall not be granted for more than 10 days at a time. Leave upto 30 days at a time may be granted at the discretion of Leave Sanctioning Authority.

(c) Sailors/ Artificer Apprentices undergoing treatment in Armed Forces Hospitals may be granted Casual Leave to the extent indicated below to attend to their domestic emergencies, provided the grant of such leave does not interfere with their treatment:-

(i) Up to a maximum of 10 days Casual Leave to personnel whose homes are within a radius of 800 Kilometres from the hospital.

(ii) Up to 10 days Casual Leave or more so as to allow a minimum of 6 days stay at home to personnel whose homes are situated more than 800 Kilometres away from the hospital.

**Explanation 1:** This leave shall be admissible only in emergency cases and shall be granted at the discretion of the Officer Commanding Hospital. In the case of Tuberculosis patients, this leave shall be admissible during the period of first 12 months of the treatment only, provided they are ambulatory and non-infectious. In the case of other patients, this leave shall count against the maximum of 30 days Casual Leave admissible under sub-regulation (i) above.

**Explanation 2:** In case where the Officer Commanding of the Military Hospital finds that the treatment of the individual has been retarded due to patient's own imprudence, during such leave, he may convert such leave into extraordinary leave without pay and allowances.

**Explanation 3:** On extreme compassionate grounds, the Officer Commanding Hospital may grant a second spell of Casual Leave, subject to the conditions stated above.

45. **Annual Leave.**

(a) Annual Leave shall be admissible on the following scale:-

(i) Sixty days in a calendar year; and

(ii) Accumulated Annual Leave up to ninety days at the discretion of the Commanding Officer of the ship/ establishment, if no leave other than Casual Leave had been taken in the preceding calendar year.

*Note: This concession of accumulated Annual Leave up to ninety days may be availed by those individuals (including those who are re-enrolled) who have put in at least six months service in the preceding calendar year.*

(b) Sailors serving outside India in Embassies/ Missions shall, on their return to India on completion of their tenure of service abroad, be allowed due Annual/ accumulated Annual Leave direct from the port of disembarkation/ de-planement in India, if they so desire, irrespective of the quantum of leave to their credit. The leave will commence from the date of disembarkation/ de-planement in India and the personnel will remain on the books of Indian Naval Ship Angre/ India additional.

(c) (i) Annual/ accumulated Annual Leave and Sick Leave admissible to sailors (including Master Chief Petty Officers granted Honorary Commission) under the Navy Leave Regulations 2019, may also be granted ex-India as under:-

(aa) On the recommendation of Competent Medical Authority.

(ab) For purpose of recreation.

(ac) To meet the personal requirements overseas.

(ii) Leave ex-India will commence and terminate in accordance with Regulation 5 of Navy Leave Regulations 2019 and will be subject to any restriction which may be imposed from time to time by the Government of India.

(iii) Leave ex-India will be sanctioned by the prescribed Leave Sanctioning Authority under Regulation 19 of the Navy Leave Regulation 2019 subject to prior concurrence of Naval Headquarters.

**Note:** Sailors serving in Embassies/ Missions abroad, who undertake return journey by an un-approved route in terms of Government orders issued from time to time and are desirous of availing accumulated Annual Leave under the above mentioned regulation shall be permitted to do so. In such cases, the leave shall be deemed to have commenced from the date on which the journey, if undertaken by an approved route, would have been completed.

(d) In the case of sailors proceeding to a leave station which necessarily involves journey of more than two days each way, additional leave in excess of the period specified in sub-regulation (a) may be granted to cover the journey period in excess of two days each way. This additional leave shall be admissible once a year irrespective of the period of stay at the leave station.

(e) The provisions of this regulation shall also be applicable to sailors whose homes are located in Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of the Lakshadweep Islands and their leave shall be so arranged that they are detained at ports awaiting embarkation for the minimum possible period.

(f) The grant of Annual Leave in the first year of service shall be subject to the condition that the person has rendered at least six months service.

(g) **Excess Grant of Annual/ Accumulated Annual Leave.**

(i) Cases of sailors involving excess grant of Annual/ accumulated Annual Leave up to sixty days due to faulty documentation, misinterpretation of leave regulations and non-accounting of Sick Leave taken earlier in the year shall be regularised by the Flag Officer Commanding-in-Chief Western Naval Command, the Flag Officer Commanding-in-Chief Eastern Naval Command, the Flag Officer Commanding-in-Chief Southern Naval Command and Commander-in-Chief Andaman Nicobar Command by adjustment of the period involved against Annual Leave entitlement of the year in which the irregularity is detected, if due.

(ii) If the Annual Leave of the year has already been availed of, the adjustment shall be made against the following year's Annual Leave entitlement. Cases involving period in excess of sixty days shall be reported to Chief of Personnel for orders.

(h) An extension of Annual Leave up to thirty days may be granted to sailors by the Commanding Officer in exceptional and compassionate cases due to own sickness, Natural calamity or any other extraordinary circumstances beyond the individual's control, provided he is satisfied about the genuineness of the grounds of such extension. The extension of leave so granted will be dealt with, in the same manner as overstayal of leave. Extension of accumulated Annual Leave to the same extent, under similar circumstances will be authorised under the order of the Administrative Authority except in respect of extension due to own sickness and extension in respect of Gorkhas which will be dealt with by the Commanding Officer.

**46. Long Leave – Gorkha sailors.**

(a) Gorkha sailors domiciled in Nepal, sailors who are nationals of Bhutan shall be granted Annual Leave as follows:-

(i) Sixty days leave in a calendar year; or

(ii) One hundred and twenty days accumulated Annual Leave in the second year reduced by the period of Annual Leave taken either for the purpose of adjustment of Sick Leave or on account of regularisation of overstayal or excess grant of leave in the preceding year, provided the Annual Leave does not exceed thirty days. However, no benefit of accumulation shall accrue, if the Annual Leave taken during the preceding year is more than thirty days.

(b) Sailors shall be allowed, once in a block of two calendar years, additional leave to cover extra journey period from the duty station to the leave station and back in excess of four days.

**Illustration:** If a sailor spends six days in journey from his duty station to the leave station and back, he will be allowed two days additional leave over and above the Annual or accumulated Annual Leave, as the case may be, provided that he has not availed himself of such additional leave in the same block of two years, the blocks being 1965-66, 1967-68 and so on.

In the case of new entrants, the block of two years shall start from the year in which they qualify for the grant of Annual Leave for the first time.

47. **Sick Leave.**

(a) There shall be no limit for Sick Leave but it shall be restricted to a period in which there is a reasonable prospect of the individual becoming fit for duty.

(b) The entire period spent in a Sick Bay/ Service or a recognised civil hospital shall be treated as on duty.

**Note:** *The provisions of this sub-regulation shall be applicable to those persons only who fall sick whilst on duty.*

(c) (i) After discharge from Sick Bay/ Hospital, Sick Leave may be granted on the recommendation of the Service Medical Authorities. Extension of Sick Leave may be granted only on the recommendation of the Competent Medical Board, provided that the Sick Leave recommended to a sailor on discharge from hospital shall commence from the date following the date of his discharge from the hospital, whether proceeding to home direct or via his ship or establishment.

(ii) The period of overstay of Sick Leave granted on discharge from Sick Bay/ Hospital, to a sailor, who is admitted into a Military Hospital during the currency of such leave, on account of sickness for which he was originally admitted into Sick Bay/ Hospital, while on duty, shall be treated as Sick Leave with full pay and allowances, from the date of expiry of the Sick Leave granted initially up to the date of being declared fit for duty.

(d) (i) If a sailor is compelled to overstay his Annual Leave due to his own sickness and gets treatment at home, the period of such overstay up to a maximum of thirty days (*sixty days in the case of Gorkhas*) is to be treated as Sick Leave with full pay and allowances by the Commanding Officer, if he is satisfied with the bonafides of the case, after making such enquiries as deemed necessary.

(ii) The overstay up to sixty days in the case of sailors other than Gorkhas may be regularised by the authority mentioned below, if he is satisfied about the bonafides of the case after making such enquiries as deemed necessary, by treating the first thirty days as Sick Leave with full pay and allowances, and the balance up to thirty days, by adjusting against the following years Annual Leave entitlement of the sailor:-

(aa) Commanding Officer of the ship of the rank of Captain or above, if the ship does not have any Squadron Senior. But if the Commanding Officer is of the rank of Commander or below, then the Administrative Authority in respect of sailors borne on the books of the ships under his administrative control.

(ab) Senior Officer of the Squadron, if of the rank of Commander or above, in respect of sailors borne on the books of the ships of his Squadron.

(ac) Administrative Authority, if the Senior Officer is of the rank, below that of a Commander, in respect of sailors borne on the books of the ships of his Squadron.

(ad) Commanding Officer of the shore establishment in respect of sailors borne on the books of his establishment.

**Explanation:** In cases, where the period of overstay is required to be adjusted against the following years Annual Leave entitlement, the Annual Leave of that year shall be regarded as proportionately consumed for carrying out the necessary adjustment. The grant of leave on compassionate grounds in the following year, if necessary, shall be dealt with under Regulations 48.

All cases of overstay of leave beyond sixty days shall be referred to Chief of Personnel for orders.

(e) The period after discharge from a Sick Bay/ Hospital or of overstay of leave on account of sickness, shall first be debited to the Annual Leave or accumulated Annual Leave account and the excess, if any, shall be regarded as Sick Leave.

(f) (i) Overstay of Annual/ accumulated Annual Leave by sailors who fall sick and are admitted into a Military Hospital during the currency of such leave granted to them shall be treated as Sick Leave with full pay and

allowances from the date of expiry of Annual/ accumulated Annual Leave granted initially up to the date of discharge from the hospital. Such Sick Leave shall only be admissible if the Officer Commanding, Military Hospital certifies that the sickness or injury was not caused by the person's own fault and that the person is likely to be rendered fit for military duty after a reasonable period of treatment.

(ii) The period of hospitalisation of sailors who fall sick and are admitted into a Military Hospital during the currency of Casual Leave, shall be regarded as Sick Leave with full pay and allowances subject to the conditions mentioned in sub-regulation (f) (i) above. The period of Casual Leave availed up to the date preceding the date of admission into the hospital shall be regarded as Annual Leave of the current year, if due, otherwise adjusted against next year's Annual Leave entitlement. In case no future Annual Leave is accrued to the individual, due to his retirement/ discharge, the period of Casual Leave availed shall be regarded as extraordinary leave without pay and allowances.

(iii) The period of Sick Leave recommended on discharge from hospital in the case of sailors mentioned in sub-regulation (f) (i) and (ii) above shall be debited to the Annual or accumulated Annual Leave account and the excess, if any shall be regarded as Sick Leave with full pay and allowances. Provided that the Sick Leave recommended to a sailor on discharge from hospital shall commence from the date following the date of his discharge from the hospital, whether proceeding to home direct or via his ship or establishment.

(iv) The period of hospitalisation from the date of expiry of Sick Leave in the case of sailors who are again admitted to a Military Hospital during the currency of Sick Leave granted under this sub-regulation and subsequent grant of Sick Leave if any, will be debited to the Annual or accumulated Annual Leave account and excess, if any, regarded as Sick Leave with full pay and allowances, subject to conditions mentioned in clause (i) above.

(v) The period of hospitalisation from the date of expiry of Sick Leave for check-up and passing fit for duty will be treated as Sick Leave with full pay and allowances.

(vi) The period intervening between the date of discharge from the hospital to the date of reporting for duty shall be debited to the Annual or accumulated Annual Leave account and the excess if any, shall be regarded as Sick Leave with full pay and allowances.

**Explanation:** In cases where the period of overstay is required to be adjusted against the following year's Annual Leave entitlement, the Annual Leave of that year shall be regarded as proportionately consumed for carrying out the necessary adjustment. The grant of leave on compassionate grounds in the following year, if necessary, shall be dealt with under Regulation 48.

(g) In case of the Sick Leave granted to a sailor extends from one calendar year to the next, the portion of such leave falling in the next year shall be debited to that year's Annual Leave entitlement of the individual.

#### 48. **Compassionate Leave.**

(a) In compassionate cases, where the current year's Annual Leave has already been availed of, leave may be granted up to a maximum of thirty days which shall be debited to the next year's Annual Leave entitlement.

(b) This concession shall be admissible to sailors on regular engagement except in the case of those whose services are likely to be terminated during the current leave year.

#### 49. **Leave on Discharge/ Retirement.**

(a) (i) Sailors who are not entitled to any pension, shall be granted Annual Leave or accumulated leave due to them at the time of discharge.

(ii) The exigencies of Service permitting, this leave, shall be granted in all cases of discharge, as distinct from dismissal, whatever may be the grounds for discharge, subject to the condition that the period of service engagement shall not be extended for that purpose except as provided in Regulation 268 of the Regulations for the Navy Part III.

(b) Sailors retiring on pension shall, in addition to any Annual Leave or accumulated Annual Leave due to them, be granted sixty days leave, subject to the condition that the total period does not exceed one hundred and twenty days.

(c)(i) Accumulation of un-availed Annual Leave be permitted up to a maximum of 300 days subject to the condition that they will be allowed to accumulate not more than 30 days leave in a calendar year.

(ii) The encashment will be admissible subject to the following conditions:-

(aa) The cash equivalent of leave salary thus admissible will become payable on retirement and will be paid in lump-sum as one time settlement.

(ab) The authority competent to grant leave shall, suo-moto issue order granting cash equivalent of leave at credit, on the date of retirement.

(ac) These orders shall not apply to cases of premature voluntary retirement and personnel who are compulsorily retired on disciplinary grounds.

**50. Leave on Discharge/ Retirement at Request.**

(a) Sailors who are retired or discharged from the Service at their own request shall be eligible for Annual Leave and accumulated Annual Leave pending retirement or discharge as under:-

(i) **Cases where discharge commences on or before 31<sup>st</sup> March of the year:-**

(aa) Thirty days Annual Leave for that year; or

(ab) Sixty days accumulated Annual Leave to those who had no leave other than Casual Leave in the preceding year and had put in at least six months service in the preceding year.

(ii) **Cases where discharge commences on or after the 1<sup>st</sup> April of any year:** - Full Annual Leave shall be admissible. Accumulated Annual Leave due under the rules shall be admissible provided at least six months service had been performed in the preceding year.

(b) Sailors who are discharged due to invalidment (*other than Tuberculosis*) without performing any duty during the year and who have had no leave other than Casual Leave in the preceding year shall be granted leave pending invalidment as follows:-

(i) Cases in which leave pending invalidment commences on or before the 31<sup>st</sup> March of the year – thirty days.

(ii) Cases in which leave pending invalidment commences on or after the 1<sup>st</sup> April of the year – sixty days.

(c) In case of those who have performed duty in the year of invalidment, full entitlement of Annual or accumulated Annual Leave shall be admissible under the normal rules.

(d) The additional leave of sixty days provided for in sub-regulation (ii) shall continue to be admissible in addition to the leave granted under sub-regulation (i) or sub-regulation (ii) provided the conditions specified therein, are satisfied.

*Note: In the case of an individual who is declared as medically unfit for further service, and sent home direct from the hospital, the period between the date of discharge from hospital and the actual date of discharge from Service shall, if he is not entitled to any leave pending discharge, be treated as Special Casual Leave, subject to maximum limit of thirty days. Cases in which intervening period exceeds thirty days shall be reported to Central Government for orders setting out circumstances and reasons for the delay.*

**51. Leave Ex-India Sailors.** Annual Leave/ accumulated Annual Leave and Sick Leave admissible to sailors (*including Master Chief Petty Officers granted Honorary Commission*) under these regulations shall also be granted ex-India as under:-

(a) On the recommendation of the Competent Medical Authority.

(b) For purposes of recreation.



(c) To meet personal requirements overseas.

*Note: Leave ex-India will commence and terminate in accordance with Regulation 5 of these regulations and will be subjected to any restrictions which may be imposed from time to time by the Government of India.*

52. **Forfeiture of Leave.** A sailor when dismissed from Service, shall have no claim to any leave.

53. **Paternity Leave on Birth of a Child.** Paternity leave on birth of a child shall be admissible on the scale and under the conditions applicable to regular officers, as are referred to in Regulation 30.

54. **Paternity Leave on Adoption of a Child.** Paternity leave on adoption of a child shall be admissible on the scale and under the conditions applicable to regular officers, as are referred to in Regulation 31.

#### **SECTION IA – REGULATIONS APPLICABLE TO MASTER CHIEF PETTY OFFICERS GRANTED HONORARY COMMISSION**

55. Master Chief Petty Officers who are granted Honorary Commission are entitled for leave on the same terms and conditions as are applicable to sailors and shall be governed by Regulations 44-54.

#### **SECTION II – RULES APPLICABLE TO ARTIFICER APPRENTICES**

56. **Casual Leave.** Artificer Apprentice shall be entitled to Casual Leave as admissible to sailors. See Regulation 44.

57. **Annual Leave Admissible to Artificer Apprentices before being promoted to Man's Rank.**

(a) The quantum of Annual Leave admissible in a year shall be thirty days. This may be accumulated up to forty five days at the discretion of the Commanding Officer of the ship/ establishment.

(b) (i) In the case of individuals proceeding to a leave station which necessarily involves a journey of more than two days each way, additional leave in excess of Annual Leave may be granted to cover the journey period in excess of two days each way. This additional leave shall be admissible once a year irrespective of the period of stay at the leave station.

(ii) The above provisions are also applicable to individuals whose homes are located in the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands and the Union Territory of the Lakshadweep Islands. Their leave shall be so arranged that they are detained at ports awaiting embarkation for the minimum possible period.

(c) The grant of Annual Leave shall be subject to the condition that the individual has rendered at least six months service. This limit of six months may be relaxed at the discretion of the Commanding Officer, to suit training requirements.

(d) Extension of Annual or accumulated Annual Leave up to 15 days may be granted to Artificer Apprentices by the Commanding Officer in exceptional and compassionate cases due to natural calamity or any other extra-ordinary circumstances beyond the person's control, provided he is satisfied about the genuineness of the ground of such extension. In case of their sickness, however, extension up to thirty days may be granted. The extension of leave so granted, will be dealt with in the same manner as overstay of leave under existing rules.

58. **Sick Leave.** Artificer Apprentices shall be entitled to Sick Leave as admissible to sailors as are referred to in Regulation 47.

59. **Annual Leave Admissible to Artificer Apprentices after being promoted to Man's Rank.** Artificer Apprentices after being promoted to man's rank, shall be entitled to sixty days Annual Leave as admissible to serving sailors. The period of leave (*other than Casual Leave*) already availed of by them in the same calendar year under Regulations 57 and 58, shall be deducted from the sixty days Annual Leave, and they shall only be entitled to the balance of the Annual Leave.

**CHAPTER IV****MISCELLANEOUS**

60. **Personnel Undergoing Courses of Instructions or on Deputation to Foreign Countries.** Naval personnel sent abroad on deputation or on courses of instructions, may be granted leave to the extent and subject to the conditions prescribed by the Central Government from time to time.

61. **Officers of the Army Medical Corps/ Army Dental Corps Seconded to the Indian Navy.** Officers of the Army Medical Corps or Army Dental Corps when seconded to the Indian Navy shall be governed by the '*Leave Rules for the Services, Volume I – Army*' as applicable to corresponding Officer of the Indian Army.

62. **Members of Military Nursing Service Attached to the Indian Navy.** Members of Military Nursing Service attached to the Indian Navy shall be governed by the leave rules of their own service given in '*Leave Rules for the Services, Volume I – Army*'.

63. **Personnel Serving in the Indian Embassies or Missions Abroad.** Indian Navy personnel (*officers and sailors*) serving in Indian Embassies or Missions abroad shall continue to be governed by the Indian Navy Leave Regulations and shall be granted locally Casual, Annual and Sick Leave as is admissible to corresponding personnel serving India. In exceptional cases, on compassionate or other grounds where the Annual Leave to the credit of an officer is not adequate, Furlough may be granted in addition, with the sanction of Government of India. The grant of Furlough shall, however, be restricted to only one occasion during an officer's Service in a particular foreign country, and shall be availed of during the period of his tenure in that country.

64. **Special Casual Leave.**

(a) **Personnel Participating in Sports Events and Tournaments.** The period of absence from duty of service personnel (*including officers but excluding cadets or apprentices*) participating in sports events and tournaments or whose services are utilised in connection with coaching or administration of the teams participating in the events or tournaments shall be treated as special Casual Leave to the extent and subject to the conditions given below:-

(i) Special Casual Leave may be allowed for a period not exceeding thirty days in any one calendar year. The period of absence in excess of thirty days shall be regulated under the normal rules. For this purpose, the personnel may, as a special case, be permitted to combine Special Casual Leave with other kinds of leave except with Ordinary Casual Leave.

(ii) The Special Casual Leave may be allowed only:-

(aa) For participation in sports events of National or International importance; and

(ab) When the service personnel are selected for participation:-

(aaa) In international sports events as a member of team of any national sports federation or association recognised by the All Indian Council of Sports and approved by the Ministry of Education, provided the team is accepted as representative, on behalf of India.

(aab) In respect of sports events of national importance, wherein participation is on inter zonal, inter-state or inter-circle basis, and the Service personnel concerned take part in the event in a team, as duly nominated representative on behalf of the state or zone or circle as the case may be.

*Note: A certificate stating the relevant conditions are fulfilled shall be incorporated in Genforms notifying the grant of Special Casual Leave under this sub-clause.*

(ac) The concessions shall not be allowed for participating in a national sports event in which participation of the Service personnel takes place in their personal capacity and not in a representative capacity.

(ad) The Grant of Special Casual Leave shall be, subject to the general principles laid down in these regulations, except for the modification indicated in clause 64(a)(i). The power of granting Special Casual Leave under these provisions shall be exercised by the Chief of the Naval Staff or such other officers (*not below the rank of a Director*) as may be authorised by him.

*Note: The Participation in preliminary and final rounds of the Services championship organised by the Services Sports Control Board shall be regarded as duty. Unit or Formation and equivalent sports championships shall be treated as 'Preliminary rounds' of the Services championships for this purpose.*

(b) **Personnel Undergoing Sterilization Operation.** Naval personnel who undergo sterilization operation (vasectomy or salpingectomy) under the 'Family Planning Scheme' shall be granted Special Casual Leave not exceeding six working days, to undergo such operations and to have some rest, which is necessarily immediately after the operation.

(c) **Women Officers Undergoing Sterilization Operation.** In case of women officers, Special Casual Leave not exceeding 14 days will be admissible for having undergone sterilization (Tubectomy) operation under the 'Family Planning Scheme' or for undergoing non-puerperal Tubectomy operation. Non puerperal operation implies that the Tubectomy has not been carried out immediately following a childbirth, viz, within 5 days after delivery.

#### 65. **Encashment of Accumulated Leave.**

(a) Accumulation and encashment of leave will be limited to the number of days of Annual Leave at the credit of the Defence Forces personnel on the day of their proceeding on superannuation/release/discharged on own request/invalided out of Service/ die while in Service, irrespective of the number of years of service rendered, subject to a limit of 300 days in maximum of 30 days to be accumulated in a calendar year, provided that nothing given herein shall restrict/contravene provisions for leave encashment issued in conjunction with LTC. The salient features are reiterated in the succeeding paragraphs.

(b) The benefit of enhanced leave accumulation and encashment mentioned in Para 65(a) above will be subject to the following conditions:-

(i) Not more the 30 days will be allowed to be accumulated in a calendar year. Annual Leave of the year of retirement will be encashed as follows:-

(aa)	Those retiring on 31 <sup>st</sup> Jan	-	15 Days
(ab)	Those retiring in Feb and thereafter	-	30 Days

(ii) The total number of days of leave encashed including leave of the year of retirement shall not exceed 300 days.

(c) **In Case of Invalidation Out of Service.** In case of officers the portion of Annual Leave of the year of invalidation which is not required to be adjusted against hospitalisation or Sick Leave will be allowed to be encashed subject to limit of maximum of 30 days for that year. In case of sailors, the provision of leave Rule 47 will remain operative. The period of Sick Leave will continue to be initially debited against Annual Leave of hospitalisation in accordance with this rule.

(d) **In Case of Death While in Service.** Where death takes place in the month of Jan/ Feb of a calendar year, encashment of leave only up to 50% of the Annual Leave due admissible on the day preceding the day on which the death takes place will be allowed to be encashed. Fraction of a day shall be rounded off to the nearest day. For example – where death takes place on, say, 5<sup>th</sup>, 10<sup>th</sup>, 20<sup>th</sup> and 31<sup>st</sup> Jan, the maximum encashment permissible will be 02 days, 04 days, 09 days and 15 days, respectively. Encashment for death in the month of Feb will have to be calculated similarly. No reduction on account of pension equivalent of Death Cum Retirement Gratuity will be made from amount of leave encashment.

(e) **Payment of Leave Encashment to Heir/ Heirs of Armed Forces Personnel who Die while in Service or after Retirement but before Actual Receipt of Leave Encashment Amount.**

(i) Amount of leave encashment in respect of above category of personnel will be payable to:-

(aa) The widow, and if there are more widows than one, to the eldest surviving widow if the deceased was a male Service personnel, or to the husband, if the deceased was a female Service personnel.

**Explanation:** The expression 'eldest surviving widow' shall be construed with reference to the seniority according to the date of marriage of the surviving widows and not with reference to their ages.

- (ab) Failing a widow or husband, as the case may be, to the eldest surviving son or an adopted son.
- (ac) Failing (aa) and (ab) above, to the eldest surviving unmarried daughter.
- (ad) Failing (aa) to (ac) above, to the eldest surviving widowed daughter.
- (ae) Failing (aa) to (ad) above, to the father.
- (af) Failing (aa) to (ae) above, to the mother.
- (ag) Failing (aa) to (af) above, to the eldest surviving brother below the age of eighteen years.
- (ah) Failing (aa) to (ag) above, to the eldest surviving unmarried sister.
- (aj) Failing (aa) to (ah) above, to the eldest surviving widowed sister.
- (ak) Failing (aa) to (aj) above, to the eldest surviving married daughter.
- (al) Failing above, to the eldest child of pre-deceased son of the deceased Service personnel.

(f) **Short Service Commissioned Officers (SSCOs).** With the introduction of encashment of accumulated leave, without linkage to service period, the existing benefits of terminal leave will remain unaffected and SSC Officers on release will continue to be granted in kind the Terminal Leave as follows:-

- (i) Full or balance Annual Leave of the year.
- (ii) 28 days terminal leave.

*Note: Benefit of encashment of leave to SSCOs will be admissible either at the end of tenure of SSC as also after the second tenure, where this occurs after a break, such that the overall limit of 300 days during the entire service is not exceeded.*

66. **Encashment of Annual Leave alongwith LTC.** Service personnel are allowed to encash 10 days Annual Leave at the time of availing of LTC to the extent of 60 days during the entire career. The Leave encashed at the time of LTC will not be deducted from the maximum amount of Annual Leave en-cashable at the time of retirement. It is further clarified that where both husband and wife are in Government Service, the present entitlement for availing LTC shall remain unchanged, and encashment of leave equal to 10 days at the time of availing of LTC will continue to be available to both, subject to maximum of 60 days each during the career.

67. **Officers Participating in the Activities of the Indian Institute of Public Administration.** Officers serving outside Delhi who are members of the Indian Institute of Public Administration and are required to attend authorised meetings of the institute may be granted special casual leave not exceeding six working days in each calendar year plus the minimum period required for the journey to enable them to attend such meeting and return. The leave will be sanctioned as under:-

- |     |                                 |   |   |
|-----|---------------------------------|---|---|
| (a) | CO/ OiC of the unit             | - | by COP/ FOC-in-C of the Command under administrative control of which unit of Officer comes.    |
| (b) | Other officers serving in units | - | by the Commanding Officer of the rank of Commodore and above, otherwise as per Para 67(a) above |

Note:- No TA/DA will be admissible for such moves.

68. **Leave for Women under sexual harassment at Workplace.** During the pendency of an inquiry, on a written request made by the aggrieved woman, the Internal Complaints Committee or the Local Complaints Committee constituted under 'The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013', may be recommended to the employer to grant leave to the aggrieved woman upto a period of three months. The leave granted to the aggrieved woman under this Rule shall be in addition to the leave she would be otherwise entitled.

69. **Leave for Attending Meeting of Scientific Associations.** Naval personnel, who are invitees, members, official delegates of scientific Associations like the Indian Science Congress Association, the National Institute of Science of India, Institution of Engineers and similar scientific bodies or are required to read papers at a conference, may, subject to the exigencies of service, be granted special casual leave to facilitate their attending the meetings arranged by these organisations. This leave will be allowed only to the extent required for attendance at the meeting and for journeys to and from the place of the meeting. The leave will be sanctioned by the authorities prescribed for the grant of normal casual leave but not below the status of Commodore.

**APPENDIX 'A'**  
**(Refers to**  
**Reg 19 of Navy**  
**Leave Regulations 2019)**

### **LEAVE SANCTIONING AUTHORITIES**

#### **Details of Leave and Leave Sanctioning Authorities**

#### **1. Officer Serving in Ships/ Establishments Including Naval Headquarters.**

<b><u>Category of Applicant</u></b>	<b><u>Sanctioning Authority</u></b>
<b>(a) <u>Casual Leave</u></b>	
(i) Administrative Authorities	Chief of the Naval Staff
(ii) Commanding Officers of ships/ establishments	Administrative Authority
(iii) Officers other than Commanding Officers of ships/ establishments	Commanding Officer
(iv) Officers at Naval Headquarters	Next higher authority but not below the status of Director
(v) Officers borne on INS Angre additional for duties in Naval Dockyard, Mumbai	Admiral Superintendent, Naval Dockyard, Mumbai
(vi) Officers borne on INS Circars additional for duties in Naval Dockyard, Visakhapatnam	Admiral Superintendent, Naval Dockyard, Visakhapatnam
<b>(b) <u>Special Casual Leave</u></b>	
(i) For participating in sports events	Chief of the Naval Staff, Administrative Authority or such other officer not below the rank of a Director as may be authorised by the Chief of the Naval Staff
(ii) For undergoing sterilization operation	Same as in (a) above
<b>(c) <u>Annual Leave and *Sick Leave in India</u></b>	
(i) Administrative Authorities	Chief of the Naval Staff
(ii) Officers at Naval Headquarters	Next higher authority, but not below the status of Director

<u>Category of Applicant</u>	<u>Sanctioning Authority</u>
(iii) Commanding Officers of ships/ establishments	Administrative Authority
(iv) Officers serving in Major War Vessels and Shore Establishments	Commanding Officers
(v) Officers serving in Coastal and Inshore Minesweepers	Senior Officer of the Squadron
(vi) Officers serving in ships other than those in subparagraphs(iv) and (v)	Administrative Authority.
(vii) Officers borne on INS Angre additional for duties in Naval Dockyard, Mumbai	Admiral Superintendent Naval Dockyard, Mumbai
(viii) Officer borne on INS Circars additional for duties in Naval Dockyard, Visakhapatnam	Admiral Superintendent Naval Dockyard, Visakhapatnam
(d) Annual Leave and Sick Leave if either is taken ex-India	Administrative Authority in the case of officers serving in ships/ establishments and Principal Staff Officers in the case of those serving at Naval Headquarters. Prior approval of the Chief of the Naval Staff will be obtained in either case.
(e) Furlough	Naval Headquarters
(f) Officers serving in inter service organisations/ establishments (All kinds of authorised leave)	Head of the respective organisation/ establishment
(g) Study Leave	Chief of Personnel

## 2. Master Chief Petty Officers Granted Honorary Commission and Sailors.

<u>Kinds of Leave</u>	<u>Sanctioning Authority</u>
(a) Casual Leave	Commanding Officers of ship/ establishment.
<b>(b) <u>Special Casual Leave</u></b>	
(i) For participating in sports events upto 30 days in a calendar year	Administrative Authority
(ii) For undergoing sterilization operation up to six days	Commanding Officer of ship/ establishment.
(iii) For the period between the date of discharge from the hospital and the actual date of discharge from Service, subject to a "maximum" of thirty days	Commanding Officer of ship/ establishment.
(c) Annual Leave up to 60 days in a year for accumulated Annual Leave up to 90 days	Commanding Officer of ship/ establishment
(d) Sick leave	Commanding Officer of ship/ establishment on the recommendation of the Service Medical Authority.
(e) Compassionate leave up to 30 days advance of Annual Leave	Commanding Officer of ship/ establishment.
(f) Leave on discharge/ retirement	The Commodore Bureau of Sailors, Mumbai

<u>Kinds of Leave</u>	<u>Sanctioning Authority</u>
(g) Annual/ Accumulated leave and sick leave if either is taken ex-India	Commanding Officer of Ship/ Establishment for Annual Leave upto 60 days in a year or accumulated Annual Leave upto 90 days and Commanding officer of Ship/ Establishment on the recommendation of Service Medical Authority for sick leave subject to prior concurrence of Naval Headquarters.

3. Artificer Apprentices.

<u>Kinds of Leave</u>	<u>Sanctioning Authority</u>
(a) Casual Leave	Commanding Officer of ship/ establishment
(b) <u>Special Casual Leave</u>	
For the period between the date of discharge from the hospital and the actual date of discharge from Service, subject to a maximum of 30 days	Commanding officer of ship/ establishment
(c) Annual Leave upto 30 days	Commanding Officer of ship/ establishment.
(d) Sick Leave	Commanding Officer of ship/ establishment on the recommendation of the Service Medical Authority.

Appendix 'B'INDEX TO NAVY LEAVE REGULATIONS

<u>CONTENTS</u>	<u>REGULATION</u>
<b>A</b>	
<b>Absence on Sick Leave, maximum period</b>	
Regular officers	23
Short Service Commission	36
<b>Accumulation of Annual Leave</b>	
Sailors	45
Artificer Apprentices	57
<b>Additional Leave to Annual Leave to Cover Travel Period</b>	
Sailors	45
Artificer Apprentices	57
Advance of Annual Leave to sailors – Grant of – on Compassionate Leave	48
<b>Annual Leave (Amount Admissible)</b>	
Officers (Regular)	21
Officers (Short Service Commission)	34
Sailors	45
Artificer apprentices	57
Artificer Apprentices after being promoted to Man's rank	59
<b>Annual Leave – General</b>	
Annual Leave can be granted in instalments. Can be extended from one calendar year for Annual Leave/ non accumulative	15
Annual Leave – Sailors serving Ex-India	60, 63
Army Medical Corps/ Army Dental Corps Officers seconded to Navy – Leave Admissible	61
Attending meeting of Scientific Associations	69

Authorities sanctioning Leave	Appendix 'A'
<b>C</b>	
<b>Casual Leave (amount admissible)</b>	
Officers (Regular)	20
Officers (Short Service Commission )	33
Sailors	44
Artificer Apprentices	56
Casual Leave – General	14
Casual Leave – Overstayal	9
Child Adoption Leave to Women Officers	29, 40
Child Care Leave to Women Officers	27,39
Claim to Leave	3
Classification of Leave	4
Combination of Leave – Furlough and Annual Leave - Officers	16&22
Commencement of Leave - General	5
Compassionate Leave - Sailors	48
Courses of Instructions on Deputation Abroad – Leave Admissible to Personnel	60
Cycle of Three Years for Computing Furlough	22
<b>D</b>	
Discharge from Service – Sailors – Leave Admissible	49
Discharge from Service – Sailors – at Request	50
<b>E</b>	
Embassies/ Missions Abroad – Personnel Serving – Leave Admissible	63
Encashment of Accumulated Annual Leave	65
Encashment of Annual Leave alongwith LTC	66
Extension of Leave - Sanctioning Authority	11 & Appendix 'A'
<b>Extension of Annual/ Accumulated Annual Leave</b>	
Sailors	45
Artificer Apprentices	57
Extension of Casual Leave from one calendar year to another calendar year	14
Extension of Annual Leave from one calendar year to another calendar year	15
Extension of Furlough from one cycle of 3 years to another cycle of 3 years	16
Extension of Sick Leave from one calendar year to another calendar year	47
<b>Extension of Sick Leave</b>	
Regular Officers	23
Short Service Commission Officers	36
<b>Extent of Application</b>	2
<b>F</b>	
Forfeiture of leave – Sailors	52
Furlough – Amount Admissible	16
Furlough – General	16
Furlough can be combined with Annual Leave	16
Furlough can be extended form one cycle of three years to another cycle of three years/ Furlough Non-Accumulative	16
Furlough in Instalments	22
<b>G</b>	
Gorkha Personnel – Commencement and Termination of Leave	5
Gorkha Sailors – Long Leave	46
<b>H</b>	
Holidays – Prefixed and Suffixed to Leave	6
Honorary Commissioned Officers	55
<b>I</b>	
<b>Instalments</b>	
Annual Leave - Grant of	15
Furlough - Grant of	16
Invalidment – Leave – Admissible – Officers	25,37
<b>L</b>	



Leave ex-India – Officers	26
Leave ex-India – Sailors	51
Leave on Invalidment – Officers	25
Leave Pending Discharge – Sailors	49
Leave Sanctioning Authority – Sailors	19 & Appendix 'A'
Long Leave – Gorkha Sailors	46
Lump-sum provision – Furlough	16
Leave for Women under Sexual Harassment at Workplace	68
<b>M</b>	
Maternity Leave applicable to all Women Officers	28
Mission Abroad - Personnel Serving - Leave Admissible	63
Month - Calculation of - when Furlough taken in Instalments	22
Mulcts of Pay – Sailors/ Artificer Apprentices – Overstayal of Leave	9(b)
MCPO granted Honorary Commission	55
<b>N</b>	
<b>Non - Accumulative</b>	
Annual Leave	15
Furlough	16
Nursing Officers Seconded to the Navy – Leave Admissible	62
<b>O</b>	
<b>Overstayal of Leave</b>	
General	9
Natural Calamities	9
Sailors Falling Sick while on Leave	47
<b>P</b>	
Paternity Leave on Birth of a Child	30, 41, 53
Paternity Leave on Adoption of Child	31,42,54
Performance of Duty when on Leave	12
Permission to Return to Duty from Sick Leave	18
Personnel serving ashore ex-India - Date of Commencement and Termination of Leave in India	5
Place from which Leave is taken or duty is resumed	7
Prefixing/ Suffixing of Holidays to Leave	6
Participating in the activities of the Indian Institute of Public Administration	67
<b>R</b>	
Recall from Leave	13
Regularisation of excess/ irregular grant of leave coming to light after discharge/ retirement – sailors.	10
Retirement/ Leave Admissible – Sailors	49
<b>S</b>	
Sanctioning Authority – Leave	19 & Appendix 'A'
Short Service Commission Officers – Leave Admissible	4(b)
Sick Bay/ Service or Recognised Civil Hospital – Time Spent by Sailors	47
<b>Sick Leave - Amount Admissible</b>	
Officers – Regular	23
Officers – Short Service Commission	36
Sailors	47
Artificer Apprentices	58
<b>Sick leave – General</b>	
Grant on the Recommendation of Medical Authorities	17
No Different between Attributable and Non-Attributable cases	17
Sick Leave- Permission to Return to Duty	18
Sick Leave – Sailors – to be Debited to Annual Leave or Accumulated Annual Leave	47
Sick List Concession - Officers	24

Special Casual Leave – For Personnel undergoing Sterilization Operation	64 (b) & (c)
For Sports Event and Tournaments	64 (a)
Suffixing of Holidays to Leave	6
<b>Study leave</b>	32
<b>T</b>	
Termination of engagement – Short Service Commission Officers – Leave Admissible	38
Termination of Leave	5
Travel Time from and to Leave Station on Recall from Leave	13

IHQ MoD(N) Case No. **RP/4407/LR**

MoF (D/N) U.o No. **11(6)/NA/2019**

MoD U.o No. **2382/D-N I/2019**

D PRAVEEN, Director (Navy I)